# लोक-सभा वाद-विवाद

का

# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला

**Fourth Series**

4th Lok Sabha

**खंड 4, 1967 / 1889 (शक)**

**Volume (IV), 1967/1889 (Saka)**

[6 जून से 19 जून, 1967 / 16 ज्येष्ठ से 30 ज्येष्ठ, 1889 (शक) ]

*[ June 6 to June 19, 1967/ Jyaistha 16 to Jyaistha 30, 1889 (Saka) ]*

**दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)**

**Second Session, 1967/1889 (Saka)**

**(खण्ड 4 में अंक 11 से 20 तक हैं)**

**(Volume (IV) Contains Nos. 11 to 20)**

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

**LOK SABHA SECRETARIAT**

**NEW DELHI**

# विषय–सूची / CONTENTS

## अंक 20 सोमवार, 19 जून, 1967/29 ज्येष्ठ, 1889 (शक)

*No. 20 Monday, June 19, 1967/Jyaistha 29, 1889 (Saka)*


| ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos. विषय | Subject | पृष्ठ / Pages |
|---|---|---|
| निधन सम्बन्धी उल्लेख | Obituary reference ... | 2547–2548 |
| प्रश्नों के मौखिक उत्तर / | ORAL ANSWERS TO QUESTIONS | |
| 571 तिब्बत | Tibet .. .. | 2549–2557 |
| 572 भारत के सहयोग से ईरान में इस्पात कारखाना | Steel Plant in Iran with India's Collaboration .. .. | 2557–2558 |
| 573 भारत स्थित अमरीकी राजदूत का वक्तव्य | Statement by US Ambassador in India | 2558–2562 |
| 575 चीनी तथा पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव | Concentration of Chinese and Pakistani Forces .. .. | 2563–2569 |
| अल्प सूचना प्रश्न/ | SHORT NOTICE QUESTION | |
| 14 वर्दवान जिले में कोयला खानों में अराजकता की स्थिति | Lawlessness in Colleries in Burdwan District | 2570–2576 |
| प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS | | |
| ता. प्र. संख्या S. Q. Nos. | | |
| 574 उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के बीच विसैन्यीकृत क्षेत्र | Demilitarised Zone between North and South Korea .. ... | 2576 |
| 576 पासपोर्टों के लिये आवेदन पत्र | Applications for Passports .. | 2577 |
| 578 वियतनाम के युद्ध में विषैले रसायनों के प्रयोग के बारे में जांच | Investigations into Use of Toxic Chemicals in Vietnam .. ... | 2577 |
| 579 पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन | Violation of Indian Air Space by Pakistan... | 2578 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 580 | भूटान में तिब्बत निवासियों का अवैध प्रवेश | Infiltration of Tibetans in Bhutan .. .. | 2578-2579 |
| 581 | रूस द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान की सप्लाई | Supply of Military Equipment by Russia to Pakistan .. ... | 2579 |
| 582 | गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना में भारतीय सैनिक दस्ता | Indian Contingent with UNEF in Gaza .. | 2579-2580 |
| 583 | मन्त्रालयों द्वारा समाचार एजेंसियों की सेवाएं प्राप्त करना | Use of News Services by Ministries .. | 2580 |
| 584 | संसद् सदस्यों के भाषण | Speeches of M.Ps. | 2581 |
| 585 | छिपे हुए नागा प्रतिनिधियों की लन्दन यात्रा | Visit of Underground Naga Representatives to London .. .. | 2581-2582 |
| 586 | राजनयिक पारपत्रों का दिया जाना | Issue of diplomatic passports | 2582 |
| 587 | पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थ यात्री | Sikh Pilgrims to Pakistan ... .. | 2582-2583 |
| 588 | आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण | Commercial Broadcast on A. I. R. .. | 2583 |
| 589 | अरब राज्यों के दूतावासों के अध्यक्षों के साथ वैदेशिक कार्य मंत्री की वार्ता | Foreign Minister's Talks with Heads of Missions of Arab States .. .. | 2583-2584 |
| 590 | मिजो लोगों के बारे में पेकिंग रेडियो द्वारा प्रसारण | Peking Radio broadcasts about Mizos .. | 2584 |
| 591 | भारत पाकिस्तान वार्ता | Indo-Pak. Talks .. | 2584 |
| 592 | प्रतिरक्षा उत्पादन तथा प्रतिरक्षा सम्भरण विभागों में सचिवों के पद | Posts of Secretaries in the Departments of Defence Production and Defence Supply. | 2585 |
| 593 | 1964 का भारत–श्रीलंका करार | Indo-Ceylon Agreement of 1964 | 2585 |
| 594 | अमरीकी फर्मों द्वारा भारतीय माल का बहिष्कार | Boycott of Indian goods by American Firms | 2585-2586 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 595 | चीनियों द्वारा नागालैंड में प्रवेश के समाचार | Reported entry of Chinese into Nagaland .. | 2586–2587 |
| 596 | नागाओं द्वारा जबरदस्ती करों की वसूली | Forcible collection of taxes by Nagas | 2587 |
| 597 | केनिया तथा अन्य अफ्रीका देशों से भारतीयों का निष्कासन | Deportation of Indians from Kenya and other African countries .. .. | 2587–2588 |
| 598 | मोटरगाड़ी अनुसन्धान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से आवड़ी ले जाना | Shifting of Vehicle Research and Development Establishment from Ahmednagar to Avadi .. .. | 2588 |
| 599 | भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे गये कैरीब्यू विमान | Caribou Aircraft acquired by I A F.. — | 2589 |
| 600 | भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच टेलीफोन वायरलैस पर बात-चीत | Telephone / Radio Communications between Army Chiefs of India and Pakistan .. — | 2589 |

अता. प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2863 | दिल्ली छावनी क्षेत्र में असैनिक लोगों के लिये बिजली के कनेक्शन | Electric Connections for Civilians in Delhi Cantt. Area ... .. | 2589–2590 |
| 2864 | ट्रांजिस्टरों का निर्माण | Manufacture of Transistors — — | 2590 |
| 2865 | 'योजना' साप्ताहिक पत्र | 'Yojna' Weekly — — | 2521 |
| 2866 | जल सम्बन्धी अनुसंधान के लिये हालैंड की सरकार की पेशकश | Dutch Governmet's offer for Hydraulic Research .. .. | 2591–2592 |
| 2867 | कोर्डाइट फैक्टरी-अरुवनकाडू | Cordite Factory, Aruvankadu ... ... | 2592 |
| 2868 | अणु वैज्ञानिक | Atomic Scientists — .. | 2592–2593 |
| 2869 | क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली | Regional Passport Office, New Delhi ... | 2593 |
| 2870 | मरमागोआ बन्दरगाह | Marmagao Harbour ... | 2593–2594 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2871 | हैदराबाद हाउस | Hydərabad House ... .. | 2594 |
| 2872 | आसाम में सीमा सड़के | Border Roads in Assam ... | 2594–2595 |
| 2873 | फिल्म स्टूडियो का बन्द होना | Closure of Film Studios | 2595 |
| 2874 | योजना आयोग के सदस्य | Planning Commission Members | 2595–2597 |
| 2875 | हथियारों की सप्लाई के लिये सऊदी अरब से पाकिस्तान की प्रार्थना | Pak. request to Saudi Arabia for Supply of Arms .. ... | 2597 |
| 2876 | अमरीका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी की गतिविधियां | C. I. A. Activities ... | 2597–2598 |
| 2877 | वैशाखी के त्यौहार पर सिख तीर्थ यात्रियों की पंजा साहिब की यात्रा | Visit by Sikh Pilgrims to Panja Sahib on Baisakhi ... .. | 2598 |
| 2878 | पाकिस्तान से सद्भावना शिष्ट मंडल | Goodwill Mission from Pakistan ... | 2598–2599 |
| 2879 | आयुध कारखानों में उत्पादन | Production in Ordnance Factories .. ... | 2599 |
| 2880 | हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में आग लगने की घटना | Fire in Hindustan Aeronautics Ltd., Kanpur .. | 2600 |
| 2881 | उड़ीसा में नये रेडियो स्टेशन | New Radio Stations in Orissa | 2600 |
| 2882 | विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against Officials of Indian Missions Abroad .. | 2600–2601 |
| 2883 | 'स्टेट्समैन' का सैनिक संवाददाता | Military Correspondent of Statesman | 2601 |
| 2884 | माउन्टेन डिविजन | Mountain Divisions | 2602 |

| अता. प्र. संख्या U. S. Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd. | | |
| 2885 | आगरा के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना / I. A. F. Plane Accident near Agra .. .. | 2602 |
| 2886 | पुनर्वास निदेशालय / Resettlement Directorate .. .. | 2602–2603 |
| 2887 | वायुसेना मुख्यालय में असैनिक कर्मचारी / Civilians in Air Headquarters ... | 2603 |
| 2888 | अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सैनिक कर्मचारी / Military Personnel in Andaman and Nicobar Islands .. ... | 2603–2604 |
| 2889 | पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता / US Military Aid to Pakistan .. | 2604–2605 |
| 2890 | अणु शक्ति / Atomic Energy | 2605 |
| 2891 | भारतीय विदेश सेवा / Indian Foreign Service ... | 2605 |
| 2892 | तारिक अब्दुल्ला का पासपोर्ट / Passport of Tariq Abdullah ... ... | 2606 |
| 2893 | गन एन्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर / Gun and Shell Factory, Cossipore ... .. | 2606–2607 |
| 2894 | जीवाणु तथा रासयनिक युद्ध / Germ and Chemical Warfare .. | 2607 |
| 2895 | फिल्म संस्था / Film Institute .. | 2607–2608 |
| 2896 | इल्मेनाइट का उत्पादन / Production of Ilmenite .. ... | 2608 |
| 2897 | अणु जनित्र (जनरेटर) / Atomic Generators .. .. | 2608–2609 |
| 2898 | आयुध कारखाना, मेरठ / Ordinance Factory, Meerut .. ... | 2609 |
| 2899 | फारमोसा के साथ सम्बन्ध / Relations with Formosa | 2609 |
| 2900 | भारतीय वायुसेना के वैमानिकों द्वारा हड़तालें तथा प्रदर्शन / Strikes and Demonstrations by IAF Airmen ... | 2610 |
| 2901 | रोडेशिया / Rhodesia | 2610 |
| 2902 | भारतीय सांख्यिकीय संस्थान / Indian Statistical Institute .. | 2610–2611 |
| 2903 | भारत में अफ्रीकी विद्यार्थी / African Students in India | 2611 |

| अता. प्र. संख्या/U.S.Q. Nos. | विषय Subject | पृष्ठ/Pages |
|---|---|---|
| प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd. | | |
| 2904 | सीमा सड़कें — Border Roads | 2611–2612 |
| 2905 | नेपाल, भूटान और सिक्किम की सहायता — Aid to Nepal Bhutan & Sikkim | 2612 |
| 2906 | मर्मागोआ में नौसेना का अड्डा — Naval Base at Marmagao | 2612–2613 |
| 2907 | सिक्कम और भूटान में चीन द्वारा अतिक्रमण — Chinese Intrusions into Sikkim and Bhutan | 2613 |
| 2908 | हिमाचल प्रदेश में मठों से मूल्यावान वस्तुओं की चोरी — Theft of Valuable Articles from Monasteries in Himachal Pradesh | 2613 |
| 2209 | रद्दी कागज के दाम — Prices of Waste Papers | 2614 |
| 2910 | संस्कृत के समाचार पत्र — Sanskrit Newspapers | 2614 |
| 2911 | लाल बहादुर शास्त्री स्मारक कोष — Lal Bahadur Shastri Memorial Fund | 2614–2615 |
| 2912 | सीरिया में भारतीय राजदूत — Indian Ambassador in Syria | 2615–2616 |
| 2913 | पेकिंग में भारतीय राजनयिक — Indian Diplomate in Peking | 2616 |
| 2914 | अमरीकी जहाज "औशनोग्राफर" — American Ship "Oceanographer" | 2616 |
| 2915 | सैनिक कर्मचारियों के वेतनमान — Pay scales of Armed Forces | 2616–2617 |
| 2917 | विदेशों में भारतीय मिशन — Indian Foreign Missions | 2617 |
| 2918 | टेलीविजन सम्बन्धी भगवन्तम समिति का प्रतिवेदन — Report of Bhagavantam Committee on Television | 2617–2618 |
| 2919 | लद्दाख में तिब्बती शरणार्थी — Tibetan Refugees in Ladakh | 2618 |
| 2920 | लद्दाख, कारगिल और लेह में रेडियो स्टेशन — Radio Stations in Ladakh, Kargil and Leh | 2618–2619 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2921 | आकाशवाणी पर लद्दाखी कार्यक्रम | Ladakhi Programme on A.I.R. ... ... | 2619 |
| 2922 | दक्षिण वियतनाम को तेल की सप्लाई | Supply of Oils to South Vietnam ... ... | 2619–2620 |
| 2923 | सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के वेतन आदि | Emoluments of Armed Forces Personnel ... | 2620–2621 |
| 2924 | राज पुरुस्कार के लिये फिल्में | Films for State Awards | 2621 |
| 2925 | आण्विक खनिज प्रभाग में वैज्ञानिक अधिकारी | Scientific Officers in Atomic Mineral Division ... ... | 2621–2622 |
| 2926 | इसराइल के साथ व्यापार के मामले में पाकिस्तान से विरोध पत्र | Protest from Pakistan Re. Trade with Isreal | 2622 |
| 2927 | यूरेनियम का निर्यात | Export of Uranium .. | 2622–2623 |
| 2928 | वायु सेना के मुख्यालय में आग लगने की घटना | Fire in Air Headquarters | 2623 |
| 2929 | पूर्वी अफ्रिका के लिये कार्यक्रम | Programme for East Africa .. | 2623 |
| 2930 | आकाशवाणी के दिल्ली तथा बम्बई केन्द्रों से गुजराती समाचारों का प्रसारण | Gujarati News Broadcast from A. I. R. Station at Delhi and Bombay ... | 2624 |
| 2931 | आकाशवाणी से समाचारों का प्रसारण | News Reading on A.I.R. | 2624 |
| 2932 | रिकार्ड किये गये भाषण | Recorded Speeches | 2624–2625 |
| 2933 | प्रतिरक्षा सेवाओं की पदस्थितियां बिल्ले तथा वर्दियां | Ranks, Badges and Uniforms of Defence Services .. .. | 2625 |
| 2934 | लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्य संचालन में मितव्ययिता | Economy in the Working of Indian High Commission in London .. .. | 2625 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2935 | अमरीका से हैलीकाप्टर विमान | Helicopters from U.S.A. .. | 2625–2626 |
| 2936 | फिल्म सेंसर बोर्ड | Film Censors Board | 2626 |
| 2937 | सहायता केडिट कोर | Auxiliary Cadet Corps .. .. | 2662 |
| 2938 | पंजाब के लिये सामुदायिक रेडियो सेट | Community Radio Sets for Punjab .. | 2626–2627 |
| 2939 | मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक | Ex-Servicemen in Manipur .. .. | 2627–2628 |
| 2940 | पश्चिमी जर्मनी में भारतीय नागरिक | Indians in West Germany | 2628–2629 |
| 2941 | भारत को विदेशों में बदनाम करने का पाकिस्तान का प्रयास | Pak. Attempt to Malign India Abroad | 2629–2630 |
| 2942 | महाराष्ट्र में आयुध कारखानें | Ordnance Factories in Maharashtra | 2630 |
| 2943 | चीनी नागरिकों का सिक्किम के रास्ते भारत में प्रवेश | Entry of Chinese Nationals in India through Sikkim | 2630 |
| 2944 | प्रादेशिक भाषाओं के लिये आकाशवाणी के नये केन्द्रों की स्थापना | Opening of New Radio Stations for Regional Languages .. | 2630–2631 |
| 2945 | टेलीविजन | Television | 2631–2632 |
| 2946 | गोआ में पणजी में शक्तिशाली ट्रान्समिटर | Powerful Transmitter at A. I. R. Panaji-Goa ... | 2632 |
| 2947 | आकाशवाणी के पणजी गोआ केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या | Number of Employees at A. I. R. Panaji Goa ... .. | 2632 |
| 2948 | गोआ में भूतपूर्व पुर्तगाली सेना के भूतपूर्व सैनिक | Ex-servicemen of Former Portuguese Army in Goa .. .. | 2632–2633 |
| 2949 | संयुक्त राष्ट्र आपात सेना में भारतीय सैनिक | Indian Soldiers in U. N. E. F. | 2633 |

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.


| | | |
|---|---|---|
| 2950 पाकिस्तान से तीर्थ यात्री | Pilgrims from Pakistan | 2633–2634 |
| राज्य सभा से सन्देश | Message from Rajya Sabha | 2634 |
| कम्पनी न्यायाधिकरण (उत्सा दन) विधेयक | Companies Tribunal (Abolition) Bill | |
| राज्य सभा द्वारा पारित रुप में | As Passed by Rajya Sabha | 2634 |
| सभापति तालिका | Panel of Chairmen | 2634–2635 |
| सरकारी आश्वासनों संबन्धी समिति | Committee on Government Assurances | 2635 |
| पहिला प्रतिवेदन | First Report | 2635 |
| निदेश 115 (1) के अन्तर्गत वक्तव्य | Statement under Direction 115 (1) .. | 2635–2636 |
| नक्सलबाड़ी की स्थिति | Situation in Naxalbari .. | 2635 |
| श्री ही. ना. मुकर्जी | Sbri H. N. Mukerjee | 2635 |
| श्री यशवंतराव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan .. | 2635–2636 |
| विधेयक पुरस्थापित | Bills Introduced | |
| (1) आध्र प्रदेश तथा मैसूर (राज्य क्षेत्र का हस्तांतरण) विधेयक; | (1) Andhra Pradesh and Mysore (Transfer of Territory) Bill ... | 2636 |
| (2) लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक | (2) Iron Ore Mines Labour Welfare Cess (Amendment) Bill .. | 2636–2637 |
| चीन में भारतीय राजदूतावास के बारे में पार-पत्र विधेयक | Re. Indian Embassy in China | 2637 |
| पारपत्र विधेयक जारी | Passports Bill could | 2637–2647 |
| विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रुप में | Motion to Consider as Passed by Rajya Sadha | |
| श्री श्रद्धाकर सूपकार | Shri Sradhakar Supkar | 2637 |
| श्री मी. रू. मसानी | Shri M. R. Masani | 2638 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| श्री क नारायण राव | Shri K Narayana Rao | .. | 2639 |
| श्री आ. ना. मुल्ला | Shri A. N. Mulla | | 2640 |
| श्री कन्डप्पन | Srhi S. Kandappan | | 2640 |
| श्री विक्रम चन्द | Shri Vikram Chand | | 2641 |
| श्री क. मि. मधुकर | Shri K. M. Madhukar | | 2641–2642 |
| श्री अ. सि. सहगल | Shri A. S. Saigal | | 2642 |
| श्री विश्वनाथ मेनन | Shri Viswanatha Menon | | 2642-2643 |
| श्री दी. च. शर्मा | Shri D. C. Sharma | | 2543 |
| श्री राम सेवक यादव | Shri Ram Sewak Yadav | | 2643 |
| श्री दत्तात्रेय कुंटे | Shri Dattatraya Kunte | | 2644 |
| श्री रा. ढो. भंडारे | Shri R. D. Bhandare | | 2644 |
| श्री श्रीनिवास मिश्र | Shri Sriniwas Misra | ... | 2644–2645 |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथन | Shri Tenneti Viswanathan | | 2645 |
| श्री चन्द्रजीत यादव | Shri Chandrajeet Yadav | .. | 2645 |
| श्री शंकरानन्द | Shri S. Shankaranand | | 2646 |
| श्री सुरेन्द्रपाल सिंह | Shri Surendra Pal Singh | | 2646–2647 |
| खंड 2 से 11 | Clause 2 to 11 | .. | 2649–2656 |
| **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance. | | |
| पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास को चानियों द्वारा घेरा जाना और भारत चीन के संबंधों का गंभीर रुप से बिगड़ना | Indian Embassy in Peking and serious deterioration in India and China Relations. | .. .. | 2656–2660 |

389 (शक) का शुद्धि-पत्र

---

---

ान पर '(समाप्ति)' पढ़िये ।

के स्थान पर ' contd '

ian से

व्द भी पढ़िये ।

श्री शिवाजी राव टी.

जी राव शं.देशमुख 'पढ़िये ।

पादन ) के स्थान पर

ाम 'श्री का.भी.भण्डारे

'पढ़िये ।

# लोक-सभा
## LOK SABHA

सोमवार, 19 जून, 1967/29 ज्येष्ठ, 1889 (शक)
*Monday June* 19, 1967/*Jyaistha* 29, 1889 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. SPEAKER *in the Chair* ]

## निधन सम्बन्धी उल्लेख
## OBITUARY REFERENCE

**अध्यक्ष महोदय** : मैं सभा को श्री अवदेश प्रताप सिंह के दुःखद निधन की सूचना देता हूं। उनका निधन 7 जून, 67 को हुआ। उस समय उनकी आयु 79 वर्ष थी। कैप्टिन अवदेश प्रतापसिंह 1949–52 तक भारत की संविधान सभा और अन्तरिम संसद् के सदस्य थे।

हमें अपने इस मित्र की मृत्यु पर हार्दिक दुख है और मुझे आशा है कि मेरे साथ सभा भी सन्तप्त परिवार के साथ शोक प्रकट करने में शामिल होगा।

दुख प्रकट करने के लिये सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े हो जायें।

(इसके पश्चात सदस्य कुछ समय के लिये मौन खड़े हुए)
(The members then stood in silence for a short while)

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या 571, श्री मधु लिमये।

**Shri Madhu Limaye** : Mr, Speaker before asking this question I would bring to your notice that those Chinese Embassy personnel who have been admitted in the Willingdon Hospital, have been creating a scene there. It is a very serious matter. When I told the other day that there had been Mae's Rule in Delhi, serious objection was raised from the other side. Whether you are aware that they are hanging the photos of Mao in the Hospital.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानता हूँ । मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है ।

**Mr, Madhu Limaye** : Then you tell the Prime Minister that this is our own country and there in Delhi and is own Government.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि मुझे कम से कम 110 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्राप्त हुए उनमें से अधिकांश इसी विषय पर हैं । चीन और भारत में घटी घटनाओं के कारण ऐसा होना स्वाभाविक ही है । अतः मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं मंत्री महोदय से यह कहूं कि वह प्रश्न काल के बाद इस विषय पर एक विस्तृत वक्तव्य दें । यह इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि चीन में उद्जन बम का विस्फोट किया गया है और अस्पताल में भी कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं ।

**श्री हेम बरूआ** : मेरे विचार से आपको विलिंगडन अस्पताल के डाक्टरों को बधाई देनी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मै आपसे पूर्णतया सहमत हूँ । मैं भी इसी प्रकार सोच रहा था । हम पहले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इसके पश्चात ध्यान आकर्षण प्रस्तावों पर ।

मैं स्वयं मंत्री महोदय को इस विषय पर वक्तव्य देने का सुझाव दूंगा । प्रत्येक व्यक्ति घटनाओं के विषय में जानने के लिये उत्सुक है । चीनियों को आज सांय तीन बजे तक का समय दिया गया था । अतः हम इस सम्बन्ध में 5, 5.30 या 6 बजे तक कुछ न कुछ सुनना चाहेंगे । समस्त देश यह जानने के लिये उत्सुक है कि तीन बजे तक क्या होगा । अतः मैं स्वयं ही मंत्री महोदय से निवेदन करने वाला था कि वह इस सम्बन्ध में 5.30 या 6.00 बजे अपना वक्तव्य दें ।

**श्री शशिरंजन** : हमें समय की अवश्य सूचना मिलनी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको सूचित कर दूंगा ।

**प्रतिरक्षा मंत्री** : (**श्री स्वर्णसिंह**) सभा के उठने से पहले मैं अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करूंगा ।

**श्री शशिरंजन** : यह 6 बजे हो जाये ।

**श्री स्वर्णसिंह** : यह तो सभा की सुविधा पर निर्भर करेगा ।

**अध्यक्ष महोदय** : तीन बजे तक का समय दिया गया है और फिर उन्हें चीन से भी सूचना प्राप्त करनी है । मैं इस बात पर ध्यान दूंगा कि यह कब तक दिया जा सकता है ।

# प्रश्नों का मौखिक उत्तर

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### तिब्बत

+

*571. श्री मधु लिमये :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेंडीज :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक ऐसा संकल्प प्रायोजित करने का है जिसमें चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बत में मानवीय अधिकारों तथा स्वाधीनता का हनन किये जाने के विरुद्ध विरोध प्रकट किया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने दलाई लामा के ब्यूरो को स्वतंत्र तिब्बत की निर्वासित सरकार के रूप में मान्यता देने के प्रस्ताव पर कुछ विचार किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** (क) इस समय ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : तिब्बत के विषय में नीति निर्धारित करते समय हमने विभिन्न पक्षों को ध्यान में रखा है । इस नीति के अनुसार दलाई लामा को उनके भारत प्रवास के दौरान कोई राजनीतिक दर्जा नहीं दिया जाना है । हम थोड़े-थोड़े समय बाद अपनी नीति पर बराबर विचार करते रहते हैं और परिस्थितियों की रोशनी में इस पर फिर विचार किया जायेगा ।

**Shri Madhu Limaye :** So far as the economic aid is concerned this Government depends upon America. In connection with some foreign policies it has been the slave of Russia I want to know whether the Government have considered the Russian policy with regard to Mangolia. As I told the other day that the Russia has admitted the soveriengnity of China on Mangolia in 1924. But there was this sentence in the agreement made between Rosevelt and station at Malta.

"The status quo in outer Mangolia shall be preserved".

It means that with the help of this agreement Russia obtained the consent of America and Red China and got the independence of Mangolia admitted.

At the first instance in 1924 it admitted the soveriegnity of China on Mangolia, but afterwards in Yalt it had asked the whole world to get the independence of Mangolia admitted. This Government have also committed the same mistake with regard to Tibet. As this Government have been a great follower of Russia and Russia has changed its policy with regard to Mangolia, this Government would also change its policy with regard to Tibet and would declare it independent.

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्णसिंह)** : यह कहना गलत है कि हम अपनी विदेश नीति के सम्बन्ध में किसी देश का अनुसरण करते हैं । यह हमारी स्वतन्त्र नीति है । किसी भी

माननीय सदस्य द्वारा यह कहना कि हम अपनी अन्तर्राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में किसी देश का अनुसरण कर रहे हैं, उचित नहीं है। तिब्बत के सम्बन्ध में पूछा गया प्रश्न इस बात पर आधारित है कि रूस ने मंगोलिया के सम्बन्ध में विशेष नीति अपनायी है अतः हमें भी तिब्बत के सम्बन्ध इसी प्रकार की नीति का अनुसरण करना चाहिये। तिब्बत के सम्बन्ध में नीति निर्धारित करते समय हमें अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना चाहिये और दूसरे देशों द्वारा किसी और समस्या पर अपनायी गई नीति का अनुसरण नहीं करना चाहिये।

**Shri Madhu Limaye** : Mr. Speaker, China is alleging continuously that the Indian Government has been favouring the Tibet's independence. But it is not so, according to the information given by the hon. Minister. Similarly, Chinese Government alleges that we are adopting the policy of two red China's and are giving recognisation to both Formosa and China. In fact this Government is not doing like that. China is also accusing that the Indian revolutionarists, American imperialists and Russian reformists are entering into a sacred agreement against China. I want to know from the hon. Minister whether the Government have been perform ing all those activities or would try to perform those activities as accused by China.

**श्री स्वर्णसिंह** : यह प्रश्न तिब्बत से सम्बन्धित है। इसका सम्बन्ध चीन से सम्बन्धित विदेशी नीति के अन्य मामलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

**Shri Madhu Limaye** : It is related to that. Is not the question of foreign poiicy involved with regard to Tibet ?

**श्री स्वर्णसिंह** : वे प्रश्न तिब्बत से सम्बन्धित नहीं है। तिब्बत के सम्बन्ध में हमारी स्थिति पहले ही स्पष्ट की जा चुकी है।

**Shri Madhu Limaye** : Hon. Minister has not at all answered my question. China has been accusing that India is indulging in these three activities-favouring Tibet's independence, following two-China policies and entering into a sacred agreement with American imperialists and the Russian reformists against China.

When China is accusing us for these three activities, why do not we do them in actual practice ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : यदि कोई व्यक्ति या देश किसी देश के विरुद्ध कोई आरोप लगाता है तो इसको सिद्ध करने के लिये हमें देश में वैसी ही नीति अपनानी चाहिये यह एक विचित्र सुझाव है। हमारी विशेष नीति के अनुसरण के सम्बन्ध में चीन द्वारा लगाये गये आरोपों से हमें घबराना नहीं चाहिये। माननीय सदस्य महोदय ने भी प्रश्न पूछते समय यह कहा था कि यह कहना ठीक नहीं है कि हम ऐसी नीति का अनुसरण कर रहे हैं।

**Shri Madhu Limaye** : We should follow. If the Government had followed that policy we would have praised it. It is a very good gesture.

**श्री स्वर्ण सिंह** : अतः यदि कोई देश इस बात का आरोप लगाता है कि हम विशेष नीति का अनुसरण कर रहे हैं, तो यह उसकी चाल हो सकती है कि हम उस नीति का अनुसरण करें। मुझे दुःख है कि हम ऐसा नहीं कर सकते।

Shri George Fernandes : Hon. Minister has stated that Govt. are not prepared to give recognisation to the Bureau of Dalai Lama working in India in the form of Tibetan Government, I mean to say whether the ban restrictions on his speeches would be removed and he would be permitted to express himself freely with regard to political situation in Tibet ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं यह स्वीकार नहीं करता कि दलाई लामा पर भाषण देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध है। उन्होंने बहुत से भाषण दिये हैं। प्रतिबन्धों का लगाया जाना एक बात है और मांगी गई सुविधाओं का प्रदान करना दूसरी बात है।

Shri George Fernandes : I want your help. I mean to say that Dalai Lama could not say anything with regard to Tibet's political matter. He could not express his words on any matter before getting it censured. I want to know whether the Government would give him the freedom to express himself on the matter relating to Tibet's political problems.

**श्री स्वर्ण सिंह** : में यह बात स्वीकार नहीं करता कि इस प्रकार का सेन्सर किया जाता है। परन्तु कोई भी व्यक्ति चाहे वह कोई भी क्यों न हो जब वह किसी देश में शरण लेता है तो उसे उस देश में प्रचलित उन आदर्शों का पालन करना होता है जो इस देश में शरण लेने वालों को करने होते हैं (अन्तर बाधाएं)।

यदि वह बोलना चाहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

किसी देश में शरण लेने वाले व्यक्ति के लिये यह सामान्य आचार की बात है कि वह ऐसी गतिविधि में भाग न लें जो उसके विचार से और जिस देश में उसने शरण ली है इसके विचार से सरकार को दैयनीय स्थति में कर दें। इसी सामान्य आचार का अनुसरण किया जाता है। दलाई लामा की गतिविधियों पर कोई विशेष प्रतिबन्ध नहीं है। वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है और हमने उन्हें शरण दी है।

हमें इसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिये और जोश में नहीं आना चाहिये।

**श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान चीनी शासन भारत के विरुद्ध जानबूझकर अक्रामकता और शत्रुता की नीति अपना रहा है और हाल में चीन की राजधानी में भारतीय दूतावास के राजनयिकों पर हजारों चीनियों द्वारा पत्थरों को फेंके जाने का .....

**अध्यक्ष महोदय** : यह बिल्कुल भिन्न प्रश्न है। मैं चीन के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिये उनसे निवेदन कर चुका हूं।

**श्री कृष्ण कुमार चटर्जी** : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार तिब्बत के प्रश्न पर फिर से विचार करने के लिये तैयार है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह सम्बद्ध मामला नहीं है।

**Shri Atal Behari Vajpayee** : Mr. Speaker, according to our agreement with China, it promised to respect Tibet's antonomy. Whether it is not a fact that Communist China has finished Tibet's autonomy ? Whether it is not a fact that lakhs of Chinese are being rehabilitated in Tibet ? They are marrying the women of Tibet by force and today they want to reduce the number of Tibetans in Tibet. Taking into consideration that China have not followed the treaty whether the Government would announce that treaty has been broken and now India has got the right to reconsider in the matter of Tibet.

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह सच है कि तिब्बत की स्वायतत्ता के आदर करने के वचन का चीन की लोकतंत्र सरकार ने कभी भी पालन नहीं किया। विपक्षी दलों के सदस्य द्वारा यह कहना कि यह चीन द्वारा किया गया मानवीय अधिकारों का हनन है, वास्तव में ठीक है इसीलिए पिछली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हमने तिब्बत के मानवीय अधिकारों के मामले का समर्थन किया और हमने इस प्रस्ताव का समर्थन किया जो अन्त में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मंजूर कर लिया गया। जहां तक चीन से हुई सन्धि को उस आधार पर तोड़ने का सम्बन्ध है उसके लिये, मेरे विचार से अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है कि हम चीन से हुई सन्धि को तोड़ें।

**श्री रा० बरूआ** : भारत और चीन के आज चाहे कुछ भी सम्बन्ध क्यों न हों, भारत ने तिब्बत पर चीन की प्रभुत्ता को स्वीकार किया है। अतः विश्व के मामलों के प्रसंग में भारत के लिये क्या यह उचित होगा कि वह तिब्बत के मामले पर उत्तेजित हो, जो कि चीन का अपना ही आन्तरिक मामला।

**श्री स्वर्ण सिंह** : यह अपना विचार है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि यदि मानवीय अधिकारों का हनन होता है तो उस देश की और देश या अपने ही देश के किसी भाग की प्रभुता का ध्यान नहीं रखा जाता और उस ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करना चाहिये। मानवीय अधिकारों का हनन किया गया है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित होता है और होना चाहिये।

**श्री उमा नाथ** : दलाई लामा के प्रशासन काल में तिब्बत में लामाओं को यह अधिकार प्राप्त थे कि वह बिना कानूनी कार्यवाही के किसी भी व्यक्ति के हाथ, या शरीर का कोई अंग काट सकते थे या उनको हत्या कर सकते थे। जब सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ के पिछले सत्र में मानवीय अधिकारों के प्रस्ताव का समर्थन किया तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने लामाओं के उन अधिकारों का समर्थन नहीं किया जो उन्हें इसके द्वारा फिर से प्राप्त हो जायेंगे और क्या इसी कारण वश भारत के अतिरिक्त और तटस्थ देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : तिब्बत में पहले प्रचलित ऐतिहासिक अधिकारों के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। परन्तु हम इस बात से पूर्ण संतुष्ट थे कि तिब्बतियों के मानवीय अधिकारों का हनन किया जा रहा था। हमने पूरी तरह सोच विचार कर ही संयुक्त राष्ट्र संघ में इस अभियान का समर्थन किया था और तिब्बत में की जाने वाले मानवीय अधिकारों के हनन की ओर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित कराया था। किसी के शरीर का कोई अंग इत्यादि काट देने का मानवीय अधिकारों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**श्री उमा नाथ** : बिना कानूनी कार्यवाही के शरीर का कोई अंग काट देना क्या मानवीय अधिकारों का हनन करना नहीं है ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : मानवीय अधिकारों का विस्तार उस सीमा तक नहीं होगा। हम उनको फिर से लागू नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य चाहे जो भी ठीक समझे या समझते हैं।

हमारे लिये यह आवश्यक नहीं है कि हम उस पर चर्चा करें। इस समय चीन द्वारा तिब्बतियों के मानवीय अधिकारों के हनन करने से सम्बन्धित मामला है और हमने उस पर अपना रुख अपनाया है।

**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय वैदेशिक कार्य मंत्री ने सरसरी तौर पर मानवीय अधिकारों का उल्लेख किया है और बातों के अलावा मानवीय अधिकार प्रत्येक मनुष्य के अपने अपने पूजा करने के तरीकों पर भी लागू होते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या पूजा करने के प्रश्न पर भी, जिसे चीन द्वारा अधिपत्य के बाद, तिब्बती जनता को मना कर दिया गया था, भी विचार किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर भी विचार किया गया था कि तिब्बत के मठों से लूटा गया सोना हांगकांग में शस्त्र और गोला बारूद खरीदने, अणु अस्त्र प्रेक्षापणास्त्र और एटम बम तथा अन्य वस्तुएं बनाने के लिये प्रयोग किया जा रहा था।

**श्री स्वर्ण सिंह** : इस प्रश्न के लिये सूचना दी जाने की आवश्यकता होगी।

**श्री हेम बरुआ** : पेकिंग रेडियो ने 10 जून को रात्रि 8.45 के अपने हिन्दी प्रसारण में भारतीय क्रान्तिवादियों को सम्बोधित कर कहा कि भारतीय प्रतिक्रियावादियों के टुकड़े टुकड़े कर दिये जायेंगे और उनके रक्त से गंगा का जल लाल कर दिया जायेगा। शायद हम आप चीन की दृष्टि में प्रतिक्रियावादी हैं, और हमारे रक्त से ही गंगा का जल लाल करने का उनका इरादा है।

**Shri Madhu Limaye** : Why have you forgotten Shri Dange ?

**श्री हेम बरुआ** : औह, वह यहां पर हैं। मैंने पहले उन्हें नहीं देखा। वह भी एक प्रतिक्रियावादी है।

**श्री श्री० अ० डांगे** : क्या माननीय सदस्य अपने लिये 'प्रतिक्रियावादी' की उपाधि स्वीकार करते हैं ?

**श्री हेम बरुआ** : में नहीं करता हूं, परन्तु उनका ऐसा तात्पर्य है।

**श्री श्री० अ० डांगे** : वह डरते क्यों हैं ?

**श्री हेम बरुआ** : हम नहीं डरते हैं और मैं समझता हूं आप भी इससे नहीं डरते हैं। परन्तु वर्तमान गतिविधियों के संदर्भ में और नागालैंड मिजो पहाड़ियों और नाक्सलवाड़ी में चीन द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप की पृष्ठ भूमि में क्या सरकार तिब्बत के

मसले पर पुनः विचार करना चाहती है और दक्षिण-पूर्व एशिया में दलाई लामा के राजनीतिक उद्देश्य में उसकी सहायता करना चाहती है ? दलाई लामा, संयुक्त राष्ट्रसघ में अपने प्रस्ताव पर राजनीतिक समर्थन प्राप्त कराने के लिये दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों को जा रहे है । क्या सरकार उनको सहायता देने जा रही है अथवा नहीं ?

**श्री बलराज मधोक :** हम इस मामले में विशिष्ट उत्तर चाहते हैं ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** में बहुत विशिष्ट उत्तर दूंगा । प्रश्न के पहले भाग में बहुत सी बाते उठाई गई है और उन सबका खण्डन करना मेरा काम नहीं है । उनका फैसला वह विपक्ष के उन सदस्यों से कर लें जिनको चीनी रेडियों द्वारा प्रतिक्रियावादियों के टुकड़े करने के लिये कहा गया था । चीनी उग्रवादियों के इस वाद प्रतिवाद को सुनने की हमें आदत नहीं है । मैं समझता हूं कि सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसकी और ध्यान ही नहीं दिया जाये । हमें चीनियों द्वारा दिये जाने वाले प्रसारणों से अनावश्यक रुप से चिन्तित नहीं होना चाहिये ।

यदि दलाई लामा अन्य देशों की यात्रा करना चाहते हैं तो हम उनके मार्ग में कभी बाधक सिद्ध नहीं हुए है और जब वह किसी दूसरे देशों में हो तो यह उनकी इच्छा और उन देशों की नीति पर निर्भर करता है कि वे क्या कार्यवाही करना चाहते हैं । परन्तु यह स्पष्ट है कि हम यह नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति जो यहां पर शरण चाहता हो वह राजनीतिक प्रयोजनों के लिये हमारे देश का प्रयोग करे । हम इस मामले पर बिल्कुल स्पष्ट हैं, और इसपर गलतफहमी नहीं होनी चाहिये । तिब्बत के मसले के प्रश्न पर जब यहां इस प्रकार का अस्पष्ट प्रश्न उठाया जाता है कि इस मामले पर हमें पुर्नविचार करना चाहिये, तो मेरी समझ में नहीं आता कि इससे उनका क्या अर्थ है । विशिष्ट उत्तर देने से पूर्व मै जानना चाहता हूं कि आप पुर्न विचार किस विशिष्ट प्रश्न पर चाहते हैं । तिब्बत के सम्बन्ध में हमारी नीति समय समय पर रखी गई है । एक अवसर पर मुझे याद है श्री चागला ने, जब वह विदेशी मामलों के कार्यभारी थे तो कहा था कि ये सब बातें हमेशा सरकार के सामने रहती हैं और हम निरन्तर रूप से इस बात पर ध्यान देते रहते हैं कि क्या नीति अपनाई जाये, परन्तु इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं कहा ।

**Shri Madhu Limaye :** Not this, but he said that Government would reconsider the issue,

**श्री स्वर्ण सिंह :** श्री चागला पहले जो कुछ कह चुके हैं उससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

**श्री हेम बरुआ :** यह उन्होंने राज्य सभा में कहा था, यहां नहीं ।

**श्री शिवाजी राव टो० देशमुख :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तथा कथित चीन-भारत सधि, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है बहुत पुरानी हो गई और उसका अब कुछ भी शेष नहीं रहा है सरकार तिब्बत के सम्बन्ध में सम्पूर्ण चीन–भारत सम्बन्धों पर पुनः विचार क्यों नहीं करती ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैंने जो कुछ कहा है उसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है ।

**अध्यक्ष महोदय :** चागला जो उत्तर दे चुके हैं, यह नहीं कह सकते हैं ।

**कुछ माननीय सदस्य :** उठे

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप सब कृपया बैठ जाओगे ? यदि आप चाहते है तो मुझे प्रत्येक सदस्य को बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

**श्री ह० प० चटर्जी :** मुझ पर आपकी नज़र पड़ गई थी ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप मेरी निगाह पड़ गई थी, परन्तु दुर्भाग्य से एक समय में प्रत्येक सदस्यों को नहीं बुला सकता ।

**श्री ह० प० चटर्जी :** मैं 1951 में तिब्बत में था इसलिये मुझे एक प्रश्न पूछ लेने दीजिये ।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री चागला पहले जो कुछ कह चुके हैं उसके अतिरिक्त श्री स्वर्ण सिंह कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं । उनका यह कहना स्वाभाविक ही है कि वह केवल उसी को दोहरा सकते हैं जो श्री चागला ने कहा है । अतः प्रश्नों और उत्तरों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है । इस प्रश्न को हम 25 मिनट पहले ही दे चुके हैं, यदि आप 25 मिनट और देना चाहते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है ।

**श्री श्रीचन्द गोयल :** मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आपने कहा कि श्री चागला ने पहले जो कुछ कहा है, मंत्री महोदय उससे अधिक कुछ कहने की में स्थिति में नहीं हैं । क्या उनका यह कर्तव्य नहीं हैं कि वह प्रश्नों का उत्तर देने के लिये तैयार होकर आये ?

**अध्क्षक्ष महोदय :** वह पूरी तरह तैयार हैं ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि प्रश्न तैयारी की कमी का नहीं है, परन्तु इस बात का कि प्रश्नकाल का उपयोग जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, नीति में परिवर्तन करने के लिये नहीं मैंने जो कुछ कहा है वह यह है कि एक नीति सम्बन्धी निर्णय किया गया है और श्री चागला ने उसका स्पष्टीकरण किया है । वह नीति अब भी चल रही है ।

**श्री नाथपाई :** हमारा विश्वास था कि भारत सरकार की विदेश नीति का एक मुख्य मद संसार के किसी भी भाग में जहां पर लोग विदेशी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर रहे है, राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिये संघर्ष का समर्थन करना था । श्री स्वर्ण सिंह ने अभी अभी इस देश की नीति को तिलाजंली दे दी है । इस देश को उन सभी लोगो का समर्थन करना चाहिये जो अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ते हैं । क्या हम यह समझे कि इस दिशा में भारत की नीति में आमूल परिवर्तन आ गया है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** जिस नीति के बारे में माननीय सदस्य बोले हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है । यहा हमें भेद करने की आवश्यकता है । किसी देश के एक प्रदेश और वहां की

केन्द्रीय सरकार के बीच संघर्ष होता है और एक प्रदेश के लोगों और दूसरे प्रदेश के बीच भी संघर्ष होता हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह उन दोनों को न उलझाएं

**Shri Yaspal Singh:** Sir, I want to raise a point of order. Why the Congress Members are putting questions when the policy had been framed by their party and why do they not go to Tibet and fight for their rights dare ?

**अध्यक्ष महोदय :** इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह सरकार देश के लिये है न कि कांग्रेस दल के लिये।

**Shri Kamal Nayan Bajaj :** We have been having cultural, geographical and Hostorical affinity with Tibet. May I know the extent to which these ties have undergone change in recent times ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं नही समझता कि उन्होंने कोई जानकारी मांगी है।

**Shri Kamal Nayan Bajaj :** I want to clarify it. I have been mis under-stood.

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया बैठ जाये। मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है।

**श्री ह० प० चटर्जी :** 1951 में जब चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया तो मैं उस समय तिब्बत में ही था। उस समय तिब्बत के बहुत से लोगों ने मुझ से पूछा संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधि होने पर तुम्हें क्यों आपत्ति है जब कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल का प्रतिनिधि है। उन्होंने कहा हम आपकी तरह बायें से दायें लिखते हैं और आपकी तरह पूजा पाठ करते हैं जब कि चीन के साथ हमारी कोई रीति नहीं मिलती है। जब कि चीन ने तिब्बत की स्वतन्त्रता के बारे में अपना वचन पूरा नहीं किया है, क्या सरकार तिब्बत के लोगों के लिये लड़ेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ में उसको प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयत्न करेगी ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैं जानना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने उस प्रश्न का तिब्बत के लोगों को क्या उत्तर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का काम लोगों की इच्छाओं को पूरा करना नहीं है चाहे वे इच्छाएं कितनी भी सर्वोपरि क्यों न हो। संयुक्त राष्ट्र संघ में सरकारों को ही प्रतिनिधित्व दिया जाता है और जब तक कोई सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ को अभ्यावेदन नहीं देती तब तक संयुक्त राष्ट्र संघ उसपर विचार नहीं करता।

**श्री रा० ढो० मण्डारे :** क्या दलाई लामा को इस देश में एक प्रभुता सम्पन्न देश के प्रमुख के रूप में समझा जाता है जिसने कि इस देश से शरण ली है और क्या इस रुप में उनको सुविधाएं दी जाती है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** जी, नहीं। उन्होंने एक प्रभुत्व सम्पन्न देश के प्रमुख के रूप में यहा शरण नहीं ली है।

**श्री बलराज मधोक :** क्या माननीय मंत्री को पता हैं कि तिब्बत एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में 2,500 वर्ष तक विद्यमान रहा है। जब भारत पर तुर्कों का शासन था तो उस समय थोड़े समय के लिये तिब्बत पर चीन का शासन था। क्या उसका अर्थ यह है कि तुर्की या पाकिस्तान का अंग है।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपना प्रश्न पूछिये ।

**श्री बलराज मधोक :** मैं यह जानना चाहता हूं कि संधि का खण्डन करने के लिये तैयार है ; उन्होंने कहा कि संधि का उल्लंघन किया गया है । संधि में एक महत्वपूर्ण चीज़ यह थी कि तिब्बत की स्वायतता का आदर किया जायेगा और उसी का उब्लंघन किया गया है । क्या तिब्बत के लोगों को अपने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ने का अधिकार देने और संधि का खण्डन करने के लिये सरकार तैयार है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** वही प्रश्न दोहराया गया है । आप प्राध्थापक है और आपने अधिक इतिहास पढ़ा होगा । मैंने भी थोड़ा इतिहास पढ़ा है । हमारी नीति इन सभी ऐतिहासिक घटनाओं को ध्यान में रख कर बनाई गई है और उसी के आधार पर हमने निर्णय किया था ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** सरकार की नीति यह प्रतीत होती है कि चाहे कुछ दुर्भाग्य पूर्ण घटनाए हो जायें फिर भी सरकार दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी—उदाहरणार्थ इन्डोनेशिया में 5 लाख लोगों को साम्यवादी होने के सन्देह पर मौत के घाट उतार दिया गया था । इसको ध्यान में रखते हुए चूंकि तिब्बत में प्रतिकारी तरीकों द्वारा सामन्ती धर्म तन्त्रात्मक शासन को बदलने का प्रयत्न किया गया है और हो सकता है कुछ दुखद घटनाएं हो गई हों, हम इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की बात क्यों सोचते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के नाज़क संतुलन को क्यों खराब करते हैं जब कि वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा नहीं करना चाहिये ?

**श्री स्वर्णसिंह :** मेरा यह निवेदन है कि कुछ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का होना एक बात है और मानवीय अधिकारों का निरन्तर रूप से हनन दूसरी बात है । हम कुछ घटनाओं की तो अवहेलना कर सकते हैं, परन्तु हमें मूलभूत अधिकारों के हनन की अवहेलना नहीं करनी चाहिये ।

**भारत के सहयोग से ईरान में इस्पात कारखाना**

+

***572. श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री ना० स्व० शर्मा :**
**श्री शारदा नन्द :**
**श्री अटल बिहारी बाजपेयी**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि भारत के सहयोग से ईरान में एक इस्पात कारखाना स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किस रूप में तथा कितनी सहायता दी जा रही है तथा उसकी शर्तें क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस सहायता का प्रस्ताव करते समय सैनिक मामलों में पाकिस्तान के साथ ईरान के सम्बन्धों पर भी विचार किया था ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

**Shri A, B. Vajpayee :** May I know whether any talks have been held in this regard and whether we intend to set up any plant in Iran ?

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** भारतीय सहयोग से इस्पात संयत्र स्थापित करने के लिये ईरान सरकार ने हमसे सीधे रुप से कुछ नहीं कहा है। बात यह है कि रूस के सहयोग से एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिये ईरान रूस से बातचीत कर रहा है। गतवर्ष उन्होंने हमसे पता किया था कि क्या हम उनको तकनीकी जानकारी, प्रबन्धक गण और तकनीशन देना चाहेंगे, गत वर्ष उनके इंजीनियर यहां आये थे, उन्होंने हमारे इस्पात संयंत्र देखे और वे बड़े प्रभावित हुए थे। मामला वहीं पर ठहरा हुआ है। रूस से उनकी बातचीत समाप्त होने पर वे हमसे फिर बातचीत करेंगे।

**भारत स्थित अमरीकी राजदूत का वक्तव्य**

\+

*573. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री राम कृष्ण गुप्त**
**श्री अ० क० गोपालन :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
**श्री रमानी :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत स्थित अमरीकी राजदूत के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जो 'अमरीकन रिपोर्टर' में प्रकाशित हुआ है और जिसमें भारत को अमरीकी सहायता की आलोचना भारत के कुछ राजनैतिक दलों द्वारा की जाने के बारें में उन दलों पर आक्षेप किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) :** (क) भारत में अमरीकी राजदूत ने विभिन्न विषयों पर 'अमेरिकन रिपोर्ट' में जो लेख प्रकाशित करवाए हैं, उनके बारे में हमें मालूम हैं लेकिन हमारे देखने में कोई ऐसा लेख नहीं आया है, जिसमें भारत की किसी राजनीतिक पार्टी पर आक्षेप किया गया हो।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या मैं यह जान सकती हूं कि 'एम्बैसेडर रिपोर्ट' शीर्षक के अन्तर्गत 'अमेरिकन रिपोर्टर' में 26 अप्रैल को प्रकाशित रिपोर्ट की ओर आपका ध्यान दिलाया गया है जिसमें हमारे देश के साम्यवादियों द्वारा अनुसरण की गई नीतियों की आलोचना की गई है।

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** 'अमेरीकन रिपोर्टर' में प्रकाशित लेख को मैंने देखा है। उप-मंत्री ने अमेरीकन रिपोर्टर में प्रकाशित लेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन के बाद ही वह वक्तव्य दिया है।

**श्री रामकिशन गुप्त :** क्या मैं उन राजनीतिक दलों के नाम जान सकता हूं जिनका इस लेख में उल्लेख किया गया है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** किसी राजनातिक दल का इसमें जिक्र नहीं किया गया है ।

**श्री उमा नाथ :** पांच स्थानों पर उस लेख में साम्यवादियों का उल्लेख किया गया है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि उस लेख में यह उल्लेख किया गया है कि साम्यवादी भारत को प्राप्त खाद्य सहायता की आलोचना कर रहे हैं और इसके कारण भी दिये गये हैं ।

**श्री उमा नाथ :** यह ठीक नहीं है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह ठीक है कि इसमें साम्यवादियों का उल्लेख किया गया, परन्तु साम्यवादी दल का नहीं। मैं इसका पक्ष नहीं कर रहा हूं । मैं तो केवल जानकारी दे रहा हूं ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्योंकि हमें लोकतंत्र का अनुयायी कहा जाता और हमारे देश में ससंद कार्य कर रही है जिनके कारण हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते । जब अमरीका के राजदूत ने बारबार इन साम्यवादियों का उल्लेख किया और उनकी भ्रष्ट और देशद्रोही कह कर आलोचना की और कहा कि वे लोग भारत के हितों और दूसरें देशों से उसके सम्बन्धों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तो क्या मैं यह सोंचू कि साम्यवादियों की गई आलोचना अपना ही अर्थ निकालती है और इस देश में साम्यवादी आन्दोलन को ध्यान में नहीं रखती जिसका सदन में प्रतिनिधित्व है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** इस सदन में दो साम्यवादी दल हैं । इस लेख में साम्यवादी दल के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इसमें अमरीका द्वारा दी गई सहायता का उल्लेख किया गया है जिसकी साम्यवादियों ने आलोचना की है । उन्होंने आलोचना को स्वीकार न करने के कारण दिये हैं । उन्होंने जो किया है मैं इसका पक्ष नहीं ले रहा हूं । यह तो केवल सदन् को उसकी सूचना दे रहा हूं । यह तो सदन और देश ही इस बात का निर्णय करेंगे कि क्या ऐसा करने से राजनीतिक दल की आलोचना हुई है । अमेरीका की सरकार की आलोचना की गई है, जिसका यह पत्र प्रतिनिधित्व करता हैं । भारत और अमेरीका के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करना इसका कर्त्तव्य है ।

यह अव्यवहारिक नहीं है कि जिस देश में राजदूत नियुक्त हों वहां उन्हें आलोचना का सामना करना पड़े और वह यह समझे कि इससे उस देश के बीच जिसमें वह राजदूत नियुक्त किये गये हैं, और उनके देश के बीच मैत्री पूर्ण सम्बन्ध खराब होंगे ।

**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या मैं यह समझूं कि मंत्री महोदय का अभिप्राय यह है कि एक पूंजीपति या समाजवादी देश के राजदूत को इस देश में यह छूट है कि वह इस देश के साम्यवादियों या पूंजीपतियों इत्यादि की खुले आम प्रकाशित होने वाली पत्रिका में आलोचना करें और देश में इसका वितरण बड़े पैमाने पर किया जाये । क्या मैं यह समझू कि सरकार का भी यही विचार है ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** हमारा विचार स्पष्ट है । जहां तक हमारे राजनीतिक ढांचे का सम्बन्ध है एक दूसरे राजनीतिक दल की आलोचना करना हमारे पर निर्भर है । कोई भी

बाहर का राजदूत चाहे वह साम्यवादी, समाजवादी, पूंजीपति, तटस्थ या मित्र देश का ही क्यों न हो, वह देश की किसी भी राजनीतिक दल की आलोचना नहीं कर सकता।

परन्तु मैं सभा के समक्ष यह बात रखूंगा कि उन मामलों में जिनमें किसी भी दल, चाहे वह जनसंघ, कांग्रेस, या साम्यवादी दल हो, ने उस देश के कार्य की आलोचना की हो जिस देश के वे राजदूत या उच्चाधिकारी बन कर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो विदेशी राजनयिकों को भी यह अधिकार है कि वह इस आलोचना का सामना करें या न करें और इस आलोचना का सामना करने के लिये यदि वह उचित शिष्ठता का प्रयोग करते हैं और नियत सीमा का उलंधन नहीं करते हैं तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए, हमें या संसद् को इस पर विचार करना हैं कि हम लोगों को ऐसी आलोचना की अनुमति न दें।

**श्री वेद व्रत बरूआ :** चीनी दूतावास के अशिष्ठ व्यवहार जिसमें पत्थर फेंकने से मौत की धमकी तक शामिल है, को देखते हुए, यह सोचना कि दूसरे किसी विशेष देश के राजदूत द्वारा विदेशी पत्रिका में हमारे विरुद्ध लेख देने पर अधिक चिन्ता व्यक्त नहीं करनी चाहिये, उचित नहीं है।

**श्री उमा नाथ :** माननीय मंत्री महोदय ने अभी-अभी कहा है कि इस देश की राजनीतिक दलों द्वारा दूसरे देशों की आलोचना करने पर क्या दूसरे देश के प्रतिनिधियों द्वारा इस आलोचना का उत्तर देना या अपनी उससे रक्षा करना उचित है या नहीं, इसका निर्णय सदन् ने करना है। मैं सरकार की स्थिति जानना चाहता हूँ। यदि इस देश के राजनीतिक दल इस देश के प्रति अपनाई गयी दूसरे देशों की नीतियों की आलोचना करते हैं तो ऐसी स्थिति में मैं सरकार की स्थिति और प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। राजदूत का पत्रिका में उत्तर देना उचित था। जब उत्तरी वियतनाम के मामले में उत्तरी वियतनाम में अमरीका के सम्बन्ध में घृणा उत्पन्न करने वाली पुस्तिकाएं यहां बांटी गई तो सरकार ने ऐसी पुस्तिकाएं न बांटे जाने के लिये कोई कार्यवाही की थी। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में वहां के राजदूत से बीतचीत की कि इस प्रकार की पुस्तिकाएं न बांटी जाये ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** प्रत्येक मामले पर उसके महत्व के अनुसार विचार करना होता है।

**श्री वासुदेवन नायर :** आप निर्ल्लजता से अमेरीका के राजदूत का पक्ष ले रहे हैं।

**श्री स्वर्ण सिंह :** उदाहरण के तौर पर मैं यह नहीं कहूगा कि आप निर्ल्लजता से किसी दूसरे देश के राजदूत पर आक्षेप लगा रहे हैं। क्योंकि हम एक दूसरे के विचार गाली गलौज के द्वारा नहीं समझ सकते। इस प्रकार के आरोप लगाना बहुत अनुचित है। यह ठीक है कि मेरे और आप के विचार मेल नहीं खाते, परन्तु 'निर्ल्लजता' के कहने का मैं तीव्र विरोध करता हूं। इसमें उद्देश्य की कमी है और सभा में इस प्रकार की बातें करना बहुत अनुचित है।

मैंने बताया कि जब भी हमारे देश में नियुक्त किसी विदेशी प्रतिनिधि द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य प्रकाशित किया जाता है, हम इसकी जांच करते हैं। यदि उसके सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की आवश्यकता होती है तो हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करते हैं। मैं इस तथ्य को

सदन से छिपाना नहीं चाहता कि इस वक्तव्य की जांच पहली बार सदन् में नहीं की गई है बल्कि अमरीका के राजदूत द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ध्यान पूर्वक हमारे वैदेशिक कार्य मंत्रालय कर चुका हैं और उनका विचार था कि इसके प्रति कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती।

**श्री क० नारायण राव :** राजनीतिक दलों और विशेष व्यक्तियों में जो भेद रखा गया है वह बहुत ही साधारण और तकनीकी है। मेरे विचार से उत्तर संतोष जनक नहीं है। चाहे यह कुछ भी हो पर मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि यदि उस लेख में साम्यवादियों की बजाये साम्यवादी दल का उल्लेख किया गया होता तो क्या सरकार का व्यवहार कुछ और होता ? इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है जिससे किसी भी विदेशी राजदूत के विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता की सीमा का पता लग सके और क्या इस विशेष मामले में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा की सीमा को नहीं लांघा गया ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि जब एक राजनीतिक समूह के विचारों को व्यक्त किया जाता है उस समय दल का नाम नहीं लिया जाता। भेद बहुत मामूली है। प्रश्न में दिये गये सुझाव से मैं सहमत हूँ। जहां तक दल का नाम लेने पर रूख अपनाये जाने का प्रश्न है, हम किसी भी देश को विदेशी राजदूत को अपने विभिन्न दलों के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने देंगे। हम स्वयं ही इसका निर्णय करेंगे और नियम और सविधान के अनुसार इसकी आलोचना करेंगे। हम यह कभी भी पसन्द नहीं करेंगे कि किसी भी देश का राजदूत हमारे देश की किसी भी दल की आलोचना या प्रशंसा करे। जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है यह प्रचलित प्रथा है कि किसी देश का राजदूत दूसरे देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हमारा यह विचार है कि देश के किसी भी राजनीतिक दल का पक्ष लेना जिसका उसे विश्वास प्राप्त है, ऐसी सीमा का लांघा जाना है, जिसको नहीं लांघा जाना चाहिये। यह एक तरह से अन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है। अतः इसे रोका जाना चाहिये। यह प्रचलित-अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा है कि जब भी किसी राजदूत को उस देश में पैदा हुई भ्रान्तियों को, जिसमें वह नियुक्त किया गया है, आवश्यकता हो तो वे इसको इस प्रकार दूर करें जिससे कि वह मेरे द्वारा बतायी गई सीमा का उलंघन न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि देश के विभिन्न राजनीतिक दलों पर यह प्रभाव नहीं पड़े कि उन्होंने उनके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है।

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Whether the hon. Minister is aware that the American literature and the literatur of other countries have been distributed here in large quantity The ambassadors of very many countries reside here.

Generally, the ambassadors have criticised by referring the name of a political party as said by Shri Umanath. Hon. Minister has told that this should not happen. I want to know whether you have issued a cricular or taken any step like that against the ambassadors of those countries-who reside here and criticise the political parties, so that they may know that they should not indulge like that.

**श्री स्वर्ण सिंह :** मुझे प्रसन्नता है कि परिवर्तन के लिये ही सही श्री गुप्त श्री उमा नाथ से सहमत हैं चाहे उसका दूसरा ही कारण है।

**श्री कंवर लाल गुप्त :** हां हम इस प्रश्न पर सहमत हैं। हम किसी का भी हस्तक्षेप नहीं चाहते।

**श्री स्वर्ण सिंह :** इसका एक कारण यह हो सकता है कि किसी देश के राजदूत अपने ही दल की आलोचना करना चाहते हों। परन्तु मैं यह चाहूंगा कि सामान्य तरीके से उत्तर प्राप्त करने की बजाय यदि वह एक ऐसा उदाहरण दें जिसमें किसी राजदूत के वक्तव्य से देश में कार्य करने वाले किसी राजनीतिक दल की आलोचना की गई हो तो मैं उस मामले की जांच करवाऊंगा। जहाँ तक सामान्य जानकारी का प्रश्न है मैंने सभा में जो वक्तव्य दिया हैं वह स्पष्ट है और यह किसी राजनयिक वर्ग के लिये पर्याप्त सूचना होगी।

**Shri George Fernandes:** The Indian Express and the other newspapers had made the provision to point those articles written by the American ambassador in the 'American Reporter'. In that article the American ambassador had mentioned that thay had complained the Indian Government that some forged documents under the name of American ambassador and the American Government have been distributed in India at the time of election. He has mentioned in those articles that a complaint was made with the Central Government, the concerned Minister and particularly with the Minister of External Affairs. I want to know whether the Government is aware of those forged documents ? I want to know what action had been taken by the Minister of External Affairs with regard to the complaint made by the ambassador of America ? Whether this matter was referred to C. B. I. for in vestigation and if so whether any report has or has not been received in that matter uptil now.

**श्री स्वर्ण सिंह :** जाली दस्तावेज के सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई नोटिस दिया गया हैं तो मैं जानकारी एकत्रित करूंगा।

मेरे विचार से यह सी०बी० आई द्वारा जांच किये जाने वाला मामला नहीं है। इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं हैं कि यह मामला वैदेशिक कार्य मंत्रालय के नोटिस में लाया गया है।

**श्री हेम बरुआ :** मैं यह जानना चाहता हूं क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि अमरीका में आजकल उकसाने वाली बुरी कार्यवाही चल रहीहै और एक अमरीका के सेनेटर ने तो यहां तक कहा है कि भारत को दी जाने वाली खाद्य सहायता में कमी कर दी जानी चाहिये। यदि यह ठीक है तो क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि 'अमरीकन रिपोर्टर' में अमरीका के राजदूत द्वारा लिखित लेख से अमरीका के प्रेस को भारत विरोधी प्रचार करने में प्रोत्साहन मिला है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मुझे दुख है, न तो मैं इसकी पुष्टि कर सकता हूँ और न ही मैं इसका विरोध कर सकता हूँ। वस्तुतः अमरीका के राजदूत के अनुसार उन्होंने यह वक्तव्य भारत–अमरीका के सम्बन्धों में सुधार करने के लिये दिया है। ना ही मैं और ना ही अमरीका ही यह समझते हैं कि उनका ऐसा इरादा हो सकता है कि इसके द्वारा अमरीका के प्रेस में भारत विरोधी प्रचार किया जायेगा

**Concentration of Chinese and Pakistani Forces**

*575. **Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri D. N. Patodia**
**Shri Madhu Limaye :**
**Shri Rabi Ray :**
**Shri Molahu Prasad :**
**Shri N. K. Sanghi :**
**Shri D. G. Sharma :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**
**Shri Onkar Singh :**
**Shri Sharda Nand :**
**Dr. Karni Singh :**
**Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Ranjit Singh :**
**Shri K. N. Tiwari :**
**Shri S. C. Samanta :**
**Shri S. N. Maiti :**
**Shri Yash Pal Singh :**
**Shri R. Barua :**
**Shri Meetha Lal :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**
**Shri Ram Gopal Shalwale :**
**Shrimati Jyotsna Chanda :**
**Shri G. S. Mishra :**
**Shri S. N. Tapuriah :**
**Shri K. P. Singh Deo :**
**Shri Sradhakar Supakar :**
**Shri B. S. Sharma :**
**Shri R. Shastari :**
**Shri M. Rampure :**
**Shri Ram Sewak Yadav :**
**Shri George Fernandes :**
**Shri Maharaj Singh Bharti :**
**Shri Rama Chandra Veerappa :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri N. S. Sharma :**
**Shri A. B. Vajpayee :**
**Shrimati Nirlep Kaur :**
**Shri Brij Bhushan Lal :**
**Shri Bibhuti Mishra :**
**Shri Y. A. Prasad :**
**Shri A. K. Kisku :**
**Shri Tridib Kumar Chaudhuri :**
**Shri Onkar Lal Berwa :**
**Shri Sidheshwar Prasad :**
**Shri O. P. Tyagi :**
**Shri S. A. Agadi :**
**Shri P. K. Deo :**
**Shri H. Ajmal Khan :**
**Shri Bramhanandji :**
**Shri K. M. Madhukar :**
**Shri Bedabrata Barua :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether there has been some reduction in the heavy concentration of the Chinese and Pakistani forces on the Indian borders recently ;

(b) whether there has been any provocative activity in any of the bordering areas during the last two months ;

(c) whether it is a fact this time Pakistan has been making special preparations in Sialkot and Rajasthan Sectors; and

(d) if so, the steps taken or proposed to be taken by Government to meet the situation ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) जैसा कि लोक सभा में पहले ही कहा जा चुका है, 19 मई को अखनूर के दक्षिण-पश्चिम के दक्षिणी क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों ने एक भारतीय पुलिस गश्ती दल पर गोलियां चलाईं। इस गोलीबारी की घटना के बाद पाकिस्तान ने अखनूर के सामने डागर क्षेत्र में अपनी शक्ति को और बढ़ाया।

(ग) तथा (घ) सरकार इस सम्बन्ध में जागरूक है कि पाकिस्तान हमारी सीमाओं के सामने, जिसमें जम्मू-सियालकोट सीमा, राजस्थान-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा शामिल हैं, अपने रक्षा निर्माण कार्य और संचार व्यवस्था को बनाने में लगा हुआ है। ऐसी घटनाओं पर बड़ी

निगरानी रखी जाती है और देश की प्रादेशिक अखण्डता को बनाये रखने के लिए समुचित कदम उठाए जाते हैं।

**श्री सुमेर गुह** : क्या पश्चिमी बंगाल और आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गतिविधियां नहीं हैं ?

**श्री स्वर्ण सिंह** : उन्हें प्रश्न का अध्ययन करना चाहिये। मेरे से जैसा प्रश्न पूछा गया है मैं वैसा ही उसका जवाब दे रहा हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शास्त्री अनुपूरक प्रश्न पूछें।

**Shri Prakash Vir Shastri** : Whether the Defence Minister has received any information regarding the concentration of Chinese and Pakistani troops on our boarders and whether both of them are planning to attack the Eastern part of India.

**श्री स्वर्ण सिंह** : मैं यह पहले ही बता चूका हूं कि हमारी सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की सेना का कोई असाधारण जमाव नहीं है। हमें इस तथ्य को कदापि नहीं भूलना चाहिये कि शान्ति के समय में भी उन क्षेत्रों में सेना का, विशेषकर पाकिस्तानी सेना का जमाव था जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र के अधिक दूर नहीं हैं।

अत: हमें अपनी रक्षा के सम्बन्ध में सतर्क रहना है चाहे वह सेना को शान्ति के स्थान पर रखें या सीमा पर। यह पहलू हमेशा हमारे सामने है।

चीन पाकिस्तान की सांठ-गांठ के सम्बन्ध में सभा में पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि चीनी पाकिस्तान को न केवल राजनीतिक समर्थन और भारत के विरुद्ध भड़का रहा है बल्कि वह उसे सैनिक साज-सामान जैसे टैंक, हवाई-जहाज, गोला-बारूद और दूसरा लड़ाई का सामान दे रहा हैं। इस सांठ-गांठ से हम अवगत हैं और इस तथ्य के प्रति हम सतर्क हैं। चीन और पाकिस्तान के इन सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए ही हमने सब अपने प्रबन्ध किये हैं।

**श्री हेम बरुआ** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय प्रतिरक्षा मंत्री ने यह बताया कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पर चीन और पाकिस्तान की सेना का कोई असाधारण जमाव नहीं है। परन्तु इससे पहले इनसे भूतपूर्व.....

**अध्यक्ष महोदय** : व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर अध्यक्ष द्वारा दिया जाना चाहिए मन्त्री महोदय द्वारा नहीं।

**श्री हेम बरुआ** : अब आप इन दोनों वक्तव्यों में किसे सही कह सकते हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : अब दिया गया वक्तव्य गलत है। हम मन्त्री महोदय से इसका स्पष्टीकरण मांगेंगे और वह बाद में वक्तव्य देंगे। अब हम अल्प सूचना प्रश्न पर विचार करेंगे।

**प्रश्नकाल समाप्त**

**श्री उमानाथ** : मैं इस अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। नियम 41 (2) (vii) के अनुसार ;

"वह इस विषय से सम्बन्धित नहीं होगा जो मुख्य तथा भारत सरकार का विषय न हो।"

यह अल्प सूचना प्रश्न बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति से सम्बन्धित है। अभी कुछ दिन पूर्व ही यह तर्क दिया गया था कि कानून और व्यवस्था के मामले के अलावा 'सार्वजनिक हित' का मामला भी राज्य सरकार के अन्तर्गत नहीं आता है। आप राज्य-सूची की सातवीं अनुसूचि में यह देख सकते हैं कि 'सार्वजनिक हित' का विषय भी राज्य की शक्ति के अन्तर्गत आता है।

नक्सलबाड़ी का प्रश्न जब सभा में ध्यान आर्कषण प्रस्ताव के रूप में उठाया गया था तो आपने उस ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को अस्वीकार करने का निर्णय इस आधार पर दिया था कि कानून और व्यवस्था का विषय राज्य का विषय है अतः इस पर ध्यान आर्कषण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसको आपने इसलिए ही स्वीकार किया था क्योंकि वह क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र से लगा है तथा वहां समानान्तर सरकार बनने की सम्भावना थी। इसका यही आधार था अन्यथा आपने यही निर्णय दिया था कि यह कानून और व्यवस्था का मामला है अतः आपने ध्यान आर्कषण प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था।

जहां तक इस अल्प सूचना में उल्लेखित उस विशेष क्षेत्र का सम्बन्ध है, वह सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है। यदि आपके विनिर्णय में से यह निकाल दिया तो आप का विनिर्णय यह हो जायेगा कि यह कानून और व्यवस्था का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरे, सरकारी और संवैधानिक प्रशासन के समाप्त करने की आशंका के परिणाम स्वरूप ही केन्द्र सरकार और संसद् का ध्यान इस ओर गया है। प्रशासन को समाप्त करने के प्रश्न का कैसे निर्णय किया जाये। प्रशासन के भग हो जाने का भय, जिसके परिणाम स्वरूप संसद् और केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आर्कषित हुआ है, तथ्य है। मेरे प्रश्न पूछने से इस तथ्य का निर्णय नहीं हो सकता। मैं अपने प्रश्न को इस प्रकार बना सकता हूं कि प्रत्येक राज्य में कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर सरकारी और संवैधानिक प्रशासन समाप्त हुआ है। राज्य सरकारो के लिए कार्य करना कठिन हो जायेगा।

चाहे संवैधानिक कठिनाई हो अथवा नहीं इसका निर्धारण संवैधानिक आपत्र के उपबन्ध के अनुच्छेद 354 और 356 के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि :-

'यदि किसी राज्य के राज्यपाल से या अन्यथा प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति का समाधान हो जाये कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें कि उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता।'

अतः इसके अन्तर्गत प्रश्न स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति का संतुष्ट होना आवश्यक है और तब ही हम आर्कषित हो सकते हैं। अतः केवल प्रश्न उठाना व्यर्थ है। मुझे प्रसन्नता है कि हमारे राज्यों को जो थोड़ी स्वतन्त्रता प्राप्त है उसमें संसद् को हस्तक्षेप न करने देने में आप दृढ़ रहे।

दूसरा नियम जिस पर मैं निर्भर करता हूँ वह है नियम 41 (i) जिसके अनुसार—

"उपनियम (2) के अनुबन्धों के अधीन रहते हुए, लोक महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकेगा जो इस मन्त्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो।"

इस नियम के अन्तर्गत यह भी आता है

"उसका किसी ऐसे विषय से सम्बन्ध नहीं होगा जिससे मन्त्री पदेन सम्बन्धित न हों"

यह प्रश्न श्रम और रोजगार मंत्री को सम्बोधित किया गया है। परन्तु समस्त प्रश्न संवैधानिक प्रशासन के भंग हो जाने से सम्बन्धित है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि यह प्रश्न उन मंत्री महोदय को सम्बोधित किया गया है जिनका इस विषय से बिल्कुल सम्बन्ध नहीं है। यह अनियमित है।

जिस क्षेत्र का उल्लेख किया गया है वह खानों का क्षेत्र है अतः यह विषय संघ सूची के अन्तर्गत आता है। यह इसलिए नहीं कि जहां तक खानों के क्षेत्र का सम्बन्ध है अनुसूची सात संख्या 54 और 55 के अन्तर्गत 'खानों का नियमन' और 'श्रम और खानों में सुरक्षा नियमन' केन्द्रीय सरकार के क्षेत्राधिकार में आते हैं। सुरक्षा के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था नहीं आती। कारखानों और खानों अधिनियम के अन्तर्गत सुरक्षा के उपाय किये जाते हैं और सुरक्षा से अभिप्राय इसी सुरक्षा से है। "श्री हाथी के साथ हुए पूर्व निर्णय के आधार पर मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं। हम खानों के क्षेत्र से सम्बन्धित एक शिष्टमण्डल के रूप में गये वहां बहुत सी गिरफ्तारियां की गईं। जब हमने इन गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में उनसे बातचीत की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कहा कि खानों के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था उनकी शक्ति में नहीं है। वह राज्य-सूची में है और वह तो केवल श्रम से सम्बन्ध रखते हैं। यह प्रश्न कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित है।

संविधान में और मेरे द्वारा उल्लेख किये गये नियम से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला उनके मंत्रालय के अन्तर्गत नहीं आता।

**श्री नाथ पाई :** मैं श्री उमानाथ के विचारों से बिल्कुल असहमत हूं। प्रश्न का स्वीकार किया जाना उचित है।

**Shri Madhu Limaye :** I am sorry that as I did not agree with Shri Hiren Mukerjee on that so I do not agree with Shri Umanath today. Atleast we have got the right to discuss on such matter of public importance. But it does not mean that we are interfering with the jurisdiction of the State or with their rights. Several matters of that nature have come before the House here. My Short Notice question regarding a strike at Hilwadi, a few days back, was admitted by the Minister. On the one side it is a question of industrial relationship, but on the other side the matters relating to newspapers come under the Ministry of Information and Broadcasting. Similarly, the present question has got two aspects. I admit that in a limited scale it may be a matter relating to law and order, but the Central Government must take interest with regard to coal mines. We should have given the right to discuss particularly when the murders of State Union leaders have been committed. I want to have discussion on the Emergency powers, because I think that it should not be used in case of an ordinary matters. Hon.Member has referred to Section

356 and has asked that the President's rule should be imposed. But so far as Section 356 is cancorned, it comes within the jurisdiction of the Centre to get the law admitted. Mr. Speaker, I do not like this discussion.

I only want to say this that there would have been the ordinary convention not to have discussions on such important matters. I do not want to interfere with the jurisdiction of State, but as this House represents the whole nation. I do not like this habit of discouraging the discussion I will request my hon. friends that whether there may be a Congress or non-Congress Governments but when the matters like famine or food come, we used to have the discussions here, although they are the subjects of the States. So I will request them not to object to discussion on these matters and thereby reducing the sphere of discussion.

**श्री नारायण दाण्डेकर :** मुझे भी इस सम्बन्ध में आपत्ति किये जाने पर अचरज है। पहले भी बहुत बार खानों, श्रम की छंटनी राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा चलाये जाने वाली खानों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये जा चुके हैं।

यहां दोनों प्रकार की समस्याएं हैं–खानों से सम्बन्धित और खानों में ट्रेड यूनियनों से सम्बन्धित भी। वहां एक ट्रेड यूनियन के पदाधिकारी की हत्या कर दी गई है। यदि सदस्य महोदय के विचार से श्रम और खान का विषय केन्द्र क्षेत्र का विषय नहीं है तो मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत कौनसा विषय आयेगा। जब इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो हमें यहाँ उन पर अवश्य चर्चा करनी चाहिये। अतः मेरे विचार से इस व्यवस्था के प्रश्न का कोई महत्व नहीं है और इसको समाप्त किया जाना चाहिये।

**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :** संविधान जनता को मूलभूत अधिकारों की गारन्टी देता है–विशेषकर जीवन और सम्पत्ति की। इस विशेष मामले में इन अधिकारों का हनन हुआ है। वहां अराजकता फैली हुई है। हत्याएं की जा रही हैं और सम्पत्ति सुरक्षित नहीं हैं। यदि संसद इस पर चर्चा नहीं करेगी तो हम यहां किस पर चर्चा करने के लिये हैं ?

**Shri Prakash Vir Shastri :** Congress is responsible for what has happened in West Bengal. But I do not want to disclose at present how Congress is responsible. Before you give your decision on the point of order I want to request you that a few days before when the question regarding production of industrial factories was raised which included the discussion on Gherao, it was told that it could not be discussed as it was a question of law and order. When the question of Naxalwari was raised, which concerned with the security of the country, it was also told at the time that it was a matter of law and order and was the subject of State Government.

Similarly, today, it is a question of mines which includes the situation created as a result of the position of the labourers. The murder of the leader of S. S. P. has been committed and it has also been told as a problem of law and order and as such it could not be discussed.

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** पश्चिमी बंगाल सरकार वेलगाम चलता है क्या संसदीय है।

पश्चिम बंगाल सरकार वैधानिक रूप से चुनी गई लोकतंत्रीय सरकार है। अतः वह इस प्रकार के आरोप नहीं लगा सकते।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री उमानाथ ने भी ऐसा ही कहा है। क्या माननीय सदस्य इस बात से सहमत हैं कि प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाना चाहिये।

**श्री रा० बरूआ :** जी, नहीं। फिर भी जो भावना व्यक्त की गई है हमें उससे पूरी सहानुभूति है। मेरे विचार से प्रश्न राज्य में प्रशासन व्यवस्था के भंग होने से सम्बन्धित है क्योंकि प्रश्न के शब्द इस प्रकार के हैं जिसमें कहा गया है कि क्या इन स्थानों पर संवैधानिक प्रशासन टूटे जाने की सम्भावना है। अतः प्रश्न में इस तरह की कल्पना की गई है। यदि ऐसा है तो सरकार को इसके लिये परिमाण-पत्र देना चाहिये।

यदि हम इस विषय में सहानुभूति होने के कारण ही प्रश्न को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका अभिप्रायः यह होगा कि ऐसी बातें सभा के सम्मुख बार-बार आयेंगी। मेरी राय में यह प्रश्न तत्संगत नहीं और संवैधानिक उपबन्ध के भी विरुद्ध है क्योंकि इसके द्वारा किसी विशेष राज्य में स्थित सरकार के कार्य में हस्तक्षेप होता है। जब तक कि किसी विशेष राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती कि वहां का राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट हो जाये कि वहां कानून और व्यवस्था के भंग होने का भय है और इसकी रिपोर्ट वह राष्ट्रपति को भेज दे, हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते।

**श्री नाथ पाई :** मैं इस विषय पर बिल्कुल नहीं बोलना चाहता था परन्तु मुझे यह भय था कि यदि मैं चुप रहूंगा तो कहीं मेरी चुप्पी से यह मतलब न ले लिया जाये कि मैं अपने मित्र श्री उमानाथ के विचारों से सहमत हूं। (बाधाएं)

सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि आपको उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। आपने इस प्रश्न को ठीक ही स्वीकार किया हैं। मैं यह नहीं चाहूंगा कि कोई भी आहिस्ता 2 या और तरीकों से इस सभा के अधिकारों में कमी करे। राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने के बहाने इस प्रकार की प्रवृति बढ़ रही है। राज्य संसद के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। हम में से बहुत से इसका हर स्थान पर विरोध करेंगे। राज्य के इन अधिकारों की दलीलें हम हर जगह सुन रहे हैं। परन्तु संसद के अधिकारों का क्या हुआ ?

मैं अनुच्छेद 19 का उल्लेख करना चाहूँगा। नागरिकों को दिये गये अधिकारों की सूची में कहा गया है कि -

"शान्ति पूर्वक और निरायुध सम्मेलनः संस्था या संघ बनाना।"

इस क्षेत्र में हमारे एक साहसिक साथी की निर्मम हत्या की गई। क्या हमारा मुंह बन्द किया जायेगा, हमारे सीने पर बन्दूक रखी जायेगी या हमारा गला घोटा जायेगा जबकि हमारे एक साहसिक साथी पर, जिसे हम बीस वर्ष से जानते थे, निर्मम हमला कर हत्या की गई। हमें बताया जाता है कि यह राज्य का विषय है। 'चुप रहिये'

**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** श्री नाथ पाई का दल भी राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व करता है। मैं भी संसद् सदस्य हूँ और संसद के अधिकारों के प्रति जागरूक हूँ।

**श्री नाथ पाई :** मैं संसद् के अधिकारों को बनाये रखूंगा। वह संसद् को अधिकारों से वंचित करने के लिये स्वतन्त्र हैं। (बाधाएं)

**श्री नाथ पाई :** यह कोई नाटक नहीं है। मैं अपनी राय अपने तरीके से दूंगा। मेरा मुंह इस तरह बन्द नहीं किया जा सकेगा।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** इनके दल को पश्चिमी बंगाल मंत्रि मंडल में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

**श्री नाथ पाई :** संघ सूची की संख्या 54 खानों के नियमन और संख्या 55 श्रम और खानों सम्बन्धी सुरक्षा नियमन केन्द्र के विषय हैं। अन्ततः श्रम केन्द्र का विषय है।

**श्री नाथ पाई :** यह ठीक है कि यह समवर्ती विषय है। हम हमेशा श्रम के अधिकारों सम्बन्धी प्रश्न उठाते रहे हैं। मेरी राय यह है कि सर्वप्रथम संसद् के अधिकारों को घटाने और संक्षिप्त करने से रोका जाना चाहिये। दूसरे मेरे विचार से यह प्रश्न ठीक ही स्वीकार किया गया है और आपका व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार कर देना चाहिये।

**श्री श्री अ० डांगे :** देश के किसी भी भाग में किसी ट्रेड यूनियन के नेता की हत्या या उस पर किये गये हमले के विषय में संसद् में चर्चा किये जाने का मैं विरोध नहीं करूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** अल्प सूचना प्रश्न के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का में उल्लेख करूंगा। सबसे पहले वह सम्बन्धित मंत्रालयों को भेजे जाते हैं। जब मंत्री महोदय अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार कर लेते हैं तब ही उसे छपवाया जाता है। सामान्यतया यह स्वीकार हो जाता है।

इस मामले में यह स्वाभिक ही है कि यह मंत्री महोदय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। तब ही यह प्रश्न शामिल किया गया है। ऐसा इसलिये नहीं हुआ है कि यह केवल कानून और व्यवस्था का प्रश्न है परन्तु इससे और भी बहुत सी बातें सम्बन्धित हैं। श्री उमानाथ के अनुसार श्री हाथी, किसी समय जब वह शायद गृह मंत्रालय में मंत्री थे, कहा था कि केवल श्रम सम्बन्धित विषयों पर चर्चा की जानी चाहिये और कानून और व्यवस्था के विषयों पर नही। अब मैं उनसे कहूंगा कि वह प्रश्न का उत्तर दें।

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :** इससे पहले कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं मै यह कहना चाहूंगा कि लोक सभा सचिवालय ने प्रश्न को स्वीकार कर लिया है और हमसे यह पूछा गया है कि क्या हम अल्प सूचना पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये तैयार हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** यह अल्प सूचना प्रश्न है। यह मंत्री महोदय की जुम्मेवारी है। यदि वह कहते हैं कि 'मुझे दुःख है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता' तो लोक सभा सचिवालय मजबूर है। उन्हें कम से कम नियमों को अवश्य जानना चाहिये।

## अल्प सूचना प्रश्न
## SHORT NOTICE QUESTION

### बर्दवान जिले में कोयला खानों में अराजकता की स्थिति

+

**अ. सू. प. 14. श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
**श्री नारायण दांडेकर :**
**श्री सु० कु० तापड़िया :**
**श्री कंवरलाल गुप्त :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री मुहम्मद इमाम :**
**श्री क० ना० तिवारी :**
**श्री चरणजीत राय :**
**श्री तुलसी दास जाधव :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले में रतीबाड़ी और कुराडी कोयला खानों में पूर्ण अराजकता तथा अव्यवस्था फैली हुई है और वहां संवैधानिक व्यवस्था सर्वथा फेल हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो क्या बाहर के सशस्त्र व्यक्तियों द्वारा वहां अराजकता फैलाने, हमला करने, अवैध रूप से लोगों को बन्दी बनाने और सरकारी तथा गैर-सरकारी समिति को क्षति पहुँचाने के प्रयास अनेक बार किये गये हैं; और

(ग) क्या संयुक्त समाजवादी दल के एक नेता की जो कोयला खान मजदूर कांग्रेस का मंत्री भी था, हाल ही में समाज विरोधी कार्य करने वाले लोगों द्वारा बड़ी निर्दयता से हत्या कर दी गई है और इन कोयला खानों तथा उनमें काम करने वाले व्यक्तियों और उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को पूर्ण संरक्षण देने के लिये भारत सरकार यदि कोई कार्यवाही कर रही है तो क्या ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) और (ख) दुर्भाग्य से इन खानों के क्षेत्र में हाल में स्थिति गम्भीर रूप से बिगड़ गई है। वहां धमकी देने, हमला करने, हिंसात्मक और लोगों को बन्दी बनाने की घटनाएं घटी हैं।

(ग) 4 जून, 1967 को संयुक्त समाजवादी दल के नेता श्री बी० पी० झा, जो खान मजदूर कांग्रेस के मंत्री भी थे, इन दंगों में कुराडी में मृत्यु हुई।

इन खानों में आपस की स्पर्धा से उत्पन्न हुई स्थिति ने कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से उचित कार्यवाही करने के लिये कहा है।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : चूंकि माननीय मंत्री ने स्थिति की गम्भीरता और वहां पर वर्तमान अराजकता को स्वीकार किया है अतः मैं यह जानना चाहूँगा कि राज्य सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या उत्तर दिया है और यदि इसने इस विषय पर चुप रहना ठीक समझा है तो केन्द्रीय सरकार इस विषय पर आगे क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

**श्री ल० ना० मिश्र :** वे इस विषय पर चुप नहीं हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रथम जानकारी की सूचना प्राप्त हो गई है।

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** खानों में तथा नक्सलबाड़ी में हुए दंगे पश्चिमी बंगाल में होने वाले बड़े घेराओं आन्दोलन का एक भाग हैं। इनके कारण वहां अराजकता फैली हुई है और रक्षा के मूलभूत अधिकारों से इन्कार किया जा रहा है।

अतः इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूँ कि मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिये और बंगाल से लोगों के निकाले जाने से रोकने के लिये सरकार क्या सक्रिय कदम उठाने का विचार रखती है ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** हम खान में औद्योगिक सम्बन्धों के विषय में मुख्यतः चिन्तित है। मैं उन विषयों की चर्चा नहीं करूंगा।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** पश्चिमी बंगाल में घेराओं से नक्सलबाड़ी और नक्सलबाड़ी से खारी बाड़ी तक बहुत ही दुखदः घटनाएं घटी हैं। वहां आतंकता का राज्य है। श्री चव्हाण द्वारा दी गई सलाह और संसत्सदस्यों की एक टीम को नक्सलबाड़ी भेजे जाने के हाल ही के सुझाव के विरोध किये जाने से हम अवगत ही हैं। यहां तक कि प्रश्न को स्वीकार करने का भी विरोध किया गया है।

**श्री वासुदेवन नायर :** क्या आप यह चाहते हैं कि राज्य सरकार की इस प्रकार बदनामी हो।

**श्री सु० कु० तापड़िया :** ये लोग प्रश्न को स्वीकार करने के आपके अधिकार को भी चुनौती देने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि यह चाहते हैं कि संसद् इन बातों से दूर रहे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि केन्द्र कब तक चुप बैठ कर बिगड़ती हुई स्थिति को देखता रहेगा।

**श्री ल० ना० मिश्र :** हम चुप नहीं बैठे हैं। जहाँ तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है हमने सक्रिय कदम उठाये हैं। हमने इसके लिये एक विशेष कक्ष का निर्माण किया है, बिहार–बंगाल की खानों के लिये एक नये अधिकारी और अतिरिक्त पदाधिकारी की नियुक्ति की गई है। जहां तक औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न है हम चुप नहीं बैठे हैं।

**श्री मुहम्मद इमाम :** क्या राज्य सरकार को वहां फैली अराजकता की जानकारी है, यदि हां, तो उसने क्या कार्यवाही की है ? क्या मैं यह जान सकता हूँ कि वे कौन से दल हैं जो वहां अराजकता फैला रहे हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह केवल श्रम संकट के विषय में उत्तर दे सकते हैं कानून और व्यवस्था के मामले में नहीं।

**श्री ल० ना० मिश्र :** केन्द्र की दो यूनियनों आल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्दुस्तान मजदूर सभा के कर्मचारियों में झगड़ा हुआ था, राजनीतिक दलों में नहीं। दूसरे दल के अनुयायियों ने संयुक्त समाजवादी दल के नेता की हत्या की थी।

**श्री नारायण दाण्डेकर :** मेरे विचार से मंत्री यह नहीं समझेंगे जबकि मैं समझता हूं कि सरकार इस मामले पर इस प्रकार कार्यवाही कर रही है जैसे इसमें दोनों सरकारों का दायित्व हो। जैसे वह कहती है स्थानीय श्रम से सम्बन्धित है या यह किसी और से सम्बन्धित नहीं है। पश्चिमी बंगाल और बिहार के भागों की स्थिति 1947 और 1948 में तेलंगाना में घटित घटनाओं की याद दिलाती है। इस समय केन्द्रीय सरकार ने निश्चित कार्यवाही करने का निर्णय लिया और वह कार्यवाही बहुत प्रभावशाली रही और ऐसी दृढ़ कार्यवाही के परिणामस्वरूप यह स्थिति समाप्त हुई। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार वैसा ही कार्य क्यों नहीं करती ?

**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं तेलंगाना इत्यादि के इतिहास के विषय में जिक्र नहीं करूंगा। हमारा दायित्व खानों में औद्योगिक सम्बन्धों तक है। हमने वहां दृढ़ और सक्रिय कार्यवाही की है और हमें आशा है कि औद्योगिक शान्ति फिर से स्थापित हो जायेगी।

**श्री नारायण दांडेकर :** किस प्रकार की सक्रिय कार्यवाही ?

**अध्यक्ष महोदय :** वह खानों के सम्बन्ध में प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कानून और व्यवस्था के विषय में नहीं। वह श्रम मन्त्री है। अतः स्वाभवतः वह केवल श्रम के विषय में ही उत्तर दे रहे हैं।

**श्री नारायण दाडेकर :** सरकार की संयुक्त जुम्मेवारी है और वह इस जुम्मेवारी के प्रश्न से नहीं बच सकते।

**श्री श्री० अ० डांगे :** यह मालिक है जो गुण्डागर्दी फैला रहे हैं और हम उनके विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष महोदय .** आप ऐसा बाहर कर सकते हैं। यह संसद भवन है..... (बाधाएं)

**Shri Kanwar Lal Gupta :** Besides murdering him, three people have been kidnaped and several others have been beaten with lathis, In this connection I want to ask whether the Government had received any petition on 7th June in this regard from the collieries owners, and if so, what were the main points in them. Secondly, I want to know the steps Government is going to take to stop these incidents or murders etc.

**Shri L. N. Mishra :** So far as 31st is concerned there had been gherao in Rathwari. It is true that the manager and other people were given trouble. They were forced to stand in sun shine upto four O'Clock. They were not offered water. So far as the seeing the management on 7th June I do not exactly remember the date, is concerned, the people met with us and our other colleagues and they told that due to clashes between the two unions they were in trouble and there had been block in the production,

So far as the murder of Shri Jha concerned, he was murdered in clashes between the two unions.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : Second part of may question has not been answered. What action you have taken for future, so that the murder incidents between the trade unions may not be repeated again.

**श्री श्री अ० डांगे** : इस हत्या से आल इण्डिया ट्रेड यूनियन का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**Shri L. N. Mishra** : We can do nothing in this respect. The leaders of Trade Unions should show tolerance towards each other. They should encourage the feeling to work together. These are two types of persons working there the leader of one of them is Marxist and the other S. S. P. If they can run the Government with cooperation, they can also function their agitation with mutual cooperation.

**Shri Kanwar Lal Gupta** : I object to the Hon. Minister's reply. He has said that both these unions spread disputes and troubles. Whether the Government shows its impotenc and incompetency by merely sitting idle ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह पुलिस का मामला है ।

**Shri Atal Behari Vajpayee** : I want to know the circumstances under which the murder of Shri Jha was committed? whether it is a fact that when Shri Jha was addressing a metting of his workers, he was attacked, arms were used and bomb was thrown ? Whether Government tried to investigate the matter and the action was taken against the persons concerned with the murder ? Whether they have been arrested uptil now or they are still at large ?

**Shri L. N. Mishra** : Neither we are sitting idle nor we are incompetent. Police of the State Governments have been functioning there and investigating the matter. So far as this incident is concerned, it is said that bomb was also used besides sword, lathi etc. and in this way he was murdered. So far as arresting the people is concerned, no arrest has been made yet. The Police is investigating the matter.

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह उत्तर असन्तोष पूर्ण है । हत्या 4 तारीख को की गई थी । मेरे विचार से इस मामले में किसी बड़े आदमी का हित नीहित है । अत: इस मामले पर सभा में दो घन्टे की चर्चा की जानी चाहिये ।

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे ।

**Shri Sheo Narain** : This murder is connected with the police and that of State. Central Government could interfere in it.

**श्री ज्योतिर्मय बसु** : डिप्टी-इन्सपेक्टर ज़नरल ऑफ पुलिस, जो भारतीय पुलिस के अधिकारी हैं और अन्तत: जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रित है, के द्वारा दी गई रिपोर्ट मैं पढ़ कर सुनाऊंगा । उन्होंने कहा है "लगभग 500 व्यक्तियों ने जो घातक शस्त्रों से लैस थे इस खान के 11 और 12 नम्बर धराओस पर श्री बी० पी० झां के नेतृत्व में हमला किया । इस हमले के परिणामस्वरूप खान के 11 कर्मचारी गम्भीर रूप से घायल हो गये ।

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया प्रश्न पूछिये । इसे मत पढ़िये ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बर्दवान रेंज के पुलिस के डिप्टी इन्सपेक्टर जनरल से केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट मिली है । यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री उमानाथ :** यह उचित नहीं है । उन्होंने बहुत से प्रश्न पूछे हैं और जब माननीय सदस्य इसका दूसरा पक्ष बतलाते हैं तो वह शोर मचाते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उन्हें प्रश्न पूछने की अनुमति दी है, परन्तु वह कुछ और पढ़े जा रहे हैं ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** मैं आपकी आज्ञा मानूंगा और प्रश्न पूछूंगा । वक्तव्य में कहा गया है कि खान नं० 11 और 12 धराओस पर घातक शस्त्रों से हमला किया गया । रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि जब कि श्री बी० पी० झा के नेतृत्व में ये कर्मचारी खान धराओस के कर्मचारियों को पीट के वापिस लौटा रहे थे, पिटे हुए कर्मचारियों ने पीछे से इन पर हमला किया और श्री झा को गम्भीर रूप से घायल कर दिया । श्री झा की मृत्यु हो गई और उनकी लाश को फेंक दिया गया । श्री झा के अलावा और कोई घायल नहीं हुआ ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप सब बैठ जाइये । मैं स्थिति स्पष्ट कर रहा हूँ । यह प्रश्न काल है । हम किसी विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं । आपको यह अधिकार है कि आप प्रश्न पूछें इससे आपको कोई नहीं रोकेगा । मैं सबको अवसर दूंगा । इसकी मैं गारन्टी देता हूँ । यदि एक ओर वाले सदस्य चिल्लायेंगे तो दूसरी ओर वाले सदस्यों का भी यह हक है । श्री उमानाथ ने भी कुछ संवैधानिक प्रश्न उठाये हैं । दूसरे माननीय सदस्य ने पुलिस की रिपोर्ट के सम्बन्ध में उल्लेख किया है । आप चर्चा के दौरान यह बातें उठा सकते हैं, परन्तु प्रश्न काल के दौरान नहीं । अतः मैं श्री ज्योतिर्मय बसु से निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रश्न पढ़ें और इस रिपोर्ट को फिर से पढ़ना आरम्भ न कर दें । इसी ही को वह दूसरे प्रकार से पूछ सकते थे ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री बी० पी० झा को पीटा गया और इससे उनकी मृत्यु हो गई और यह कि वे दो धराओस साम्यवादियों (मार्क्सवादी) यूनियन की है । क्या यह सच है कि सरकार को इसी प्रकार की रिपोर्ट पश्चिमी बंगाल के बर्दवान रेंज के डी० आई० जी० से भी प्राप्त हुई हैं । यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई ।

**श्री ल० ना० मिश्र :** ऐसा प्रतीत होता है कि श्री बसु को सरकारी रिकार्ड की हमारे से ज्यादा जानकारी है । इस समय मेरे पास बर्दवान रेंज के डी० आई० जी० की रिपोर्ट की प्रति नहीं है । पश्चिमी बंगाल के गृह सचिव ने हमें रिपोर्ट भेजी है । मैं इस रिपोर्ट में से कुछ पढ़ना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी मामले की जांच चल रही है । हमें अपने संगठन से भी सूचनाएं मिली हैं । खानों में हमारे मुख्य श्रम आयुक्त और अतिरिक्त श्रम आयुक्त हैं । उनसे हमें सूचनायें प्राप्त हुई हैं । वह दूसरे प्रकार की हैं, परन्तु यह तथ्य है कि श्री झा की हत्या की गई थी । अन्य बातों पर मतभेद है, परन्तु यह तथ्य है कि श्री झा की हत्या की गई थी ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु :** वह किन परिस्थितियों में की गई ?

**श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** परन्तु अभी तक कार्यवाही नहीं की गई ।

**Shri Ram Sewak Yadav :** I went there personally. On the basis of the information received by me I want to ask whether this murder was very ghastly and whether it is afact that on 2nd June, two days before the murder, three workers of the union were caught and were teased. There was going to be a meeting to control that tension and he was going to attend that meeting when he was murdered or whether bomb was thrown upon him.

Whether it is a faet that the names of some persons have been reported in the F.I.R. which include some Communists leaderes. No actions have been taken against them so far. Even tbe inquiry or investigation has not been conducted. So I want to know from the hon. Minister, when there has not been any inquiry or investigation under what rule the D.I.G. has given his report. Secondly I want to know when this Left Communist Union came into existence and the period from which the old S.S.P. Union has been working. Whether it is not a fact that all this has been done to supress the old Trade Union who had been working there peacefully ?

**Shri L. N. Mishra :** It is a fact that this dispute was going on there before the murder of Shri Jha. He must be remembering that situation had been detereorating since the 5th May. Several cases of intimidation, assault, violence and wrongful confinement were reported. I think there were about ten to twelve cases. But I would not like to discuss them.

So far as the question of these Unions is concerned, the Union of S.S.P. is the oldest and recognised one. The Union of the Left Marxist have come into existence afterwards. It has come into existence after the election and it is not a recognised Union. So far as the question of Bengal is concerned, we recognised it. It has got more strength and at three other places also it had more strength. It had been a recognised Union.

So far as the question of accused is concerned, according to the information received by the Secretary or the Kuradi Unit Colliery Union Congress, S. S. P. Shri Mahendra Singh has mentioned the names of Sarvashri Hardhan Rai, M. L. A., Robin Chatterjee, Vice-President Colliery Labour Union C. P. C. I. Marxist and Robin Sen, a leading C.P.I. Marxist worker and twenty one other names as accused to the police. The police is investigating the matter.

**श्री हेम बरुआ :** मंत्री महोदय ने कहा है कि उस विशेष क्षेत्र में स्थिति 5 मई से बिगड़नी शुरू हो गई थी । दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल में कई कारणों से पुलिस एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकती । क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में पुलिस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा गया और 5 मई से ही हालत खराब होने शुरू हो गई और इसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति की हत्या हुई । एक व्यक्ति की हत्या किया जाना निन्दनीय हैं । उन्होंने ट्रेड यूनियनों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ? (अन्तर्बाधाएं)

## अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में
## RE-APPOINTMENTS TO ASKS SUPPLEMENTARIES

**अध्यक्ष महोदय :** इससे पहले कि मैं अगले प्रश्न पर चर्चा के लिए कहूँ मैं सभा के सम्मुख एक बात कहना चाहता हूँ । एक माननीय सदस्य ने मुझे एक टिप्पणी भेजी है जिससे मुझे

दुख हुआ है । उन्होंने कहा है कि उन्हें मेरी ज्यादती पर बड़ा दुख है और इसी प्रकार की ऐसी ही बातें लिखी है । यदि वह केवल भारत में ही शिक्षित होते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु वह बहुत शिक्षित हैं और उन्होंने विदेशों में शिक्षा प्राप्त की है ।

**श्री नाथ पाई** : आप उनका नाम क्यों नहीं बता देते ?

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता ।

**श्री नाथ पाई** : तब हम सब सभा की निगाह में शंकित हैं ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप में से किसी ने यह नहीं किया है । यहां उनका नाम लेने के बजाय मैं उन माननीय सदस्य को बुलाऊंगा और उनसे बातचीत करूंगा परन्तु जिस प्रकार से यह किया गया है उससे मुझे दुख होता है । मैंने एक प्रश्न पर आज 40 मिनट लगाये । मुझे पता है कि यह ठीक नहीं है, परन्तु मैंने इस प्रश्न पर चर्चा रखने की अनुमति दी । दुर्भाग्य की बात है कि इसके बावजूद भी यदि एक सदस्य को नहीं पुकारा गया तो वह यह कहते हैं कि यह मेरी ज्यादती है ।

**श्री हेम बरुआ** : आप उन सदस्य को पहचान लें या कहीं ऐसा न हो कि आप हमें ही वह समझें.....

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें जानता हूं । मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं । जिन माननीय सदस्य ने यह टिप्पणी भेजी है वह यह जानते हैं । मुझे आशा है कि उन्हें स्वयं ही इसके लिए दुख होगा ।

---

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया के बीच विसैन्यीकृत क्षेत्र

*574. **डा० रानेन सेन** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी कोरिया ने भारत को सूचित किया है कि उसके तथा दक्षिण कोरिया के बीच के विसैन्यीकृत क्षेत्र में अमरीका द्वारा अतिक्रमण किये जाने की घटनायें बढ़ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार ने दोनों पक्षों के दावों और आरोपों को नोट कर लिया है ।

## पासपोर्टों के लिये आवेदन पत्र

*576. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री जे० एच० पटेल :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णय दिये जाने के पश्चात् कि पासपोर्ट प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है पासपोर्टों के लिये आवेदनपत्रों की संख्या बहुत बढ़ गई है; और

(ख) क्या सभी आवेदकों को पासपोर्ट जारी कर दिये गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) पिछले वर्ष जून में नियमों को उदार बना देने के परिणामस्वरूप पासपोर्ट के लिए प्रार्थना-पत्र की संख्या में वृद्धि पहले ही हो चुकी थी उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन प्रार्थना-पत्रों की संख्या में बहुत मामूली वृद्धि हुई है ।

(ख) इस बढ़े हुए काम को करने वाला सुलभ अमला अधिक से अधिक पासपोर्ट प्रार्थना-पत्रों को निपटाने की कोशिश कर रहा है । 1966 में केवल 4 प्रतिशत प्रार्थना-पत्र ही अस्वीकार किये गये थे । 1967 के पहले 5 महीनों में 18 प्रतिशत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किए गए हैं ।

## वियतनाम के युद्ध में विषैले रसायनों के प्रयोग के बारे में जांच

*578. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वियतनाम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग ने इस आरोप के बारे में कोई जांच की है कि संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा दक्षिण वियतनाम में नागरिकों के विरुद्ध विषैले रसायन इस्तेमाल किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है ।

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** : ऐसा समझा जाता है कि दक्षिण वियतनाम में संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा नशीले रासायनिक पदार्थों और गैसों के कथित प्रयोग के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को उत्तर वियतनाम की पीपुल्स आर्मी से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) यह आयोग अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट जेनेवा सम्मेलन के सह-प्रधानों को भेजता है । इस विषय पर भारत सरकार को अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

## पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

*579. श्री यशपाल सिंह :
श्री स० चं० सामन्त
श्री ओंकार लाल बेरुआ :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री स्वैल :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मीठा लाल :
श्री काशीनाथ पाण्डे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 अप्रैल, 1967 को पूर्वी पाकिस्तान से एक लड़ाकू विमान भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस आया था और उसने 24 परगना जिले में जयन्तीपुर और हरिदासपुर गांवों के ऊपर उड़ान की;

(ख) क्या इस सप्ताह में वायुसीमा अतिक्रमण की यह दूसरी घटना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

## भूटान में तिब्बत निवासियों का अवैध प्रवेश

*580 श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री चं० चु० देसाई :
श्री रा० बरुआ :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत निवासी हाल में भारी संख्या में भूटान में अवैध रूप से घुस आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तिब्बत से भूटान आने वाले व्यक्तियों की अनुमानतः क्या संख्या है;

(ग) क्या भूटान की सरकार ने इस बारे में भारत सरकार से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने तथा इस बात को रोकने के लिए कि भविष्य में कोई व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश न कर सके क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) हाल ही में बहुत से तिब्बती भूटान में चले गए हैं ।

(ख) 1 अक्तूबर, 1966 से 31 मार्च 1967 तक की अवधि के बीच 132 तिब्बती तिब्बत पार कर भूटान में आ गए ।

(ग) : जी नहीं।

(घ) : जी नहीं। इन सभी तिब्बतियों से पूछताछ की जाती है और जो वाकई शरणार्थी पाए जाते हैं उन्हें भारत में आने दिया जाता है और बसने की इजाज़त दे दी जाती है।

**रूस द्वारा पाकिस्तान को सैनिक सामान की सप्लाई**

*581. **श्री श्रद्धाकर सुपकार :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**
**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**श्री मोहसिन :**
**श्री वीरेन्द्रनाथ :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री य० प्र० प्रसाद :**
**श्री न० कु० सांघी :**
**श्री पार्थसार्थी :**
**श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस ने हाल में पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में सैनिक सामान दिया है;

(ख) हाल के महीनों में पाकिस्तान ने अमरीका, रूस तथा ईरान से कुल कितने मूल्य का सैनिक सामान खरीदा ; और

(ग) सरकार ने पाकिस्तान के खतरे का सामना करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सरकार को इस आशय के कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान द्वारा रूस से खरीदे गये सैनिक सामान के क्रय मूल्य का प्रश्न ही नहीं उठता। अमरीका ने हाल ही में पाकिस्तान के लिये अघातक उपकरण तथा घातक उपकरणों के फालतू पुर्जे खरीदना सम्भव कर दिया है। इस सुविधा का कहां तक फायदा उठाया गया है इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह जाना जाता है कि पाकिस्तान ने ईरान से विभिन्न प्रकार के हथियार और फालतू पुर्जे, गोला बारूद और मोटर गाड़ियां खरीदी हैं। अमरीका और ईरान से खरीदे गये माल की अनुमानित कीमत बताना सम्भव नहीं है।

(ग) सरकार पाकिस्तान की सैनिक तैयारी को बहुत ध्यान से देख रही है और हमारी सुरक्षा को इससे उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिये आवश्यक उपायों का निरन्तर पुनर्विलोकन किया जाता है और आवश्यक कदम उठाये जाते हैं।

**गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ की आपातकालीन सेना में भारतीय सैनिक दस्ता**

*582. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री आत्म दास :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**
**श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
**श्री मोलहू प्रसाद :**
**श्री वेणीशंकर शर्मा :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गाजा में संयुक्त राष्ट्र संघ को आपातकालीन सेना में तैनात भारतीय सैनिकों के दस्ते को वहां से निकालने का काम शुरू हो गया है; और

(ख) उन्हें वहां से निकालने का काम कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र आपाती सेना में जो भारतीय टुकड़ी थी, वह गाजा से ही रवाना हो चुकी है। 981 अफसरों और जवानों को इस टुकड़ी में से 14 मारे गए, 948 साइप्रस होते हुए भारत वापस आ गए हैं और आशा है कि शेष 19 भी जल्दी ही स्वदेश वापस लौट आएंगे।

**Use of News Services by Ministries.**

*583. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state :

(a) the names of Ministries which have been obtaining the services of the news agencies alongwith their names and the amount of charges paid to these news agencies respectively during the last three years;

(b) whether any Ministry have ever evaluated the utility of obtaining the services of news agencies;

(c) if so, the outcome thereof; and

(d) if not, the reasons for which evaluation was not made and the action being taken to improve the existing arrangements ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) So far information has been received from 7 Ministries. Besides Information and Broadcasting, 2 other Ministries, viz. (1) External Affairs and (2) Defence, are obtaining the services of News Agencies. The charges paid by these Ministries during the last 3 years are shown in the statement laid on the Table of the House. [**Placed in Library, See No. LT-705/67**]. Information in respect of other Ministries is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) to (d) Ministry of Information and Broadcasting depends for evaluation of the utility of the services of these News Agencies on the following considerations :

1. Acceptability ;
2. Reliability ;
3. Speed; and
4. Coverage.

In the light of these tests, the services have proved to be useful. Information about tests applied by other Ministries is being collected.

It is true that the Press Commission has observed in 1954 that however objective a News Agency tries to be, there are certain draw-backs which arise from a monopoly, which could be obviated only by competitive services available freely to all users. Keeping these observations in mind, the question of obtaining services from 3 News Agencies, viz: Samachar Bharati, Hindustan Samachar and India News and Feature Alliance for AIR and other Media, is under consideration.

**Speeches of M. Ps.**

*584. **Shri Sarjoo Pandey :**
**Shri Ishaq Sambhali :**

Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the speeches delivered by the members in Lok Sabha are broadcast by All India Radio;

(b) if so, whether it is also a fact that there is no definite policy governing the broadcast of such speeches;

(c) whether it is also a fact that the names of all those members, who delivered speeches during the discussion on Railway Budget on 31st May, 1967; were not mentioned in the broadcast at 8-15 P. M. ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) to (d) Speeches made by Members of Parliament are not broadcast. Only the main points thrown up during discussion are included in the news bulletins or in the Parliamentary commentary, 'Today in Parliament'. It is true that the names of all those members who delivered speeches during the discussion on Railway Budget on 31st May 1967 were not mentioned in the broadcast at 8.15 P. M. As stated earlier the main points thrown up during discussion are included in the news Bulletins or in the Parliamentary Commentary. The longest news bulletin put out by A.I.R. is of 15 minutes duration. It accommodates news of the whole world including what is happening in Parliament. Parliamentary Commentaries are of ten minutes duration. In addition to debates in Parliament they accommodate "asides" humour and general atmosphere in Parliament. The coverage is therefore restricted.

## छिपे हुए नागा प्रतिनिधियों की लन्दन यात्रा

*585. **श्री आत्म दास :**
**श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छिपे हुए दो नागा नेता नागा समस्याओं के हल के बारे में श्री फिजो से बातचीत करने के लिए लंदन गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि लंदन जाने से पहले उन्होंने नई दिल्ली में वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ;

(ग) यदि हां, तो किस विषय पर और क्या बातचीत की गई थी ; और

(घ) उन्हें वीज़ा और विदेशी मुद्रा दिये जाने के क्या कारण थे ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला)** : (क) छिपे नागाओं के दो प्रतिनिधि, प्रश्न में बताए उद्देश्य के लिए लंदन चले गए हैं।

(ख) जी नहीं। विचार-विमर्श तो कोई नहीं हुआ लेकिन यात्रा के लिए प्रबन्ध के बारे में बातचीत हुई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्तर के भाग (क) में कारण बता दिया है।

**राजनयिक पारपत्रों का दिया जाना**

*586. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार किन-किन श्रेणी के व्यक्तियों को राजनयिक पारपत्र देती है ;

(ख) क्या राजनयिक पारपत्र नियम तथा विनियमों के अनुसार दिये जाते हैं या केवल मंत्री अथवा मंत्रालय की इच्छानुसार दिये जाते हैं ; और

(ग) क्या एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा जिसमें उन व्यक्तियों के नाम दिये गये हों जिन्हें राजनयिक पारपत्र दिये गये हैं किन्तु जो वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के अधिकारी नहीं है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) राजनयिक पासपोर्ट नीचे लिखे व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं :

(i) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, उनकी पत्नियां और उनके आश्रित बच्चों को विदेशों में नियुक्त होने पर;

(ii) गणमान्य विशिष्ट व्यक्तियों को और राजनयिक स्तर के अन्य व्यक्तियों को, उनके विदेश मिशन की प्रकृति के कारण अथवा उनकी ऊंची हैसियत के कारण, जैसे राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष, केन्द्र सरकार के मंत्री तथा राज्य सरकारों के मुख्य मंत्री। संसद अथवा सरकार के काम से विदेश जाने वाले संसद सदस्यों को और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को।

(ख) राजनयिक पासपोर्ट 10 मई 1967 को अधिसूचित पासपोर्ट नियम, 1967, (देखिये इन नियमों की अनुसूची II भाग I मद III) में नियमित नियमों के अनुसार जारी किए जाते हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 706/67**]

(ग) सदन की मेज़ पर उन व्यक्तियों के नामों की एक सूची रखी जा रही है जो भारतीय विदेश सेवा के नहीं है और जिन्हें पासपोर्ट अध्यादेश 1967 लागू किए जाने के बाद राजनयिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं।

**पाकिस्तान जाने वाले सिख तीर्थ यात्री**

*587. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री आत्म दास :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति 12 जून, 1967 को गुरू अर्जुन देव के बलिदान दिवस के अवसर पर लाहोर के डेराबाबा साहब गुरुद्वारे में एक हजार सिख तीर्थ यात्री भेजना चाहती थी ;

(ख) क्या पाकिस्तान ने भारतीय सिख तीर्थ यात्रियों के जत्थे को लाहोर जाने की अनुमति नहीं दी, जबकि इसके लिए तीन महीने पहले आवेदन पत्र भेजा गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले को शीघ्र निबटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पाकिस्तान सरकार ने 6 जून 1967 को ही अपनी अनुमति की सूचना दी हालांकि यात्रियों को 9 जून 1967 को पाकिस्तान के लिए रवाना होना था हमने दिल्ली-स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन से कहा है कि वह अपनी सरकार से कहे कि भविष्य में काफी समय पहले भारतीय यात्री-जत्थों को अनुमति दी जाया करें ।

## आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण

*588. **श्री नम्बियार :**
**श्री चक्रपाणि :**
**श्री मुहम्मद इस्माइल :**
**श्री प० गोपालन :**
**श्री नायनार :**
**श्री यज्ञदत्त शर्मा :**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी से विज्ञापनों के प्रसारण की दरें अन्तिम रूप से तय कर दी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार सही हैं कि 15 अगस्त, 1967 से आकाशवाणी से विज्ञापनों का प्रसारण प्रारम्भ हो जायेगा ;

(घ) क्या आकाशवाणी से वाणिज्यिक प्रसारण प्रारम्भ करने की योजना तैयार हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) और (ख) दरों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । अगले 15 अगस्त से वाणिज्यिक प्रसारण शुरू करने का विचार है ।

(घ) और (ङ) योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

## अरब राज्यों के दूतावासों के अध्यक्षों के साथ वैदेशिक कार्य मंत्री की वार्ता

*589. **श्री पार्थसारथी :**
**श्री वि० ना० शास्त्री :**
**श्री य० अ० प्रसाद :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 मई, 1967 को उन्होंने 10 अरब राज्यों के दूतावासों के अध्यक्षों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई मुलाकात में किन विषयों पर क्या बात-चीत हुई और उसके क्या परिणाम निकले ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह)** : (क) जी हां ।

(ख) अरब देशों के नई दिल्ली-स्थित मिशनों के प्रमुखों ने पश्चिम एशिया के संकट में भारत सरकार के समर्थन के लिए अपनी-अपनी सरकारों की ओर से साभार धन्यवाद दिया ।

**मिज़ो लोगों के बारे में पेकिंग रेडियो द्वारा प्रसारण**

***590. श्री हेम बरुआ :**
**श्री कामेश्वर सिंह :**
**श्री श्रीधरन :**
**श्री स्वैल :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग रेडियो ने संभवतः 29 मई, 1967 को अपने प्रसारण में भारत के विरुद्ध विद्रोह के लिए मिज़ो विद्रोहियों की सराहना की है ; और

(ख) यदि हां, तो चीन द्वारा हमारे आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां ।

(ख) इस तरह के हस्तक्षेप के गम्भीर निहितार्थों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है ।

**भारत-पाकिस्तान वार्ता**

***591. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान सरकार ने उनके उस पत्र का उत्तर दे दिया है, जिसमें काश्मीर समस्या समेत सभी मामलों पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार की इच्छा व्यक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्राप्त हुआ है; और

(ग) प्रस्तावित भारत-पाकिस्तान वार्ता की इस समय क्या सम्भावना है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**प्रतिरक्षा उत्पादन तथा प्रतिरक्षा सम्भरण विभागों में सचिवों के पद**

*592. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री रमानी :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान मितव्ययिता अभियान की दृष्टि से सरकार ने प्रतिरक्षा उत्पादन तथा प्रतिरक्षा सम्भरण विभागों में 1962 में बनाये गये सचिवों के पदों को समाप्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन पदों को बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) केवल सचिव (प्रतिरक्षा सम्भरण) के पद को, जिसे 24.11.65 से बनाया गया था, 1.7.67 से समाप्त करने का विचार है।

(ख) 1962 से प्रतिरक्षा उत्पादन का महत्व बढ़ता जा रहा है। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में काम के स्वरूप और उसकी किस्म को देखते हुए उसमें सचिव के पद की आवश्यकता है।

**1964 का भारत–श्रीलंका करार**

*593. **श्री कं० हाल्दर :**
**श्री दे० अमात :**
**श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या वैदेशिक–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की सरकार ने यह मांग की है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अन्तर्गत भारत को एक ऐसा विधान बनाना चाहिये था, जिससे वह 1964 के भारत–श्रीलंका करार के अनुसार श्रीलंका से 5,25,000 भारतीय लोगों को भारत में लौट आना स्वीकार कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक–कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अमरीकी फर्मों द्वारा भारतीय माल का बहिष्कार**

*594. **श्री मेघ चन्द्र :**
**श्री धीरेश्वर कलिता :**
**श्री कं० हाल्दर :**
**श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री राम सिंह अयरवाल :**
**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री यशवंतसिंह कुशवाह :**
**डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
**महंत श्री दिगविजयनाथ :**

श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री नाथ पाई :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री शिवचन्द्र झा :

क्या वैदेशिक–कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम एशिया के वर्तमान संकट में भारत द्वारा संयुक्त अरब गणराज्य का समर्थन किये जाने के प्रतिशोध के रूप में कुछ अमरीकी फर्मों ने भारतीय माल का बहिष्कार कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक–कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला)** : (क) और (ख) : जहां तक हमें मालूम है फिलअडेलफिया के ही कोहेन ड्राई गुड्स कम्पनी और उसकी उपसंगी, ऐन्टरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी नामक दो फर्मों ने, जिन्होंने भारत से कुछ सूती कपड़ा आयात करने के लिए हाल ही में भारत–अमरीका व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया था, भारतीय विनिर्मिताओं को दिए गए करीब 20,000 डालर के आयात आदेश रद्द कर दिए हैं ।

(ग) : ऐसा लगता है कि इस तरह अनुचित तरीके से आदेश का रद्द किया जाना भावावेष का एक मामला है । इस बात का कोई कारण नहीं है कि पश्चिम एशिया संबंधी हमारी नीतियों के कारण अमरीका में भारत के प्रति दुश्मनी की कोई भावना हो । जो भी हो, व्यापार और आर्थिक संबंधों को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए । हमारा विश्वास है कि संयुक्त राज्य अमरीका में इस बात को व्यापक मान्यता प्राप्त है और इसका कोई संकेत नज़र नहीं आता कि इस तरह किसी एक फर्म द्वारा आदेश रद्द किया जाना अनुकरणीय बनता जा रहा है ।

## चीनियों द्वारा नागालैंड में प्रवेश के समाचार

*595. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वैदेशिक–कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ चीनी नागरिक हाल में नेफा के तीरप जिले के रास्ते नागालैंड में घुस गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हे बाहर निकालने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि चीनी भारत में आने के लिये पटकई पर्वत माला के ऊपर से गुजरने वाले पुराने रास्ते का प्रयोग करते हैं ; और

(घ) यदि, हां, तो चीनियों के इस मार्ग से प्रवेश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी नहीं।

(ख). से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

**नागाओं द्वारा जबरदस्ती करों की वसूली**

*596. **श्री दी० चं० शर्मा :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री गु० च० नायक :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री अ० दीपा :**

क्या वैदेशिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा-विद्रोही केवल नागालैंड के गांवों से ही नहीं, अपितु आसाम की सीमा से लगते हुए कुछ क्षेत्रों से भी बलात कर वसूल कर रहे हैं और लोगों से यह कह रहे हैं कि उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए हथियार तथा गोला बारूद खरीदने के लिए धन की आवश्यकता है और वे गावों के लोगों को भी डरा धमका रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ियों को नष्ट करने के लिए नागा-विद्रोहियों को विस्फोटक पदार्थों की भी सप्लाई की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कार्यवाहियों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) भारत सरकार को ऐसे कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली हैं जिनमें यह कहा गया है कि छिपे नागाओं ने नागालैंड में और नागालैंड-असम सीमावर्ती क्षेत्रों में गांव वालों से जबरदस्ती वसूली की है।

(ख) जी हां।

(ग) जन-धन के सुलभ साधनों की सीमाओं में इस बात के समुचित सुरक्षात्मक उपाय बरते गए हैं कि छिपे नागा तोड़-फोड़ की कार्रवाइयां न करने पावें।

**Deportation of Indians from Kenya and other African Countries**

*597. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indians from Kenya and other African countries are being deported;

(b) whether Government have taken any action in this regard; and

(c) if so, the reaction of those Governments therto ?

**The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs ( Shri Surendra Pal Singh )** : (a) Altogether, eight persons of Indian origin were deported from Kenya last year on grounds of security. Four of these were deported to India and of these, two proceeded immediately to the U. K. There have been no further deportations from Kenya. Some persons of Indian origin in Tanzania and Malawi were this year declared prohibited immigrants and asked to leave the country.

(b) Our High Commissioners have made it quite clear to the Governments concerned that in all cases of proposed deportation to India of persons of Indian origin who are not citizens of India, the following essential conditions must be fulfilled :-

(i) that the persons concerned should hold valid passports.

(ii) that they may not be deported to India against their wishes and that they must show a preference for being sent to India.

(iii) that the Government of India must be informed in advance in all such cases and our prior concurrence obtained to the step proposed.

(c) Indications are that our objections and requirements have been found to be valid and that no deportation to India will be ordered in future except on the terms stipulated above. The expulsion orders issued by the Tanzanian Government were stated to be on grounds of illegal residence in the country and the holding of irregular work permits. We had approached the Tanzanian Government about these expulsions and that Government decided to review the orders issued and to revoke them in appropriate cases.

The expulsion orders issued by the Malawai Government were on grounds of security.

## मोटरगाड़ी अनुसन्धान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से आवड़ी ले जाना

***598. श्री मधु लिमये :**
**श्री स० मो० बनर्जी :**
**डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोटरगाड़ी अनुसन्धान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से आवड़ी ले जाने के परिणामस्वरूप कितने व्यक्तियों के बेरोजगार हो जाने की सम्भावना है;

(ख) इस संस्थान को अहमदनगर से अन्यत्र ले जाने पर कितना धन व्यय हुआ है तथा छोड़ी गई इमारतों के कारण कितनी हानि होने की संभावना है; और

(ग) बेरोजगार हुए व्यक्तियों को कितना प्रतिकर दिया गया अथवा उन्हें क्या अन्य रोजगार दिया गया ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) से (ग) मोटरगाड़ी अनुसन्धान तथा विकास संस्थान को अहमदनगर से आवड़ी ले जाने के परिणामस्वरूप कोई व्यक्ति बेरोजगार नहीं होगा क्योंकि कर्मचारियों की संख्या में कोई कमी नहीं होगी। उन कर्मचारियों को, जिन्हें उनकी सेवा की निबन्धन और शर्तों के अनुसार संस्थान के स्थानान्तरण पर संस्थान के साथ नहीं ले जाया जा सकता, और जिनको वैकल्पिक पद नहीं दिये जाते हैं या वे वैकल्पिक पदों को स्वीकार नहीं करते हैं, सम्बन्धित आदेशों के अन्तर्गत ग्राह्य अन्तिम लाभ दिये जायेंगे।

स्थानान्तरण पर लगभग 2.88 लाख रु० व्यय होंगे। अहमदनगर में खाली की गई इमारतों का प्रयोग प्रतिरक्षा के अन्य संस्थानों द्वारा किया जायेगा और इस प्रकार इस कारण कोई घाटा नहीं होगा।

**भारतीय वायुसेना द्वारा खरीदे गये कैरीब्यू विमान**

*599. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायुसेना के लिये कनाड़ा से खरीदे गये कुछ अथवा अधिकांश कैरीब्यू विमान इस कारण प्रयोग में नहीं लाये जा रहे हैं क्योंकि कनाडा से पुर्जे नहीं मिले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) फालतू पुर्जों की कमी के कारण इन विमानों की प्रयोज्यता पर कुछ हद तक बुरा असर पड़ा है ।

(ख) मामले में कदम उठाये गये हैं और अपेक्षित फालतू पुर्जे बड़ी मात्रा में पहले ही प्राप्त कर लिये गये हैं जबकि शेष मात्रा शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है ।

**भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों के बीच टेलीफोन/वायरलैस पर बातचीत**

*600. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री जे० एच० पटेल :**
**श्री रवि राय :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत तथा पाकिस्तान के सेनाध्यक्षों ने कितनी बार टेलीफोन, वायरलैस से आपस में सीधी बातचीत की, जब से इसकी व्यवस्था की गई हैं; और

(ख) क्या इससे कोई लाभ हुआ है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) 13 अवसरों पर ।

(ख) विशेष रूप से उन मामलों में, जिनमें गलतफहमी पैदा हो सकती है या जिनमें अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता हो या उन विवादों में, जिनसे वास्तव में कुछ तनाव पैदा हुआ है, यह व्यवस्था उपयोगी सिद्ध हुई है ।

**दिल्ली छावनी क्षेत्र में असैनिक लोगों के लिये बिजली के कनेक्शन**

2863. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
**श्री रा० स्व० विद्यार्थी :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली छावनी क्षेत्र में रहने वाले असैनिक लोगों को बहुत देर बाद बिजली के कनेक्शन दिये जाते है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें इतना विलम्ब होने के क्या कारण हैं और सभी आवेदकों को कब तक बिजली दी जाने की संभावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी हाँ। नये बिजली के कनेक्शन देने में कुछ विलम्ब हुआ है।

(ख) नये कनेक्शनों के परिणामस्वरूप उस क्षेत्र को बिजली देने वाले ट्रांसफोर्मर पर अधिक भार पड़ गया। ट्रांसफोर्मर की क्षमता को 300 किलोवाट से बढ़ा कर 450 किलोवाट करने की एक परियोजना मंजूर की गई है और वह क्रियान्वित की जा रही है। आशा है कि सभी अनिर्णित आवेदनपत्रों को इस वर्ष के अन्त तक निपटा दिया जायेगा।

## ट्रांजिस्टरों का निर्माण

2864. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी कम्पनियां ट्रांजिस्टर रेडियो बनाती है और वे कहां कहां पर हैं;

(ख) 1966-67 में प्रत्येक कारखाने ने कितने ट्रांजिस्टर सेट बनाये;

(ग) वर्ष 1966-67 में पुर्जों का आयात करने के लिए इन निर्माताओं को कितनी विदेशी मुद्रा दी गई;

(घ) कच्चे माल के न मिलने के कारण सस्ते ट्रांजिस्टर सेट बनाने में छोटे उद्योगों को संभवतः कितनी हानि उठानी पड़ी;

(ङ) जब कच्चे माल को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता था तो इन निर्माताओं को "अत्यावश्यकता प्रमाणपत्र" दिये जाने के क्या कारण थे;

(च) क्या यह सच है कि केवल कुछ निर्माता अपने कारखानों को किसी न किसी तरह चलाये रखने की दृष्टि से ट्रांजिस्टरों के अत्यावश्यक पुर्जों को अत्यधिक मूल्य पर काले बाजार में खरीद रहे थे; और

(छ) इस ट्रांजिस्टर सम्बन्धी घोटाले को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय से राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग) संगठित क्षेत्र में 21 निर्माता ट्रांजिस्टर सेटों और वैल्व सेटों का निर्माण करते हैं। वर्ष 1966 में उन्होंने लगभग 4.28 लाख ट्रांजिस्टर सेटों का निर्माण किया था। 1966-67 में ट्रांजिस्टर और वैल्व रेडियो बनाने के लिये एककों को 59.22 लाख रु० की विदेशी मुद्रा आवंटित की गई थी। लघु उद्योग क्षेत्र के एकक भी ट्रांजिस्टर रेडियो बनाते हैं। इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है कि छोटे पैमाने के कितने एकक इस प्रकार के कितने रेडियो का निर्माण करते हैं और इस प्रयोजन के लिये उन्हें कितनी विदेशी मुद्रा दी जाती है। चूंकि ये एकक राज्यों के उद्योग निदेशकों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, इसलिये ट्रांजिस्टरों का निर्माण करने वाले छोटे एककों की संख्या और उनके द्वारा निर्मित इस प्रकार के रेडियो की संख्या सम्बन्धी जानकारी उद्योग निदेशकों से प्राप्त की जा रही है। वर्ष 1966-67 के लिये इन एककों को दी गई विदेशी मुद्रा के संबंध से जानकारी मुख्य नियन्त्रक, आयात तथा निर्यात से प्राप्त की जा रही है।

(घ) से (छ) चूंकि इन प्रश्नों का सम्बन्ध छोटे एककों से है। इन प्रश्नों के सम्बन्ध में भी जानकारी राज्यों के उद्योग निदेशकों से प्राप्त की जा रही है।

## 'योजना' साप्ताहिक पत्र

2865. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साप्ताहिक पत्र 'योजना' हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण दोनों ही कहां तक विज्ञापन और बिक्री से अपनी आय पर निर्भर करते हैं; और

(ख) वे कहां तक राज सहायता पर आश्रित हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) और (ख) 'योजना' के अंग्रेजी सस्करण का वर्तमान छपाई आदेश 14,050 है और हिन्दी संस्करण का 6,300। 1966-67 में छपाई और सिव्बंदी के खर्च सहित, इन दोनों पत्रिकाओं का कुल व्यय और बिक्री, चन्दे और विज्ञापनों से हुई कुल आय इस प्रकार थी :—

| | कुल रुपये व्यय | कुल रुपये आय |
|---|---|---|
| अंग्रेजी संस्करण | 2,70,866 | 61,948 |
| हिन्दी संस्करण | 1,70,984 | 17,132 |

विज्ञापन और बिक्री से होने वाली आय बराबर बढ़ रही है, परन्तु आय और व्यय में अभी भी भारी फर्क है। इसका कारण मुख्यतः यह है कि बहुत अधिक सख्या में इन पत्रिकाओं की प्रतियां, सावधानी से तैयार की गई सूची के अनुसार मुफ्त बांटी जाती हैं, ताकि योजनाबद्ध आर्थिक विकास के बारे में अधिकतम संभव जागृति हो और ग्रामीण क्षेत्रों, स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि में उन पर जानकारीपूर्ण चर्चायें हों।

## जल सम्बन्धी अनुसंधान के लिये हालैंड की सरकार की पेशकश

2866. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हालैंड की सरकार ने बिहार में जल सम्बन्धी अनुसंधान के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हालैण्ड की सरकार ने दो और परियोजनाओं के लिए भी सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उस पेशकश को स्वीकार कर लिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० छागला) :** (क) से (घ) नीदरलैंड्स की सरकार ने बिहार में सिंचाई के लिए सुलभ जल की मात्रा बढ़ाकर कृषि उत्पादन को समुन्नत करने में भारत को सहायता देने की पेशकश की है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दस लाख डच गिल्डर की रकम नियत करने का प्रस्ताव है; यह रकम भू-वैज्ञानिक और भू-भौतिकी तरीकों

से बिहार राज्य में किसी खास क्षेत्र में धरती के नीचे के पानी का सर्वेक्षण करने में खर्च की जायगी और इसकी-पूर्ति के लिए कुछ कुए खोदे जाएंगे ।

नीदरलैंड्स की सरकार दूसरी जो प्रयोजना हाथ में लेना चाहती है, उसका उद्देश्य, खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने की दृष्टि से लाइसिन जोड़कर, लोगों के सामान्य भोजन की पोषक शक्ति को बढ़ाना है । भारत सरकार इस पेशकश पर विचार कर रही है ।

**कोर्डाइट फैक्टरी-अरुवनकाडू**

**2867. श्री नंजा गौडर :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल 1967 में अरुवनकाडू स्थित कोर्डाइट फैक्टरी के कर्मचारी संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी मांगों की सूची दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं । (कर्मचारी संघ, कोर्डाइट फैक्टरी, अरुवानकाडू के नाम से कोई संघ नहीं है । हां, कोर्डाइट फैक्टरी कर्मचारी संघ के नाम से एक संघ है । इस संघ से भी कोई ज्ञापनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।)

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**अणु वैज्ञानिक**

**2868. श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने अणु-वैज्ञानिक हैं;

(ख) आण्विक अनुसंधान के मामले में पूर्णतया आत्म-निर्भर होने के लिए भारत को कितने अणु वैज्ञानिकों की आवश्यकता है; और

(ग) क्या उन सभी भारतीय अणु-वैज्ञानिकों ( अथवा अन्य वैज्ञानिकों ) को विदेशों से भारत में बुलाने के बारे में कोई प्रयास किया गया है, जो वहां जाकर बस चुके हैं ।

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :** (क) लगभग 2500 वैज्ञानिक/इंजीनियर अणुशक्ति विभाग तथा इसके संघटक एककों में शामिल नहीं है । इनमें वे वैज्ञानिक शामिल नही हैं जो इस विभाग के प्रशासनाधीन सहायता प्राप्त संस्थानों में काम करते हैं ।

(ख) सही सही यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये कितने परमाणु वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की आवश्यकता है । यह आत्मनिर्भरता भारतीय उद्योग की सम्बन्धित शाखाओं के विकास और फैलाव पर भी उतना ही निर्भर करती है जितना कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या पर ।

(ग) विदेशों में बसे भारतीय वैज्ञानिकों को भारत बुलाने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। यदि अणु शक्ति कार्यक्रम के सम्बन्ध में किसी विदेश स्थित भारतीय वैज्ञानिक की सेवाओं की आवश्यकता होती है तो यह विभाग उन सेवाओं को प्राप्त करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही करता है।

**क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, नई दिल्ली**

2869. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय में कार्य-व्यवस्था संतोषजनक है;

(ख) क्या यह सच है कि प्रतिदिन इस कार्यालय में बड़ी संख्या में आने वाले लोगों के लिए सुविधाएं अत्यधिक अपर्याप्त हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पारपत्र के लिए आवेदनपत्रों पर निर्णय करने में बहुत अधिक विलम्ब होता है; और

(घ) यदि हां, तो इस कार्यालय की कार्य व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) और (ख) पासपोर्ट नियमों में ढील देने के लिए हाल ही में जो उपाय शुरू किए गए हैं, उनसे पासपोर्ट की अर्जियों और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में दर्शकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इससे मौजूदा जगह में भीड़भाड़ हो गई है।

(ग) सभी अर्जियों पर जल्दी कार्यवाई करने की कोशिश की जाती है लेकिन ऐसे मामलों में स्वाभाविक तौर पर देरी होती है जहां आवेदक औपचारिकताओं का पालन नहीं करते।

(घ) स्टाफ बढ़ाने और बड़े स्थान पर दफ्तर को ले जाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

**मरमागोआ बन्दरगाह**

2870. **श्री शिंकरे :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान मरमागोआ बन्दरगाह को केवल व्यापारिक नौबेड़े के लिए सुरक्षित करने तथा केवल भारतीय नौसेना के प्रयोग के लिए वास्को-डी-गामा के पास "बैना" तट पर एक नई बन्दरगाह बनाने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मरमागोआ बन्दरगाह में बढ़ते हुए व्यापार तथा व्यापारिक नौबेड़े की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी कोई योजना बनाने का है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) से (ग) भारतीय नौसेना और वणिक नौबेड़े के संयुक्त प्रयोग के लिये मरमागोआ पत्तन का विकास करने सम्बन्धी प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं।

## हैदराबाद हाउस

2871. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्री शिवपूजन शास्त्री :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 अप्रैल, 1967 को हैदराबाद हाउस में प्रदेश कांग्रेस समितियों के अध्यक्षों तथा मंत्रियों के सम्मान में एक स्वागत समारोह आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने हैदराबाद हाउस जहां वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का मुख्यालय है, गैर–सरकारी उत्सवों के लिए देने का निश्चय किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने गैर–सरकारी उत्सवों के लिये इस इमारत का प्रयोग किये जाने के लिये कितना किराया लिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हैदराबाद हाउस विदेश मंत्रालय का मुख्यालय नहीं है। इसके एक भाग में उक्त मंत्रालय का एक विभाग है। मुख्य इमारत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों द्वारा सरकारी अतिथियों के स्वागत–सत्कार और मनोरंजन के लिए काम में लायी जाती है। प्रधान मंत्री भी इस उद्देश्य के लिए इस इमारत का इस्तेमाल करती हैं, खासकर उस समय जबकि मेहमानों की संख्या इतनी हो कि उनके रहने की व्यवस्था उनके वर्तमान निवास–स्थान में न की जा सकती हो।

कभी-कभी नीचे लिखी किराए की दरों पर हैदराबाद हाउस में ऐसे लोगों के निजी उत्सवों की भी इजाजत दी गई है जो सरकार से संबद्ध हैं :–

| | |
|---|---|
| (i) हैदराबाद हाउस (भोज कक्ष, नृत्यशाला आदि) | 500/–रु० प्रतिदिन |
| (ii) केवल भोज कक्ष अथवा नृत्यशाला | 250/–रु० प्रतिदिन |
| (ii) हैदराबाद हाउस के सिर्फ लान | 150/–रु० प्रतिदिन |

## आसाम में सीमा-सड़कें

2872. **श्री रा० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आसाम में सीमा-सड़कों के निर्माण पर आसाम सरकार द्वारा किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति करने का है; और

(ख) 1960 से लेकर अब तक किये गये व्यय के आंकड़े अलग-अलग क्या हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) सीमा-सड़क विकास बोर्ड के कार्यक्रम में सम्मिलित सड़कों के निर्माण और सुधार पर किया गया सम्पूर्ण व्यय केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है । जब यह काम राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय "सहायता अनुदान" के रूप में दे दिया जाता है ।

(ख) 1960 के बाद आसाम सरकार द्वारा दी गई राशि इस प्रकार है :—

| | |
|---|---|
| 1960–61 | 10,37,484.84 रु० |
| 1961–62 | 78,70,000.00 रु० |
| 1962–63 | 50,64,759.70 रु० |
| 1963–64 | 36,58,615.64 रु० |
| 1964–65 | 103,42,350.61 रु० |
| 1965–66 | 191,07,000.00 रु० |

आसाम के लोक निर्माण विभाग को सौंपी गई सड़कों पर व्यय के लिये 1966–67 के बजट में 226.61 लाख रु० का प्रबन्ध किया गया था ।

**फिल्म स्टूडियो का बन्द होना**

2873. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री जे० एच० पटेल :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में इस समय कितने फिल्म स्टूडियो हैं;

(ख) गत पांच वर्षों में कितने फिल्म स्टूडियो बन्द हो गये थे; और

(ग) इन स्टूडियो के बन्द होने के परिणामस्वरूप कितने कर्मचारी बेरोजगार हो गये थे ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) से (ग) राज्य सरकारों आदि से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

**योजना आयोग के सदस्य**

2874. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
**श्री क० मि० मधुकर :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सदस्य को छोड़कर योजना आयोग के सभी पुराने सदस्य इस समय योजना आयोग में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार योजना आयोग में नये सदस्यों का नाम निर्देशन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं, जिनकी आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति करने का विचार है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (ग) साधारण निर्वाचन से पूर्व योजना आयोग की रचना निम्नलिखित रूप से थी :—

| | | अं० अंशकालिक<br>पू० पूर्ण कालिक |
|---|---|---|
| प्रधान मंत्री | सभापति | अं |
| श्री अशोक मेहता, योजना मंत्री | उपाध्यक्ष | पू |
| श्री वै० बी० चवान, गृह मंत्री | सदस्य | अं |
| श्री सुब्रमनियम, खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्री | सदस्य | अं |
| श्री सचिन्द्र चौधरी, वित्त मंत्री | सदस्य | अं |
| श्री टी० एन० सिंह, लौह अथवा फौलाद मंत्री | सदस्य | अं |
| श्री पी० सी० महालानोबिस, अवैतनिक सांख्यिकीय सलाहकार | सदस्य | अं |
| श्री तरलोक सिंह | सदस्य पू | पू |
| प्रो० एस० एस० थैकर | सदस्य | पू |
| प्रो० बी० के० आर० वी० राव | सदस्य | पू |
| श्री एस० जी बर्वे | सदस्य | पू |

प्रशासन सुधार आयोग जो कि प्रशासन के एक विशाल क्षेत्र की जांच कर रहा है, ने योजना आयोग के पुनसंगठन के विषय पर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जब योजना आयोग की रचना का मामला निर्माण की स्थिति में है। योजना आयोग में पुनसंगठन के प्रस्तावों पर विचार करने से पर्यन्त नई नियुक्तियां करना उचित न समझा गया। इस कारण यह ठीक है कि इस समय एक ही पूर्णकालिक सदस्य प्रो० एस० एस० थैकर है। दूसरे पूर्ण-

कालिक सदस्य श्री तरलोक सिंह लम्बी छुट्टी पर चले गये हैं और प्रो० पी० सी० महालानोबिस अपने पूर्व रूप से उपस्थित हैं।

2. प्रशासन सुधार आयोग की सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय होगा और सदस्यों की नियुक्ति भी तत्पश्चात की जायेगी।

**Pak. Request to Saudi Arabia for Supply of Arms**

2875. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**
**Shri Y. S. Kushwah :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistan had requested Saudi Arabia to supply arms and the request has been accepted to;

(b) whether it is also a fact that Pakistan has asked for a loan from Saudi Arabia for the large-scale purchase of arms from the world market; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla)** : (a) Government have no information.

(b) Government have seen press reports from time to time about Saudi Arabia giving credits to Pakistan for purchase of military equipment. These reports have been denied by the Saudi Arabian Government.

(c) Government have already made it clear that any such arms assistance would be regarded by India as an unfriendly act and that, furthrmore, such assistance would not be conductive to peace on the sub-continent and make the implementation of the Tashkent Declaration more difficult,

**अमरीका की सेण्ट्रल इन्टेलीजेन्स एजेंसी की गतिविधियां**

2876. **श्री ग्र० क० गोपालन :**
**श्री रमानी :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेन्सी की गतिविधियों, विशेषकर गैर-सरकारी संगठनों में उसकी घुसपैठ का उल्लेख करने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् के एक प्रतिवेदन में एक अलग पैरा जोड़ने के प्रस्ताव का भारत ने समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) और (ख) आर्थिक और सामाजिक परिषद् के गैर-सरकारी संगठनों की समिति की बैठक में कुछ प्रतिनिधिमंडलों ने कहा कि कई

गैर-सरकारी संगठनों को अमरीका की केन्द्रीय गुप्तचर एजेंसी से धन मिला है और यह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् के साथ उनके परामर्शदायी दर्जे से मेल नहीं खाता। गैर-सरकारी संगठनों से संबद्ध समिति की रिपोर्ट इस दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए कार्यविधि संबंधी एक प्रस्ताव था और भारत ने उसका समर्थन किया था।

**Visit by Sikh Pilgrims to Panja Sahib on Baisakhi**

2877. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that one thousand Sikh pilgrims visited Panja Sahib on the occasion of Baisakhi;

(b) whether it is also a fact that a grand reception was given to them in Hussainiwala area ; and

(c) the number of persons to whom passports were issued and the number from amongst them whom passports were not issued ?

**The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla)** : (a) About 1350 Sikh pilgrims from different parts of India visited Panja Sahib on the occasion of Baisakhi.

(b) The Government are not aware of any such reception having been given to them in Hussainiwala area.

(c) Passports were issued to 1224 persons to visit Pakistan on this occasion. Number of persons to whom passports were refused was 83.

**पाकिस्तान से सद्भावना शिष्टमंडल**

2878. **डा० रानेन सेन :**
**श्री क० प्र० सिंह देव :**
**श्री प्र० के० देव :**
**श्री धीरेन्द्र नाथ :**
**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
**श्री रामावतार शर्मा :**
**श्री हुकमचन्द कछवाय :**
**श्री आत्मदास :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पाकिस्तान की नेशनल अवामी पार्टी के महासचिव ने सुझाव दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सद्भावना पैदा करने के लिये पाकिस्तान से एक सद्भावना शिष्ट मंडल भारत आने का इच्छुक है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) और (ख) सरकार ने पाकिस्तान के वयोवृद्ध विरोधी नेता, चौधरी खलीकुज्जमा के उस सुझाव के बारे में अखबारों में खबरें देखी हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच समझ-बूझ पैदा करने के लिए पाकिस्तान से एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल भारत भेजने की बात कही गई थी। पाकिस्तानी नेताओं ने

और अखबारों ने फौरन ही इस सुझाव की हंसी उड़ाई और उसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान सरकार ने भी कहा कि इस तरह के किसी प्रस्ताव के बारे में वह नहीं सोच रही है और उसके प्रति उनकी कोई सहानुभूति नहीं।

भारत सरकार ने हमेशा पाकिस्तान और भारत में आपसी सम्बन्धों को सामान्य बनाने और उन्हें सुधारने की उत्सुकता दिखाई है और इस तरह के सम्बन्धों की स्थापना के किसी भी अवसर का वह स्वागत करेगी।

## आयुध कारखानों में उत्पादन

2879. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में उत्पादन बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो कितना;

(ग) 1964 और 1965 की तुलना में यह उत्पादन कितना अधिक है; और

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिये और क्या कार्यवाही की गई है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) से (ग) यद्यपि कपड़ों की मदों के कार्यभार में कमी हुई है, फिर भी हथियार और गोला-बारुद तथा मोटर गाडियों (भारी मोटर गाड़ियों सहित) के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बाद वाली श्रेणी की वस्तुओं का उत्पादन 1963–64 से 1966–67 तक इस प्रकार रहा :—

| वर्ष | | उत्पादन का मूल्य (करोड़ रुपयों में) |
|---|---|---|
| 1963–64 | ... | 63.10 |
| 1964–65 | ... | 63.75 |
| 1965–66 | ... | 78.06 |
| 1966–67 (estimated) | ... | 86.00 |

(घ) आयुद्ध कारखानों में उत्पादन बढ़ाने के लिये निम्न कदम उठाये गये हैं :—

(एक) चार नये कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं; और

(दो) उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए वर्तमान कारखानों में पुराने उपकरणों का नवीकरण और आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

**हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में आग लगने की घटना**

2880. **श्री स० मो० बनर्जी :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1967 में स्थित हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, कानपुर में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) आग मरम्मत के यार्ड में लग गई थी । जांच की गई थी । जांच की उपपत्तियां इस प्रकार थीं :—

(एक) निश्चय ही लापरवाही से फेंके गये सिगरेट के टुकड़े से सूखी घास और लकड़ी के टुकड़ों के वहां होने के कारण आग लग गई ; और

(दो) नुकसान बहुत मामूली हुआ था ।

**उड़ीसा में नये रेडियो स्टेशन**

2881. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :**
**श्री नि० रं० लास्कर :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के सम्बलपुर और जयपुर में स्थित आकाशवाणी के रिले स्टेशनों को आकाशवाणी के स्वतन्त्र प्रसारण केन्द्रों का रूप देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) इन्हें चौथी योजना में आंशिक रूप से मूल कार्यक्रम प्रसारित करने वाले केन्द्रों और पांचवीं योजना में पूर्णतया स्वतन्त्र केन्द्रों का रूप देने का विचार है ।

**विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें**

2882. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश स्थित दूतावासों के अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध 1966 में विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से कितनी शिकायतें मिली थी;

(ख) 1965 में अपेक्षाकृत इन शिकायतों की संख्या कितनी थी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि हमारे दूतावासों के ये अधिकारी विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों से न केवल अच्छा व्यवहार करें, अपितु उनके लिए अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करने में उनकी सहायता भी करें ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री सु० क० चागला)** : (क) एक

(ख) दो

(ग) विदेशों में रहने वाले भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तृत निर्देश हैं। इस बात का सुनिश्चय करने की पूरी कोशिश की जाती है कि मिशन, निदेशों में बताए गए न्यूनतम व्यय के सिवाय, अन्य सार्वजनिक व्यय किए बिना, शिष्ट सहायता प्रदान करें।

**Military Correspondent of Statesman**

2883. **Shri Sidheshwar Prasad :**
**Shri P. Gopalan :**
**Shri Umanath :**
**Shrimati Suseela Gopalan :**
**Shri K. Ramani :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the reasons for which and the circumstances under which General J. N. Chaudhury, former Chief of the Army Staff was permitted to contribute articles in the Statesman as a military correspondent;

(b) the names of Army officers who have been granted such permission; and

(c) whether Government propose to make any changes in the relevant rules ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) As far as it has been possible to investigate the matter, the permission to Gen. J. N. Chaudhuri to contribute articles to THE STATESMAN as a Military Correspondent more than 15 years ago, was granted, taking into account the following factors :—

(i) the need to make the public informed about elementary things relating to the Army;

(ii) the articles would be only educative and informative;

(iii) the articles would not deal with or criticise Government policy; and

(iv) the articles would not bear his name.

(b) The only officer who was granted permission to contribute articles to a newspaper as military correspondent is Maj. Gen. D. Som Dutt.

(c) The existing rules on the subject governing serving officers have been considered to be adequate and there is no proposal under consideration for a change in the rules.

**Mountain Divisions**

**2884. Shri Sidheshwar Prasad :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the steps taken in 1966-67 to enhance the number and strength of the Mountain Divisions in the army; and

(b) the extent to which self sufficiency in arms suitable for mountainous regions has been attained ?

**The Minister of state in the Ministry of Defence ( Shri B. R. Bhagat ) :** (a) and (b) Although some internal re-organisation and streamlining has been done in Army formations and units to improve their effectiveness, there has been no increase in the overall strength. Indigenously produced arms are used to the maximum extent and the ratio in this regard is steadily increasing. It will not be in public interest to disclose more details.

**आगरा के निकट भारतीय वायु सेना के विमान की दुर्घटना**

**2885. श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री 27 मार्च, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 47 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा के निकट भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षण देने वाले विमान की दुर्घटना के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कब पूरी होने की संभावना है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हाँ ।

(ख) जांच अदालत की उपपत्तियों के अनुसार दुर्घटना सामान्य "अन्डर कैरिज" पद्धति के ठीक तरह काम न करने के कारण हुई । ठीक तरह काम न करने के सही कारण का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि विमान पूरी तरह नष्ट हो गया था । 13.50 लाख रु० की सम्पत्ति की हानि हुई जिसे कि बट्टे खाते में डाल दिया जायेगा । जांच अदालत द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार खड़ी फसल को 350 रु० की हानि हुई है जो कि सम्बन्धित व्यक्तियों को स्थानीय सिविल अधिकारियों द्वारा नियमानुसार पड़ताल के पश्चात दे दिया जायेगा । जांच अदालत ने किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में दुर्घटना के लिये जिम्मेदार नहीं ठहराया है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**Resettlement Directorate**

**2886. Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that the Resettlement Directorate has not been invested with powers to offer employment to the ex-servicemen: and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh)** : (a) Yes, Sir. It only acts as a liaison office between the ex-service officers seeking civil jobs and the potential employers, and looks after the rights and interests of ex-service officers and ex-servicemen in regard to their employment in reserved and un-reserved civil vacancies.

(b) The Re-settlement Directorate is not the appointing authority for any posts under other Departments. Offers of appointment can only be made by the appointing authorities (including Government in the concerned Ministries) specified in the relevant rules.

**Civilians in Air Headquarters**

2887. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the total number of civilians at present employed in the Air Headquarters in place of service personnel; and

(b) the mode of their promotion and the time taken in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Defence ( Shri B. R. Bhagat )** : (a) and (b) 61 civilians are at present employed at Air Hqrs. against airmen vacancies. Their promotion to the higher grade is made on the basis of seniority, subject to fitness of the individuals concerned for promotion and availability of vacancies. The present position is that the individuals with about 18 years' seniority in the lower grade are becoming eligible for promotion to the upper grade, but this period is liable to change. In the past, this period has varied from about 7 to 20 years.

**अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सैनिक कर्मचारी**

2888. **श्री मं० रं० कृष्ण :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में काम कर रहे नौसैनिक तथा अन्य सैनिक कर्मचारियों को अन्दमान भत्ता नहीं दिया जाता जो वहां तैनात केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों को मिलता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के असैनिक कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन को ध्यान में रखते हुए नौसैनिक अधिकारियों, पोर्ट ब्लेयर स्थित रेजिडेन्ट नेवल आफिसर्स आर्गेनाइजेशन के नाविकों और चीफ इंजीनियर पोर्ट ब्लेयर आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों और सैनिक अधिकारियों को, जो वहां स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, निम्नलिखित दरों पर अन्दमान भत्ता दिया जाता है ;

**कमीशन प्राप्त अधिकारी**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | अविवाहित तथा विवाहित अधिकारी, जिनके परिवार उनके साथ नहीं हैं । | वेतन का 10 प्रतिशत और अधिक से अधिक 100 रुपये प्रति मास तक । |
| (2) | विवाहित अधिकारी जिनके परिवार उनके साथ हैं । | वेतन का 15 प्रतिशत और अधिक से अधिक 175 रुपये प्रति मास तक । |

**अधिकारी पद से नीचे के कर्मचारी**

| | | |
|---|---|---|
| (1) | जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी तथा मुख्य पैंट्री अधिकारी । | 25 रुपये प्रति मास |
| (2) | हवलदार/दफादार और पैंट्री अधिकारी । | 20 रुपये प्रतिमास |
| (3) | अन्य | 15 रुपये प्रति मास । |

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अन्य सैनिक अधिकारी और कर्मचारी अर्ध-सांग्रामिक कार्य पर हैं और जिनके जीवन और काम की दशाएं वैसी ही है जैसी कि सीमान्त क्षेत्रों में तैनात लोगों की होती हैं, उन्हें क्षेत्र सेवा की रियायत मिली होती है । तदनुरुप, इन अधिकारियों और कर्मचारियों को उसी आधार पर रियायतें दी जाती हैं जिनमें अधिकारियों के लिये मुफ्त भोजन और अधिकारी पद से नीचे के कर्मचारियों को मिलने वाला 6 रुपये से 20 रुपये प्रति मास का विशेष प्रतिकर भत्ता सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त उन अधिकारियों को, जिन्हें अपना परिवार अपने साथ रखने की अनुमति नहीं दी जाती, 50 रुपये प्रति मास पार्थक्य भत्ता (सेपरेशन अलाउन्स) दिया जाता है ।

**पाकिस्तान को अमरीकी सैनिक सहायता**

2889, **श्री मधु लिमये :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री राम मनोहर लोहिया :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका के साथ हुए शस्त्र सहायता करार के अन्तर्गत 1965 के अन्त तक पाकिस्तान को कुल कितने मूल्य की सैनिक सहायता मिली है;

(ख) किस प्रकार की सैनिक सहायता मिली है ; और

(ग) भारत को इसी स्रोत से किस प्रकार की तथा कितने मूल्य की सैनिक सहायता मिली है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख) पाकिस्तान को सितम्बर 1965 तक अनुमानत: 15000 से 17000 लाख डालर तक के मूल्य की सैनिक

सहायता मिली है जिसमें मुख्यतः पेटन और चेफी टैंक, एफ–86 और एफ–104 प्रकार के विमान (जिनमें से कुछ में प्रक्षेपास्त्र भी लगे हुए हैं) जैसे आक्रामक शस्त्र, आधुनिक तोपखाना तथा नापाम बाम एवं बड़ी सेना बनाने और उसे बनाये रखने के लिये दी गई नकद सहायता भी सम्मिलित है।

(ग) भारत को अमरीका से सैनिक सहायता चीन के आक्रमण से बाद मिलनी शुरू हुई थी और सितम्बर 1965 तक मिलती रही थी। इस सहायता का मूल्य अनुमानत; 760 लाख डालर है। इस सहायता में सेना यातायात विमान की पहाड़ी यूनिट की आवश्यकता का सामान, पुर्जे, संचार सुविधाएं और मिट्टी हटाने वाले यंत्र तथा अन्य मशीने सम्मिलित हैं।

**अणु शक्ति**

**2890. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में अणु शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये विकास करने के कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री ( श्रीमती इन्दिरा गांधी ) :** ( क ) और ( ख ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अणु शक्ति का शान्तिपूर्ण कार्यों के लिये विकास करने के कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 707/67]**

**भारतीय विदेश सेवा**

**2891 श्री दामानी :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय विदेश सेवा में इस समय कितने अधिकारी हैं ; और

(ख) भारत में और विदेशों में कितने ऐसे अधिकारी कार्य कर रहे हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री ( श्री सु० क० चागला ) :** (क) 278 भारतीय विदेश सेवा (शाखा ख) में

2278 भारतीय विदेश सेवा (शाखा ख) में
49 भारतीय सूचना सेवा में।

(ख)

| | |
|---|---|
| 72 भारत में | |
| 196 विदेशों में | |
| 10 छुट्टी पर और/अथवा दूसरी जगह जाते हुए मार्ग में | भारतीय विदेश सेवा सेवा (क) |
| 1149 भारत में | |
| 1129 विदेशों में | भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) |
| 8 भारत में | |
| 41 विदेशों में | भारतीय सूचना सेवा |

## तारिक अब्दुल्ला का पासपोर्ट

2892. **श्री बलराज मधोक :**
**श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेख अब्दुल्ला के पुत्र तारिक अब्दुल्ला द्वारा गत वर्ष भारतीय पारपत्र रखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् में पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किये जाने के उपरान्त क्या उसका भारतीय पारपत्र जब्त कर लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उसे वापिस भारत बुलाने और उसके पास भारतीय पारपत्र होते हुए उसके द्वारा देश का विरोध किये जाने तथा विश्व संस्थाओं में शत्रु देश की सहायता किये जाने के कारण उसके विरुद्ध मुकदमा चलाने का है; और

(ग) क्या तारिक अब्दुल्ला अब भी लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग में कर्मचारी हैं।

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) श्री तारिक अब्दुल्ला का भारतीय पासपोर्ट 16 अक्तूबर 1965 से रद्द कर दिया गया है और पेश करने पर उसे जब्त करने के निदेश जारी कर दिए गए हैं। पासपोर्ट अभी समर्पित नहीं किया गया है हालांकि उसे ऐसा करने का नोटिस दे दिया गया है।

(ख) उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रश्न तभी खड़ा होगा जब वह भारत वापस आएगा।

(ग) जी नहीं। मार्च 1965 में उसकी नौकरी समाप्त कर दी गई थी।

## गन एन्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर

2893. **श्री देवेन सेन :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में कोसीपुर स्थित गन एन्ड शैल फैक्ट्री में 32 व्यवसाय प्रशिक्षुओं को उनके द्वारा इस कारखाने में 3 वर्ष का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद भी नौकरी में लेने से इन्कार कर दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहली ही बार ऐसा हुआ है कि सफल प्रशिक्षुओं को नौकरी देने से इन्कार किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन्हें कोसीपुर में अथवा भारत में अन्य किसी आयुध कारखाने में नौकरी देने का है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) और (ख) इन व्यवसाय प्रशिक्षुओं की भरती प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 के अधीन की गई थी, परन्तु यह भरती कारखाने की आवश्यकता के लिये नहीं बल्कि परिनियत आभार को पूरा करने के लिये

की गई थी। प्रशिक्षुता प्रशिक्षण का समय पूरा होने पर प्रशिक्षुओं को केवल रिक्त स्थान होने पर ही सेवा पर लगाया जा सकता है।

यह सच है कि गन एण्ड शैल फैक्टरी, कोसीपुर के पिछले बैच के 32 व्यवसाय-प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है और यह पहला अवसर है जबकि ऐसा हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस समय कोसीपुर के कारखाने या किसी अन्य आयुद्ध कारखाने में अभी कोई आवश्यकता नहीं है।

**जीवाणु तथा रासायनिक युद्ध**

**2894. श्री बाबूराव पटेल :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जीवाणु तथा रासायनिक युद्ध के लिए बहुत से राष्ट्र पहले से हथियार तैयार कर रहे हैं, जिनका प्रयोग करना अधिक आसान है और जिन्हें ब्रिटेन के निशस्त्रीकरण मन्त्री के अनुसार, छोटे तथा गरीब देश भी आसानी से बना सकते हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन हथियारों को भी बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग) सरकार जीवाणु तथा रासायनिक युद्ध के लिए हथियारों के निर्माण की सम्भावना के प्रति सजग है। ऐसा हो सकता है कि कुछ देश ऐसे हथियार बना रहे हों, परन्तु भारत सरकार की ऐसा करने की नीति नहीं है। भारत सरकार ने जिनेवा समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जो युद्ध में जहरीली गैसों और जीवाणु युद्ध के तरीकों के प्रयोग पर रोक लगाता है।

**फिल्म संस्था**

**2895. श्री चिन्तामणि पाणिग्राही :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ विद्यार्थियों को पूना स्थित भारतीय फिल्म संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये चुना गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थी चुने गये हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने इस कार्य के लिये कोई छात्रवृत्तियां देने हेतु धन की व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी छात्रवृत्तियों की ?

**सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) अभी तक छः ।

(ग) जी, हां ।

(घ) दो ।

**इल्मेनाइट का उत्पादन**

**2896. श्री वीरेन्द्रकुमार शाह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इल्मेनाइट का उत्पादन जो 1956 में 3,41,000 टन था घटकर 1965 में केवल 30,000 टन रह गया है ; और

(ख) उद्योग द्वारा लगाये गये इस आरोप के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, कि सरकार की खनिज सम्बन्धी गलत नीति उत्पादन में कमी के लिए उत्तरदायी है ।

**प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति विभाग मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) जी, हां ।

(ख) इल्मेनाइट उत्पादन में इतनी गिरावट निम्नलिखित कारणों से हुई : (1) जिन देशों ने इल्मेनाइट के सस्ते साधन खोज निकाले हैं, उनके द्वारा उत्पन्न विदेशी मण्डियों में प्रतिस्पर्द्धा (2) विदेशी निर्माताओं द्वारा टिटेनियम डायोक्साइड के कारखानों को नया रूप दिया जाना जिनमें ऐसा इल्मेनाइट बनाया जाता है जो भारतीय इल्मेनाइट से भिन्न प्रकार है (3) भारतीय कारखानों को आधुनिक बनाने में आने वाली कठिनाइयां । इन सब कारणों से भारत में इल्मेनाइट उद्योग को घाटा उठाना पड़ा । इन कठिनाइयों के बावजूद आधुनिक आवश्यक मशीनों को प्रयोग में लाकर उद्योग को पुनर्गठित करने और इल्मेनाइट के निर्यात को पुनर्जीवित करने के लिये साहसिक कदम उठाये गये हैं । यह आशा की जाती है कि इससे भविष्य में भारतीय उद्योग विश्व मण्डी में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर सकेगा ।

**Atomic Generators**

**2897. Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) the capacity in terms of Kilowatts. to produce electricity through atomic generators that would be reached during the Fourth Plan period and the estimated cost of production thereof ;

(b) the time likely to be taken in attaining self-sufficiency in all fields from designing to plant stage and production of fuel; and

(c) in case a target for attaining self-sufficiency has been fixed the number of power houses along with the capacity of each proposed to be installed every year which will run purely with internal resources ?

**The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi)** : (a) 580,000 Kilowatts of electricity will be available from nuclear power stations before the end of the IV Plan period. The cost of generation of power from the Tarapur Atomic Power Station (380,000 KW) is estimated at 4.50 paise per Kwh and from the Rajasthan Atomic Power Station, 5.08 paise per KWh.

(b) and (c) The foreign exchange content of the cost of Tarapur Atomic Power Project was 60%. This has been reduced to 20% for the Madras Atomic Power Project. Further progress is dependent on general development of the industrial base. It is however expected that the Power Houses to be built after the Madras Atomic Power Project will show substantial progress towards self-sufficiency.

**Ordinance Factory, Meerut**

2898. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is fact that thousands of acres of land are lying unused within the area of Ordinance Factory, Meerut, Uttar Pradesh and a large portion of this unused land is given to farmers for cultivation;

(b) whether there is any scheme under consideration for the expansion of the factory and for setting up some new Ordnance Factories on that very land and if so the details thereof ;

(c) whether any articles for civilian use are also produced by the said Factory; and

(d) if so, the particulars thereof and the percentage of the value thereof in relation to the total value of the entire production of the ordinance factory ?

**The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat) :** (a) There is no Ordinance Factory in Meerut. Presumably the reference is to the Ordinance Factory at Muradnagar. Out of a total area of 641 acres of land in the Factory estate, 133 acres has been leased out for cultivation.

(b) No, Sir.

(c) Not at present, as the factory has no spare capacity.

(d) Does not arise.

**Relations with Formosa**

2899. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the measures adopted by Government to maintain relations with Formosa (Taiwan) and to keep liaison with them with a view to safeguarding our interests;

(b) whether any agreement (cultural, trade, diplomatic etc.) has been concluded between India and Taiwan :

(c) if so, the details thereof;

(d) whether the Government of Taiwan have shown any interest in the development project of India; and

(e) if so, the reaction of Government thereto ?

**The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) :** (a) The Government of India does not maintain any relation with Formosa.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir

(e) Does not arise.

**भारतीय वायुसेना के वैमानिकों द्वारा हड़तालें तथा प्रदर्शन**

**2900. डा० राम मनोहर लोहिया :**
**श्री रवि राय :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायुसेना के वैमानिकों के स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् कितनी बार भूख हड़ताल की है अथवा विरोध स्वरूप प्रदर्शन किये हैं ;

(ख) ये विरोध किस रूप में तथा किन कारणों से किये गये और उनका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) सरकार ने इसके बारे में क्या कार्यवाही की है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) पांच ।

(ख) सम्बन्धित वैमानिकों की कुछ शिकायतों के कारण ये घटानाएं हुई । दो मामलों में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए और तीन मामलों में वैमानिक मेस में नहीं आये । इन तमाम घटनाओं की जांच कराई गई और वास्तविक शिकायतों पर ध्यान दिया गया था ।

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक/प्रशासनिक कार्यवाही की जा चुकी है ।

**रोडेशिया**

**2901. श्री हेम बरुआ :**
**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**
**श्री नाथपाई :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री को ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें रोडेशिया की समस्या के हल के बारे में उनके नवीनतम प्रस्ताव दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, तथा उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**भारतीय सांख्यिकीय संस्थान**

**2902: श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता लगा है कि भारतीय सांख्यिकी संस्था, कलकत्ता में गम्भीर अनियमितता है तथा सरकारी धन के गबन के मामले हुए हैं ;

(ख) यदि हां तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मन्त्री तथा अणु शक्ति मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषयक समीक्षा समिति ने जिसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई है संस्थान में वित्तीय अनियमिताओं की ओर संकेत किया है। इसके अतिरिक्त संस्थान में 17,000 रुपये की राशि कपटपूर्ण ढंग से निकालने का एक आरोपित मामला भी सरकार को ज्ञात हुआ है।

(ख) संस्थान से परामर्श करके भारतीय सांख्यिकीय संस्थान विषय समीक्षा समिति की रिपोर्ट पर कार्यवाही की जा रही है। उपर्युक्त मामले की संस्थान द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**African Students in India**

2903. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware that most of the African students who came to India for specialised studies carry back anti-Indian feelings;

(b) if so, whether Government have made any efforts to find out the reasons there. for and also to improve the matters; and

(c) if so, in what manner ?

**The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla)** : (a) It is not correct to suggest that most African students. who came to India for studies carry back anti-Indian feelings on their return; it would be more correct to say that by and large there is appreciation of the educational facilities provided by India to them.

(b) and (c) A few African students, however, do face certain difficulties arising chiefly out of : (i) paucity of social contacts on account of differing traditions and (ii) lack of provision of living conditions expected by them. The Government of India has taken suitable steps to overcome these difficulties by way of appointment of Foreign Students' Advisers to look after their welfare, provision of better living accommodation, peyment of higher stipends and by an expanded programme of cultural activities through organisations such as Indian Council for Cultural Relations, Indian Council for Africa, Y.M.C.A. and Y.W.C.A.

**सीमा-सड़कें**

2904. **श्री धुलेश्वर मीना** : **श्री हीरजी भाई** :
**श्री रामचन्द्र उलाका** : **श्री ख० प्रधानी** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में देश की पूर्वी सीमा तथा अन्य सीमाओं में सीमा-सड़कों के विकास के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत)** : पूर्वीक्षेत्र (सिक्किम, भूटान, पश्चिमी बंगाल, आसाम, नेफा) में तथा अन्य सीमाओं पर सीमावर्ती सड़कों के विकास के लिये (1967–68) के बजट अनुमानों में जो व्यवस्था की गई है, उसका विवरण निम्न प्रकार है:—

| | बजट अनुमानों में सम्मिलित कुल राशि | पूर्वी क्षेत्र में सीमावर्ती सड़कों के लिए नियत राशि | राजस्थान, गुजरात, काश्मीर तथा जम्मू राज्य सहित अन्य सीमाओं पर सीमांत सड़कों के लिये नियत राशि |
|---|---|---|---|
| | | (रुपये लाखों में) | |
| पूंजी मांगें | 4,894.96 | 2,116.29 | 2778.67 |

**नेपाल, भूटान और सिक्किम की सहायता**

**2905. श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री हीरजी भाई :**
**श्री ख० प्रधानी :**

**क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल, भूटान और सिक्किम को 1967–68 में उनके विकास कार्यों के लिये सहायता देने हेतु कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ख) कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** (क) नेपाल : 7,94,08,000 रु०

भूटान : 3,44,00,000 रु० सिक्किम : 1,75,00,000 रु०

(ख) नेपाल, भूटान और सिक्किम में किये जाने वाले विकास कार्य मोटे तौर पर नीचे लिखे शीर्षकों के अन्तर्गत आते हैं :–

(1) कृषि
(2) संचार
(3) सिंचाई और बिजली
(4) जल संभरण योजना
(5) शिक्षा
(6) बागबानी
(7) वन्य-विज्ञान
(8) स्वास्थ्य ; और
(9) मशीनरी और उपकरण

**मर्मागोआ में नौसेना का अड्डा**

**2906. श्री धुलेश्वर मीना :**
**श्री रामचन्द्र उलाका :**
**श्री हीरजी भाई :**
**श्री ख० प्रधानी :**

**क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) मर्मागोआ में नौसेना का एक अड्डा स्थापित करने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख) प्रस्ताव अभी सरकार के विचाराधीन है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सिक्किम और भूटान में चीन द्वारा अतिक्रमण**

2907. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री हीरजी भाई :**
**श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री ख० प्रधानी :**

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने पिछले दो महीनों में सिक्किम और भूटान में अनेक बार सैनिक अतिक्रमण किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**हिमाचल प्रदेश में मठों से मूल्यवान वस्तुओं की चोरी**

2908. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री मु० कु० तापड़िया :**
**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** **श्री प्र० के० देव :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में घनटापा गोमता मठ तथा अन्य मठों से ऐतिहासिक महत्व की कुछ दुर्लभ वस्तुएं चोरी चली गई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गुम हुई वस्तुओं को बरामद करने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के साथ पत्र-व्यवहार किया है ;

(ग) यदि हां, तो गुम हुई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन वस्तुओं को बरामद करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) से (घ) इस मामले की अच्छी तरह छानबीन की जा रही है और इसके पूरे हो जाने पर इस मामले के तथ्य सदन के सामने रख दिए जायेंगे ।

**Prices of waste papers**

**2909. Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broad casting** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the price of waste paper in the capital has gone down to half during the last five months, whereas prices of all other commodities have gone up; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of Information and broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Sanskrit Newspapers**

**2910. Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of Sanskrit newspapers and magazines being published in the country; and

(b) the number out of them to whom Government advertisementes are given ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** ; (a) Thirty.

(b) Four Sanskrit periodicals–3 monthlies and one weekly-are being used by the Directorate of Advertising and Visual Publicty for Central Government advertisements.

**लाल बहादुर शास्त्री स्मारक कोष**

* **2911. श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
**श्री विरेन्द्र कुमार शाह :**
**श्री जे० एच० पटेल :**
**श्री एस० एम० जोशी :**
**श्री मधु लिमये :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की याद मनाने के लिए 'लाल बहादुर शास्त्री स्मारक कोष, नाम का एक कोष बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्मारक कोष समिति के कौन-कौन सदस्य हैं;

(ग) अब तक कितना धन इकट्ठा किया जा चुका है; और

(घ) उस कोष में से अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी** : (क) और (ख) स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की निरन्तर स्मृति को बनाये रखने के लिए और कार्यक्रम के परिपालन के लिए एक 'लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय स्मारक कोष' बनाया गया है । इसके सदस्य हैं :–

1. डा० जाकिर हुसैन
2. श्रीमती इन्दिरा गांधी
3. श्रीमती लाल बहादुर शास्त्री
4. श्री के० कामराज
5. श्री मोरारजी आर देसाई
6. श्री जयप्रकाश नारायण
7. डा० सम्पूर्णा नन्द
8. श्री विश्व नाथ
9. श्री गुलजारी लाल नन्दा
10. श्री वाइ० बी० चवान
11. श्री एस० के० पाटिल
12. सरदार स्वर्ण सिंह
13. श्री एन० संजीवा रेड्डी
14. श्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन
15. श्री एस० निजालिंगप्पा
16. श्री भग्वत्सलम्
17. श्री कृष्ण वल्लभ सहाय
18. श्री वी० पी० नायक
19. श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी
20. श्री मोहन लाल सुखाड़िया
21. श्री जी० एम० सादिक
22. श्री टी० एन० सिंह
23. श्री चन्द्र भान गुप्त
24. श्री कमलापति त्रिपाठी
25. श्री अतुल्य घोष
26. प्रो० एन० जी० रंगा
27. प्रो० हिरेन मुखर्जी
28. प्रो० जे० आर० डी० टाटा
29. श्री जी० डी० बिड़ला
30. श्री वी० वी० दारवेद
31. श्री अटल बिहारी वाजपेयी
32. श्री एस० एन० द्विवेदी
33. श्री एस० मुल्लागाकर
34. श्री अमर नाथ अग्रवाल
35. श्री ए० के० करन

(ग) रु० 1,66,616. 42 पैसे

(घ) अभी तक कोई रकम खर्च नहीं की गई है।

**सीरिया में भारतीय राजदूत**

**2912. श्री राम कृष्ण गुप्त :**
**श्री यशपाल सिंह :**
**श्री राम गोपाल शालवाले :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का दमिश्क में ऐसे समय में कोई राजदूत नहीं था जब कि इसराईल के साथ सीरिया की सीमा पर हाल में हुई घटनाओं ने गंभीर रूप धारण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :** (क) और (ख) पश्चिम एशिया के संकट से बहुत पहले लिए गए निर्णय के अनुसार, सीरिया में पहले जो राजदूत थे, वह 17 मई को स्थानांतरण पर चले गये।

विदेश सेवा में जब किसी का स्थानांतरण होता है तो उसके साथ और कई स्थानांतरण होते हैं और किसी उत्तराधिकारी द्वारा अपने पद का कार्यभार संभालने में कुछ समय निकल जाना कोई असाधारण बात नहीं है। पश्चिम एशिया में संकट खड़ा होने पर सीरिया के नये राजदूत को छुट्टी से वापस बुला लिया गया और उसे दमिश्क चले जाने का आदेश दिया गया, जहां वह 5 जून को पहुंच गया।

**पेकिंग में भारतीय राजनयिक**

2913. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पेकिंग स्थित भारतीय राजनयिक से पुलिस द्वारा इस आशय के बयान पर हस्ताक्षर करवाये गये थे कि वह रैड गार्ड समाचार-पत्र की प्रतियां नहीं खरीदेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) उल्लिखित मामले से संबद्ध तथ्य विदेश मन्त्री 13 जून को लोक सभा में अपने वक्तव्य में बता चुके हैं।

(ख) पीकिंग में हमारे राजनयज्ञों के प्रति किए गए व्यवहार से सम्बद्ध नवीनतम घटनायें तो इस घटना से भी आगे निकल गई हैं।

**अमरीकी जहाज 'ओशनोग्राफर'**

2914. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्द महासागर तथा बंगाल की खाड़ी में लक्कादीव और मालदीव तथा अन्य द्वीपों के इर्द-गिर्द अमरीकी जहाज 'ओशनोग्राफर' का योजनाबद्ध ढंग से घूमना किसी भूतत्वीय दृष्टिकोण को बजाये युद्ध संचालन की दृष्टि से अधिक प्रेरित है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) अमरीका का समुद्र-सम्बन्धी अनुसंधान और सर्वेक्षण करने वाला 'ओशनोग्राफर' नामक जहाज अनुसंधान विषयक विश्व-यात्रा के दौरान बम्बई पहुंचा, उस यात्रा के दौरान इस जहाज को भारतीय प्रदेश के निकट होते हुए खुले समुद्र से भी गुजरना है। यह जहाज वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाला जहाज है, और यह मानने का कोई कारण नहीं कि इसका उद्देश्य विशुद्ध वैज्ञानिक नहीं है।

(ख) कोई खास कदम उठाने की जरूरत नहीं है।

**सैनिक कर्मचारियों के वेतनमान**

2915. **श्री मेघचन्द्र** :
**श्री धीरेश्वर कलिता** :
**श्री महाराज सिंह भारती** :
**श्री हुकम चन्द कछवाय** :
**श्री राम सिंह अयरवाल** :
**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना में अधिकारियों तथा अन्य 'रैंकों' के वेतनमान बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो विचाराधीन प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर कब तक निर्णय किये जाने की आशा है ?

**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

**Indian Foreign Missions**

**2917. Shri Molahu Prasad :**
**Shri Maharaj Singh Bharati :**
**Shri Rabi Ray :**

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of offices of Embassy status and High commission status, Separately, among Indian foreign Missions; and

(b) the number of non-career Ambassadors and High Commissioners with their party affiliations deputed in those offices ?

**The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla)** : (a)

(i) The number of offices of Embassy status with resident Ambassadors is-50

(ii) The number of offices of Embassy status without resident Ambassadors is,-4

(iii) The number of offices of High Commission status with resident High Commissioner is-16

(iv) The number of offices of High Commission status without resident High Commissioners is-1 Therefore the total is-71

(b) There are at present fifteen non-career Ambassadors/High Commissoners, of which five are from public life, four are retired Defence Service Officers, one is a retired Indian Foreign Service officer and the remaining five are non-IFS Service officers. Only one Ambassador was a Congressman at the time of his appointment.

**टेलीविजन सम्बन्धी भगवन्तम समिति का प्रतिवेदन**

**2918. श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या सूचना और प्रासरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीविजन सम्बन्धी भगवन्तम समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो समिति ने टेलीविजनों के निर्माण के बारे में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री के. के. शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति ने सिफारिश की है, कि देशी तकनीकी जानकारी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा टेलीविजन सेट बनाने की दिशा में कार्य गैर-सरकारी या सरकारी संस्थाओं की मार्फत, शीघ्र शुरू किया जाए । समिति ने यह भी सिफारिश की है कि सरकार पांच साल के लिए देश में बनने वाले टेलीविजन सेटों पर उत्पादन शुल्क को हटा दे या बहुत कम कर दे ।

(ग) भगवन्तम् समिति की रिपोर्ट संलग्न है । [पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 708/67]

**Tibetan Refugees In Ladakh**

**2919. Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Tibetan refugees in Ladakh at present and the number of them who have been rehabilitated by giving them lands;

(b) the particulars of the places where they have been rehabilitated and the details of the arrangements made to facilitate their rehabilitation;

(c) whether the scheme submitted by Ladakh Development Commissioner in 1965-66 or 1966-67 for the rehabilitation of Tibetan refugees has been implemented and if not, the reasons therefor;

(d) whether any assistance was given to the refugees living in Chouchang area to compensate them as their sheep and goats had died in large number;

(e) whether any scheme has been formulated to construct houses, etc. for the refugees in Ladakh, who are living in tents; and

(f) whether allegations of espionage made against a number of refugees living in Ladakh, due to which they were kept away from their families, have been proved ?

**The Minister of External Affairs (Shri M. C. Chagla) :** (a) and (b) About 3,500. About 1900 Tibetans in Changthang Elaka have been absorbed in the local economy and are earning their living by rearing their sheep and cattle.

(c) No, Sir. The success of this scheme is dependent on the provision of irrigation facilities which was to be done by the State authorities. The work on the irrigation project is yet to be started and is under technical study of the C. W. P. C. whose report is awaited.

(d) No, Sir. We have no information about the death of sheep and goats in large numbers.

(e) This will be considered when they are re-settled in the Matho-Stoke area in accordance with the proposals received from the Government of Jammu and Kashmir.

(f) There was no allegation of espionage. 19 Tibetan refugees were removed from Ladakh as they were suspected of undesirable activities. They have been sent to settlements in Orissa and Mysore and their families have joined them.

**Radio Stations in Ladakh, Kargil and Leh**

**2920. Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) whether any Radio Station has been set up in Ladakh;

(b) if so, the date on which it was inaugurated;

(c) if not, the reasons for not implementing the assurance given by the Prime Minister when she was the Minister of Information and Broadcasting in this regard;

(d) whether Shri Raj Bahadur, the former Minister of Information and Broadcasting had also given an assurance in 1966 that a radio station each at Kargil and Leh would be set up by the first week of September in that year;

(e) if so, the reasons for not starting any work in that connection so far; and

(f) whether radio station in Ladakh, Kargil and Leh are proposed to be set up ?

**The Minister of Information and Broadcasting (Shri K. K. Shah)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) to (e) This Ministery has so far not been able to trace any specific assurances given either by the Prime Minister when she was Minister of Information and Broadcasting or by Shri Raj Bahadur. However, it is proposed to set up a Radio Station at Leh and the station could be set up quickly if all the requisite facilities such as building, transport, power supply etc. Could be made available. Since this is a difficult area and as it has not been possible to get any of the aforementioned facilities so far, the station has not been put up.

(f) The 4th Five Year Plan as approved includes provision for the setting up of a Radio Station at Leh only.

## आकाशवाणी पर लद्दाखी कार्यक्रम

**2921. श्री कुशक बाकुला** : क्या सूचना प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय आकाशवाणी, दिल्ली से कोई लद्दाखी कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है;

(ख) यदि हां तो क्या और इस काम पर कितने लद्दाखी लगाये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लद्दाखी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित न करने के क्या कारण हैं जबकि आकाशवाणी दिल्ली से सभी भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ) आकाशवाणी के किसी भी अन्य प्रादेशिक केन्द्र की तरह, आकाशवाणी दिल्ली भी केवल उसी भाषा में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिसे प्रदेश के अधिकांश लोग बोलते हैं ।

## दक्षिण वियतनाम को तेल की सप्लाई

**2922. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री य० म० प्रसाद :**
**श्री वेदव्रत बरुआ :** **श्री न० कु० सांघी :**

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चीन की "हसिनहुआ" एजेंसी की इस खबर की ओर दिलाया गया है कि भारत दक्षिण वियतनाम को 1000 टन डीजल तथा अन्य तेल भेजने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोचीन बन्दरगाह से भेजा जाने लगा है; और

(ग) यदि हां, तो यह तेल भेजने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि उसका प्रयोग सैनिक कार्यों के लिये किया जा सकता है ?

**वैज्ञानिक-कार्य मंत्री (श्री मो० क० चागला)** : (क) जी हां ।

(ख) यह रिपोर्ट एकदम झूंठी और निराधार है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

**सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के वेतन आदि**

**2923. श्री नीति राज सिंह चौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक पदालि के सैनिकों को, अलग-अलग, तथा सेना की सभी शाखाओं के कर्मचारियों को, अलग-अलग, कितना-कितना मासिक वेतन दिया जा रहा है;

(ख) इस वेतन सूची में पीछे कब संशोधन किया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि समान तथा नीचे के दर्जों के असैनिक कर्मचारियों को सशस्त्र सेना के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएं प्राप्त हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि असैनिक कर्मचारियों को केवल एक ही घर संभालना पड़ता है क्योंकि वे अपने परिवारों के साथ रहते हैं, किन्तु सेना में काम करने वाले कर्मचारी को प्रायः दो स्थानों पर घर रखने पड़ते हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सशस्त्र सेनाओं के कर्मचारियों के वेतनक्रम मंहगाई भत्ता तथा अन्य उपलब्धियों में संशोधन करने का हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) सेना के कर्मचारियों (कमीशन प्राप्त अधिकारियों को छोड़कर) को मिलने वाले वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं का ब्यौरा प्रतिरक्षा मंत्रालय के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन के निम्नलिखित परिशिष्टों में दिया गया है :

(एक) परिशिष्ट (ख) (पृष्ठ 143 से 148) सेना के कर्मचारियों के लिये ।

(दो) परिशिष्ट (ग) (पृष्ठ 158 से 162) नाविकों के लिये ।

(तीन) परिशिष्ठ (घ) (पृष्ठ 171 से 175) वैमानिकों के लिये ।

इस वार्षिक प्रतिवेदन के प्रकाशन के बाद 1–4–1967 से उपरोक्त परिशिष्टों में लिखित निम्नतम दरों को बढ़ा दिया गया है । यह सैनिक कर्मचारियों के लिये 1.82 रुपये से 1.88

रुपये नाविकों के लिये 2.36 रुपये से 2.44 रुपये और वैमानिकों के लिये 2.38 रुपये से 2.46 रुपये प्रति खुराक बढ़ा दिया गया है।

सशस्त्र सेना में ऐसी कोई पदावलि नहीं है। उनका मासिक वेतन वेतन-समूह, पद, सेवा के समय, कर्त्तव्यों की प्रकृति, कार्य के स्थान आदि पर निर्भर होता है।

(ख) शस्त्र सेना के कर्मचारियों की वेतन दरें 1960 में संशोधित की गई थीं जो 1–7–1959 से लागू समझी गई थीं।

(ग) दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों के बीच ठीक तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि पारिश्रमिक और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था पृथक-पृथक है।

(घ) यह प्रश्न तभी उठता है, जबकि असैनिक कर्मचारी या सैनिक कर्मचारी अपने सामान्य निवास स्थानों या घरों से दूर काम पर भेज दिये जाते हैं। ऐसे मामलों में और जब वे ऐसे स्थानों पर काम पर रहते हैं जहां पर वे अपने परिवार नहीं ले जा सकते, तब दो स्थानों पर परिवार चलाने का प्रश्न उठता है। अतः उनके पदों पर लगाने के बाद यह स्थिति उत्पन्न होती है।

(ङ) वेतन मानों में सामान्य रूप से संशोधन का प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है परन्तु समय-समय पर भत्तों में परिवर्तन की चर्चा चलती रहती है। इससे सम्बन्धित कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

## राज पुरस्कार के लिये फिल्में

**2924. श्री वासुदेवन नायर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966 के राज पुरस्कारों के लिये कोई फिल्में चुनी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी फिल्में चुनी गई हैं, और

(ग) यदि कोई भी फिल्म नहीं चुनी गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) से (ग) सरकार फिल्मों के राजकीय पुरस्कार के क्षेत्र को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है, ताकि अच्छी फिल्मों के निर्माताओं और निर्देशकों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके। पुरस्कार की कुछ और श्रेणियों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है। ऐसा होने पर, नियमों को संशोधित करना होगा और उनको भारत सरकार के राजपत्र में अधिसूचित करना होगा। साथ ही पुरस्कार के लिए 1966 में बनी फिल्मों के बारे में प्रविष्टियां आमन्त्रित करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

## आण्विक खनिज प्रभाग में वैज्ञानिक अधिकारी

**2925. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छः वर्षों में आण्विक खनिज प्रभाग में निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है;

(ख) क्या उस प्रभाग में वैज्ञानिक अधिकारियों के पद स्थायी नहीं किये गये हैं, हालांकि उन पदों पर पन्द्रह वर्षों से अधिक समय से लोग काम कर रहे हैं;

(ग) क्या उन अधिकारियों के लिये उनके अपने-अपने मुख्यालयों में कोई आवास पूल नहीं बनाया गया है; और

(घ) क्या उस प्रभाग में पदोन्नति सम्बन्धी कोई नियम नहीं बनाये गये हैं हालांकि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जैसी समान संस्थाओं ने ऐसे नियम बना रखे हैं; और इस कारण इस प्रभाग के कर्मचारियों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) वर्ष 1960 में अणु-शक्ति विभाग के भूविज्ञानी सलाहकार को आण्विक खनिज प्रभाग के निदेशक के कार्य सौंपे गये थे। आण्विक खनिज प्रभाग 13 मार्च, 1967 से पुनर्गठित किया गया था और दो क्षेत्रीय निदेशक नियुक्त किये गये।

(ख) प्रभाग के वैज्ञानिक अधिकारियों के पदों को स्थायी बना दिया गया है और प्रत्येक अधिकारी को स्थायी बनाने के आदेश शीघ्र ही भेज दिये जायेंगे।

(ग) इन अधिकारियों के लिये कोई विशेष आवास पूल नहीं बनाया गया है क्योंकि वे विभिन्न शहरों में बने सामान्य आवास पूल के लिये हकदारी हैं।

(घ) आण्विक खनिज प्रभाग के विभिन्न वैज्ञानिक तथा तकनीकी पदों पर नियुक्ति के लिये भरती के नियम बने हुए हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार पदोन्नतियां की जाती हैं।

**इसरायल के साथ व्यापार के मामले में पाकिस्तान से विरोध पत्र**

**2926. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान और इसराइल के बीच व्यापार के बारे में उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य के विरुद्ध पाकिस्तान ने भारत को विरोध पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान हाई कमीशन का विरोध-पत्र अस्वीकार कर दिया गया है। पाकिस्तान के विरोध-पत्र और भारत सरकार के उत्तर की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी है। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 709/67]**

**Export of Uranium**

**2927. Shri Bramhanandji :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**
**Shri Maharaj Singh Bharati :**

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether Government propose to export uranium; and

(b) if so, the quality exported in 1966-67 and the amount of foreign exchange earned ?

**The Prime Minister and Minister of Atomic Energy (Shrimati Indira Gandhi) :** (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Fire in Air Headquarters**

**2928, Shri Bramhanandji :**
**Shri Jagannath Rao Joshi :**
**Shri Hukam Chand Kachwai :**
**Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) the number of times fire broke out in the Air Headquarters located at Wing 7, Block No. 6, Ramakrishnapuram this year;

(b) the loss of life and property as a result thereof and the causes of fire;

(c) whether Government have held any enquiry in this regard; and

(d) if so, the results thereof ?

**The Minister of Defence (Shri Swaran Singh) :** (a) There was only one such incident, which occurred on 23rd May 1967.

(b) to (d) There was no loss of life as a result of the fire. In accordance with the Air Force rules, a Court of Inquiry has been ordered to investigate the incident and to assess the loss of property. The cause of fire and full details will be known when the report of Court of Inquiry is received.

**पूर्वी अफ्रीका के लिये कार्यक्रम**

**2929. श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी अफ्रीका के लिये दिल्ली से स्वाहिली, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं में विदेश कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है; किन्तु गुजराती में केवल एक कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है और उसका भी आधा बम्बई से प्रसारित किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) और (ख) जी, नहीं। पूर्वी अफ्रीका के लिए गुजराती में प्रतिदिन दो बार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं ; इनमें एक सुबह 15 मिनट का समाचार बुलेटिन है और दूसरा शाम को 45 मिनट का सामान्य कार्यक्रम । सुबह वाला समाचार बुलेटिन दिल्ली से प्रसारित किया जाता है और बम्बई के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर पर ले जाया जाता है। शाम वाला कार्यक्रम बम्बई से उद्भव होता और एक साथ दिल्ली और बम्बई के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटरों से प्रसारित किया जाता है। किसी कार्यक्रम के उद्भव का स्थान इस बात को देख कर निर्धारित किया जाता है कि जिस समय कार्यक्रम प्रसारित करना हो उस समय उपयुक्त ट्रांसमिटर कहां उपलब्ध है।

**आकाशवाणी के दिल्ली तथा बम्बई केन्द्रों से गुजराती समाचारों का प्रसारण**

2930. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी की विदेश सेवा में समाचार गुजराती भाषा में प्रात: दिल्ली से तथा सांयकाल बम्बई से प्रसारित किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, इस व्यवस्था के विशेष कारण क्या हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) और (ख) जी, हां। सुबह का गुजराती न्यूज बुलेटिन 15 मिनट की अवधि का है और यह एक राष्ट्रीय बुलेटिन है जो पी. टी. आई. और यू. एन. आई. तथा अन्य स्त्रोतों द्वारा उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। ऐसा बुलेटिन केवल दिल्ली में न्यूज सर्विसेज डिवीजन द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। यह बुलेटिन टेलीप्रून द्वारा बम्बई के हाई पावर ट्रांसमिटर से प्रसारण के लिए भेजा जाता है।

गुजराती में शाम के बुलेटिन की अवधि पाँच मिनट की है। यह एक क्षेत्रीय बुलेटिन है जिसमें पूर्वी अफ्रीका की गुजराती जनता के लिए खास रुचि की प्रादेशिक समाचारों की सुरखियां होती हैं। यह बम्बई के क्षेत्रीय समाचार यूनिट द्वारा तैयार किया जाता है। यह बुलेटिन गुजराती के 45 मिनट की अवधि के मिले जुले कार्यक्रम का ही एक अंग है जो कि वहां योग्य व्यक्तियों के होने के कारण तैयार किया जाता है। तो भी यह दिल्ली तथा बम्बई के उच्चशक्ति के ट्रांसमिटरों से प्रसारित किया जाता है।

**आकाशवाणी से समाचारों का प्रसारण**

2931. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी में समाचारों के प्रसारण का स्तर बहुत खराब होने के बारे में प्रेस तथा जनता से प्राप्त सुझावों की जांच करने अथवा उन पर कार्य करने के बारे में कोई व्यवस्था है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कार्य किस प्रकार होता है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह) :** (क) और (ख) श्रोताओं से पत्रों द्वारा प्राप्त या अखबारों में पढ़ी गई आलोचनाओं और सुझावों को सम्बन्धित न्यूज रीडरों के ध्यान में लाया जाता है। समाचारों को प्रभावकारी ढंग से पढ़ने के महत्व के बारे में समाचार वाचन के लिए उत्तरदायी लोगों पर बार-बार जोर दिया जाता है। वैसे इस प्रयोजन के लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं है।

**रिकार्ड किये गये भाषण**

2932. **श्री प्र० न० सोलंकी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड किये गये भाषण समय-समय पर आकाशवाणी से प्रसारित किये जाते हैं, किन्तु सरदार पटेल के रिकार्ड किये गये भाषण प्रसारित नहीं किये जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जबकि आकाशवाणी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिकार्ड किए गए भाषण प्रसारित करता है, यह सरदार पटेल के रिकार्ड किए गए भाषणों का भी समय-समय पर अपने कार्यक्रमों में उपयोग करता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रतिरक्षा सेवाओं की पदस्थितियां बिल्ले तथा वर्दियां**

2933. **श्री हेमराज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं के तीन अङ्गों सेना, नौसेना तथा वायु सेना में पदस्थितियां, बिल्ले तथा वर्दियां भिन्न-भिन्न हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनमें एकरूपता लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी, हां।

(ख) जी- नहीं।

(ग) तीनों सेवाओं की पदस्थितियां, बिल्लों तथा वर्दियों में एक परम्परा और भिन्नता है और ये प्रत्येक सेवा की मुख्य विशेषताओं के अनुरूप हैं।

**लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्य संचालन में मितव्ययिता**

2934. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश सेवा निदेशालय के दल द्वारा जिसने लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग के कार्य संचालन में मितव्ययिता करने के प्रश्न की जांच की थी, दिये गये प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर क्या-क्या निर्णय किये गये हैं ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) विदेश सेवा निरीक्षकों की रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**अमरीका से हेलीकॉप्टर विमान**

2935. **श्री आत्मदास** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना को सुदृढ़ बनाने के लिये अमरीका से 'सिकोर्कसी सी किंग हेलीकाप्टर' विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार अमरीका के सहयोग से ये हेलीकाप्टर विमान के बनाने का एक कारखाना भी स्थापित करने का हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Film Censors Board**

**2936. Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Informaon and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the number of films in respect of which permission for exhibition was refused by the Board of Film Censors but the permission was granted by the Union Ministry during the last five years ending 31 st March, 1967 ; and

(b) the reason for which the Union Ministry granted such a permission disregarding the opinion of the Board of Film Censors ?

**The Minister of Information and Broadcasting ( Shri K. K. Shah )** : (a) 14.

(b) On a review of the above cases, Government came to the conclusion that their exhibition would not violate the principles underlying the public exhibition of films as mentioned in section 5B ( 1 ) of Cinematograph Act of 1952 as amended.

**Auxiliary Cadet Corps**

**2937. Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of Deffence be pleased to state

(a) the expenditure being incurred annual on the training of auxiliary cadet corps ; and

(b) the number of cadets, both male and female, who have so far been imparted military training ?

**The Minister of state in the Ministry of Defence ( Shri B. R. Bhagat )** : (a) and (b) No expenditure is being incurred on the Auxiliary Cadet Corps as it was wound up finally in 1965-66. Nor was military training, as such, given to male or female cadets of the Auxiliary Cadet Corps which was mainly concerned with the imparting of citizenship and physical training.

**पंजाब के लिये सामुदायिक रेडियो सेट**

**2938, श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों को दिये गये रेडियों सेटों में कितने रेडियो सेट इस समय बेकार पड़े हैं ; और

(ख) इन रेडियो सेटों की मरम्मत करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की हैं ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री ( श्री के० के० शाह )** : (क) : केन्द्रीय सरकार की सहायता योजना के अन्तर्गत, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 4,300 पंचायती रेडियो सेट ( पुनर्गठन से पहले की ) पंजाब सरकार को दिए गए थे। बेकार पड़े सेटों की वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। यह सूचना राज्य सरकार से प्राप्त की जा रही है। और यथा समय सदन की मेज़ पर रख दी जाएगी।

(ख) सामुदायिक श्रवण सहायता योजना के अन्तर्गत राज्यों को दिए जाने वाले पंचायती रेडियो सेटों की देख-रेख की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की हैं। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए संगठन स्थापित भी किए है। उनके मार्गदर्शन के लिए उनके पास नमूने की एक योजना पहले ही भेजी जा चुकी है इस योजना के अनुसार उचित देख-रेख संगठन स्थापित करने के महत्व के बारे में राज्य सरकारों को समय समय पर बताया जाता है।

## मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक

2939. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कितनी है ;

(ख) उनके पुनर्वास के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) उनमें से अब तक कितने बेरोजगार हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री ( श्री स्वर्ण सिंह )** : (क) मनीपुर राज्य की सैनिकों, नाविकों और वैम्यानिको की बोर्ड से प्राप्त आंकडों के अनुसार मनीपुर में भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों की संख्या, जिसमें सेवा पर और स्वर्गीय सैनिको के परिवार भी सम्मलित है, लगभग 5882 है ?

(ख) मनीपुर राज्य के भूतपूर्व सैनिकों वे सब रियायते और सुविधाएं उपलब्ध हैं जो पुनः बसाये गये भूतपूर्व सैनिकों को दी गई है या दी जाती रही हैं;—

### सीधी भरती के लिये

(एक) सेवा मुक्ति से छः महीने पहले अपनी इच्छानुसार किसी कार्य के लिये नाम कामदिलाऊ दफ्तर में नाम लिखवाने की अनुमति।

(दो) कामचलाऊ दफ्तरों द्वारा असैनिक रोजगार के लिये तीसरी प्राथमिकता का दिया जाना।

(तीन) सशस्त्र सेना में सेवा काल तथा 3 वर्ष का और अनुग्रह समय, जहाँ इसकी आवश्यकता हो, की छूट का दिया जाना।

(चार) चौथी श्रेणी के पदो पर नियुक्ति के लिये कम से कम शैक्षिक योग्यताओं में छूट का दिया जाना।

(पांच) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में रोजगार एवं सुरक्षा पदों, जिनके बारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान होता है, के लिये उन्हें प्राथमिकता का दिया जाना।

(छः) शुरू में 1 जुलाई 1966 से दो वर्ष तक के लिये तीसरी और चौथी श्रेणी के स्थायी पदो में क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की रिक्तियों का उनके लिये सुरक्षित किया जाना ।

**रोजगार की सम्भावनाओं को सुधारने के लिये प्रशिक्षण**

(सात) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उनके लिये छात्रवृति समेत व्यवसायी प्रशिक्षण के लिये 5 प्रतिशत स्थानों का सुरक्षित किया जाना ।

(आठ) शिक्षक के प्रशिक्षण के लिये प्राथमिकता ।

(नौ) ट्रेक्टर और कृषि फार्म मशीनी प्रशिक्षण । जिसका पहला बैच जुलाई 1967 में प्रशिक्षण के लिये जायेगा ।

( दस) रेजिमेंटल केन्द्रों के समीप वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुछ चुने हुए व्यवसायों की 3000 सैनिक कर्मचारियों को सेवा मुक्ति से पहले प्रशिक्षण का दिया जाना (यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायेगी ।)

राज्य सरकारों और मनिपुर सहित सभी संघ राज्य-क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे राज्य सेवाओं और पदो पर सीधी भरती के सम्बन्ध में भूतपूर्व सैनिको को उपरोक्त मद (तीन) (चार) और (छः) में लिखित सभी सुविधाएं दें ।

(ग) संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर के कामदिलाऊ दफ्तर के चालू रजिस्टर के अनुसार 31 मार्च 1967 को रोजगार के लिये प्रतीक्षा करने वाले भूतपूर्व सैनिकों की संख्या कुछ भी नहीं थी ।

**पश्चिमी जर्मनी में भारतीय नागरिक**

2940. **श्री ज्योतिर्मय वसु :**
**श्री चक्रपाणि**
**श्री कं० हाल्दर :**
**श्री नायनार :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री रमानी :**

क्या **वैदेशिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी में कितने नागरिक रह रहे हैं ;

(ख) उनमें से वहां कितने बस गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि भारतीयों के साथ वहां दुर्व्यवहार किया जाता है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री ( श्री मु० क० चागला ) :** (क) 4251

(ख) 22 ( 19 के पास जर्मन और 3 के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है )

(ग) नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**भारत को विदेशों में बदनाम करने का पाकिस्तान का प्रयास**

2941. **श्री हेम बरुआ :वैदेशिक-कार्य मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान भारत के बारे में सब प्रकार की शरारतपूर्ण एवं झूठी कहानियां गढ़ कर अरब देशों में भारत को बदनाम करने तथा भारत और अरब देशों के बीच गलतफहमियों को बढ़ाने के लिये पश्चिम एशिया के वर्तमान संकट का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान के बारे में गलत कहानियां गढ़ रहा है तथा उन्हें वर्तमान पश्चिमी एशियाई संकट के सन्दर्भ में पश्चिमी देशों में फैला रहा हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन का ब्यौरा क्या है तथा सरकार ने इन दुर्भावनापूर्ण झूठी बातों का खंडन करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक कार्य मंत्री ( श्री मु० क० चागला ) :** (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) पश्चिम एशिया के संकट के दौरान पाकिस्तान ने झूठी-झूठी कहानियां गढ़कर भारत की निंदा करने की कोशिश की है। पाकिस्तान प्रचार के कुछ आविष्कार नीचे दिए गए हैं :

पाकिस्तान के समाचार के माध्यमों ने इस आशय की एक कहानी प्रचारित की कि भारत औरागन लड़ाकू विमानों के लिए 20 लाख पौंड की कीमत के फालतू पुर्जे इसराईल को दे रहा हैं। यह अधम आरोप एकदम निराधार था और तत्काल इसका खंडन कर दिया गया था।

भारत के समर्थन पर संयुक्त अरब गणराज्य की सरकार की सराहना व्यक्त करने राष्ट्रपति नासिर का दूत जब भारत आया तो पाकिस्तान की प्रचार व्यवस्था ने यह खबरें निकालीं कि यह दूत विमान मांगने आया और भारत ने संयुक्त अरब गणराज्य को निराश कर दिया है। यह भी एक काल्पनिक कहानी थी क्योंकि राष्ट्रपति नासिर के दूत ने इस तरह की कोई मांग नहीं की थी और इसलिए इसे अस्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिमी देशों में, इसराईल के प्रति सहानुभूति रखने वाले देशों के साथ अपने आपको मिलाने के लिए उसने कहा कि भारत संयुक्त अरब गणराज्य को हथियार दे रहा है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के प्रचार में कितना छल-कपट है।

इसके अतिरिक्त, हमेशा की तरह पाकिस्तान की प्रचार व्यवस्था ने विभिन्न भारतीय नेताओं के वक्तव्यों को तोड़ा-मरोड़ा अथवा गलत रूप में पेश किया।

जैसा कि हमेशा किया जाता है, हमारे मिशनों को सही तथ्य जनता के सामने रखने के समुचित निर्देश दिए गए थे।

**महाराष्ट्र में आयुध कारखाने**

2942. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
**श्री कं० हाल्दर :**
**श्री भगवान दास :**
**श्री रमानी :**
**श्री चक्रपाणि :**
**श्री नायनार :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में गत पांच वर्षों में कितने आयुध कारखाने स्थापित किये गये हैं; और

(ख) इन कारखानों की सीमा से न्यूनतम तथा अधिकतम दूरी कितनी है ?

**प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) गत पांच वर्षों में महाराष्ट्र में 3 आयुध कारखानों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया था, जिनमें से एक में उत्पादन होना भी शुरू हो गया है।

(ख) इनमें से समीपस्थ कारखाना सीमा से 600 किलोमीटर की दूरी पर है और दूरस्थ कारखाना सीमा से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है।

**चीनी नागरिकों का सिक्किम के रास्ते भारत में प्रवेश**

2943. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत और सिक्किम के बीच कोई पासपोर्ट प्रणाली न होने के कारण चीनी नागरिक सिक्किम के नागरिकों के रूप में प्रायः भारत आते रहते हैं; **और**

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) तिब्बत के साथ लगने वाली सिक्किम की सीमा पहले ही बंद होने से सिक्किम में चीनियों का बेरोक-टोक आना नहीं हो सकता। सिक्किम में चीनी जाति नहीं है और सिक्किम में रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों पर, और "चीनी मूल" के अन्य व्यक्तियों पर भी, भारत के विनियम लागू होते हैं। इसे देखते हुए प्रश्न में कही गई बात निराधार प्रतीत होगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**प्रादेशिक भाषाओं के लिये आकाशवाणी के नये केन्द्रों की स्थापना**

2944. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक भाषाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पिछले वर्ष में आकाशवाणी के कितने केन्द्र स्थापित किये गये; और

(ख 1967–68 में आकाशवाणी के नये केन्द्र स्थापित करने के बारे में क्या योजना है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) 1966–67 में मथुरा और ऐजल में अल्प शक्ति के ट्रांसमिटरों वाले नये रेडियो केन्द्र खोले गये। मथुरा केन्द्र से प्रसारण-सुविधा में सुधार होने के अतिरिक्त ब्रज भाषा की आवश्यकता भी पूरी होती है। ऐजल केन्द्र से उसके निकट की मिजो पहाड़ियों की जरूरतें पूरी होती हैं तथा कुछ कार्यक्रम स्थानीय बोलियों में प्रसारित किये जाते हैं। गुलबर्ग, कोयम्बतूर, अगरतला, भागलपुर और उदयपुर में सहायक केन्द्र भी चालू किये गये जो धारवाड़, तिरुची, कलकत्ता, पटना और जयपुर के वर्तमान सम्बन्धित केन्द्रों के कार्यक्रमों को प्रसारित करने में सहायता करते हैं।

(ख) 1967–68 में पाण्डिचेरी, डिब्रूगढ़ और तेजू (नेफा) में आकाशवाणी के नये केन्द्रों के खोले जाने की आशा है। परभाणी में भी एक सहायक केन्द्र चालू किया जायेगा जो पूना के वर्तमान रेडियो केन्द्र का प्रसारण-क्षेत्र बढ़ायेगा।

## टेलीविजन

**2945. श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
**श्री वेणीशंकर शर्मा :**
**श्री रामकिशन :**

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन कार्यक्रम आकाशवाणी के कौन से केन्द्र से प्रसारित किये जाते हैं;

(ख) इस वर्ष तथा अगले तीन वर्षों में देश में टेलीविजन प्रसारण तथा पुनः प्रसारण केन्द्रों की व्यवस्था करने के बारे में क्या कार्यक्रम हैं;

(ग) किन स्थानों में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे तथा किन स्थानों पर टेलीविजन पुनः प्रसारण केन्द्र स्थापित किये जायेंगे;

(घ) इन प्रसारण तथा पुनः प्रसारण केन्द्रों का किन क्षेत्रों को लाभ मिल सकेगा; और

(ङ) कितने समय में सारे देश में टेलीविजन व्यवस्था हो जायेगी ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) दिल्ली टेलीविज़न केन्द्र।

(ख) से (घ) योजना आयोग द्वारा स्वीकृत चौथी पंचवर्षीय योजना में दिल्ली के टेलीविज़न केन्द्र के विस्तार के अतिरिक्त, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में टेलीविज़न केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। इन केन्द्रों से नगर और आसपास के क्षेत्र में टेलीविज़न सेवा दी जा सकेगी। इन केन्द्रों का परास-ट्रान्समीटर की शक्ति, प्रातन्तु ( ऐंटेना ) के प्रकार, उसकी

ऊंचाई और ट्रांसमीटर केन्द्र की स्थिति पर निर्भर करेगा। अभी ब्यारो को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) आशा है कि देश में उत्तरोत्तर अगले दस वर्षों से लेकर 15 वर्षों तक टेलीविजन सेवा दी जा सकेगी।

**गोआ में पणजी में शक्तिशाली ट्रान्समीटर**

2946. **श्री शिकरे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गोआ के लोग आकाशवाणी के पणजी–गोआ केन्द्र में एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर लगाने की बार-बार मांग करते रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) जी, हां।

(ख) गोआ क्षेत्र में प्रसारण सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए पणजी (गोआ) के वर्तमान ट्रांसमीटर की शक्ति बढ़ाने का विचार है।

**आकाशवाणी के पणजी-गोआ केन्द्र में कर्मचारियों की संख्या**

2947. **श्री शिकरे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के पणजी-गोआ केन्द्र में कुल कितने कर्मचारी हैं ;

(ख) उनमें से कितने स्थानीय व्यक्ति हैं तथा कितने व्यक्ति बाहर के हैं ; और

(ग) कितने स्थानीय कर्मचारियों का कोंकणी भाषा मंडल, गोआ के साथ संबंध है ?

**सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री के० के० शाह)** : (क) 144

(ख) 131 स्थानीय लोग हैं और 13 बाहर के हैं।

(ग) 3

**गोआ में भूतपूर्व पुर्तगाली सेना के भूतपूर्व सैनिक**

2948. **श्री शिकरे** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में इस समय भूतपूर्व पुर्तगाली सेना के ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गोआ-मूलक हैं ;

(ख) सरकार ने उनके पुनर्वास के लिये अब तक क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) अभी तक कितने भूतपूर्व सैनिक बेरोजगार हैं ?

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है। भूतपूर्व पुर्तगाली सेना के गोआमूलक कर्मचारियों को भारतीय सेना के भूतपूर्व कर्मचारियों के समकक्ष

इस दृष्टि से नहीं समझा जाता है कि उन्हें भारतीय सेना के भूतपूर्व कर्मचारियों के समान लाभ और सुविधाएं दी जायें।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**Indian Soldiers in U. N. E. F.**

2949. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
**Shri Prakash Vir Shastri :**
**Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the number of Indian soldiers in the United Nations Emergency Force posted from time to time at the Border of U. A. R. and Israel as also their present strength;

(b) the number of soldiers from other countries, separately, posted there on behalf of U. N. O.; and

(c) whether military authorities are consulted while sending the soldiers for such purposes to foreign countries ?

**The Minister of State in the Ministry of Defence ( Shri B. R. Bhagat ) :** (a) and (b) The peak strengths of the Indian troops with the United Nations Emergency Force from 1956-57 and of the troops from other countries there as on 1st November, 1966, are given below :—

| Year | Indian Troops Strength |
|---|---|
| 1956-57 | 958 |
| 1957-58 | 1173 |
| 1958-59 | 1218 |
| 1959-60 | 1249 |
| 1960-61 | 1255 |
| 1961-62 | 1249 |
| 1962-63 | 1249 |
| 1963-64 | 1258 |
| 1964-65 | 1273 |
| 1965-66 | 1255 |
| 1966-67 | 981 |

| Countries | Troops from other Countries Strength |
|---|---|
| Brazil | 506 |
| Canada | 795 |
| Denmark | 341 |
| Norway | 265 |
| Sweden | 2 |
| Yugoslavia | 707 |
| | Total : 2616 |

(c) Yes, Sir.

**पाकिस्तान से तीर्थ यात्री**

2950 **श्री आत्मदास :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान से निकट भविष्य में सहारनपुर ( उत्तर प्रदेश ) में कल्याण शरीफ के स्थान पर स्थित हजरत ख्वाजा अल्लाउद्दीन अहमद मुवीज की दरगाह की यात्रा के लिये 100 तीर्थ यात्रियों के आने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो जितने दिनों वे भारत में रहेंगे उसके दौरान सरकार उन्हें जो सुविधायें आदि देना चाहती है, उनका ब्यौरा क्या है ?

**वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला)** : (क) जी हां। पाकिस्तान के 100 मुस्लिम यात्रियों के दल को 18 जून से 25 जून 1967 तक जिला सहारनपुर ( उ० प्र० ), कलियार शरीफ में हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद सबीर का पवित्र स्थान देखने की इजाजत दे दी गई है।

(ख) रहने, खाने-पीने और परिवहन की सुविधाएं, सामान्य रूप से खर्च करने पर दे दी जायेगी।

---

## राज्य-सभा से सन्देश

### MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव** : मुझे सभा को राज्य-सभा से प्राप्त इस सन्देश की सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 15 जून, 1967 की बैठक में कम्पनी न्यायाधिकरण (उत्सादन) विधेयक, 1967 को पारित किया है।

---

## कम्पनी न्यायाधिकरण (उत्पादन) विधेयक

### COMPANIES TRIBUNEL (ABOLITION) BILL

**( राज्य सभा द्वारा पारित रुप में )**

**सचिव** : मैं राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में कम्पनी न्यायाधिकरण (उत्पादन) विधेयक, 1967 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

---

## सभापति तालिका

### PANEL OF CHAIRMEN

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि मैंने सभापति-तालिका के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्दिष्ट किया है :—

(1) श्री मनोहरन

(2) श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य

(3) श्री गु० सिं० ढिल्लों
(4) श्री बलराज मधोक
(5) श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा
(6) श्री एस० एम० जोशी

---

## सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

## COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

### पहला प्रतिवेदन

**श्री समर गुह** (कन्टाई) : पश्चिमी बंगाल की गम्भीर खाद्य स्थिति के बारे में मैंने एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी....

**अध्यक्ष महोदय** : यह मामला इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता।

**Shri Atal Behari Vajpayee** ( Balrampur ) : Sir, I present the first Report of the Committee on Government Assurances.

---

## निदेश ११५ (१) के अन्तर्गत वक्तव्य

## STATEMENT UNDER DIRECTION 115 (1)

### नक्सलबाड़ी की स्थिति

**श्री हो० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, गृह-कार्य मन्त्री ने 13 जून, 1967 को सभा में वक्तव्य दिया था कि उन्हें पश्चिमी बंगाल सरकार से नक्सलबाड़ी तथा निकटवर्ती क्षेत्रों की स्थिति के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है। यद्यपि इस सम्बन्ध में जानकारी के लिये राज्य सरकार को प्रार्थना भेज दी गई है। उन्होंने ऐसा ही वक्तव्य 14 जून को राज्य-सभा में दिया था।

दिल्ली के समाचार-पत्रों के अनुसार बंगाल राज्य सरकार को इन पर बड़ी हैरानी हुई है क्योंकि इस मामले में गृह-कार्य मंत्री को बहुत पहले सूचना भेज दी गई थी।

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : मैंने 13 जून को सभा में बताया था कि नक्सलबाड़ी के बारे में मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मन्त्री को जो तार भेजा था, उसका उत्तर नहीं मिला। उसका उत्तर मुझे 14 जून को मध्यान्ह पश्चात् मिला था। गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा भेजे गये एक पत्र का उत्तर 13 जून को आधी रात के बाद मिला था। जब मैंने 13 जून की शाम को लोक-सभा में वक्तव्य दिया था, उस समय तक मन्त्रालय के पास दोनों में से कोई उत्तर नहीं पहुंचा था।

फिर भी मेरा ध्यान उस बात की ओर दिलाया गया है कि राज्य-सभा में ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में मंत्रालय के 10 जून के अनुरोध पर पश्चिमी बगाल सरकार ने 12 जून की सायंकाल को कलकत्ता से तार द्वारा एक सन्देश भेजा था और वह 13 जून दोपहर को मिला था। दुर्भाग्य से यह सन्देश इस मामले से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी के पास देर से पहुँचा और इस कारण मुझे इसकी सूचना वक्तव्य देने के समय नहीं मिली। मुझे इस बात का खेद हैं। मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार ने अनावश्यक विलम्ब किया और मैं इस बात का विश्वास दिलाने के लिये मुख्य मन्त्री को पत्र लिख चुका हूँ।

**श्री ज्योतिर्मय बसु** (डायमंड हार्बर) : क्या आप गृह-कार्य मन्त्री को यह पत्र सभा-पटल पर रखने का निदेश देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : पत्र सभ पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

---

## आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर (राज्यक्षेत्र का हस्तान्तरण) विधेयक

## ANDHRA PRADESH AND MYSORE ( TRANSFER OF TERRITORY ) BILL

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि मैसूर राज्य से कुछ राज्य-क्षेत्र के आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तान्तरण का तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि मैसूर राज्य के कुछ राज्य-क्षेत्र के आन्ध्र प्रदेश राज्य को हस्तान्तरण का तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

---

## लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) विधेयक

## IRON ORE MINES LABOUR WELFARE CESS ( AMENDMENT ) BILL

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री ( श्री ल० ना० मिश्र )** : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted.**

**श्री ल० ना० मिश्र :** मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।

---

## चीन में भारतीय राजदूतावास के बारे में

## INDIAN EMBESSY IN CHINA

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सभा को सूचित करता हूं कि चीन में हमारे दूतावास के सम्बन्ध में सरकार द्वारा आज 5.30 बजे म० प० पर एक वक्तव्य दिया जायेगा ।

---

## पारपत्र विधेयक–जारी

## PASSPORT BILL-CONTD.

**श्री श्रद्धाकर सूपकार** (सम्बलपुर) : कल मैंने रीता फारिया, डा० धर्म तेजा तथा शेख अब्दुल्ला आदि के पारपत्रों के मामलों का उल्लेख किया था । आज मैं दो और मामलो का उल्लेख करता हूं । एक मामले में श्री ओम प्रकाश कपूर के विरुद्ध पारपत्र के सम्बन्ध में धोखा देने वालों के एक गुट का सदस्य होने का आरोप लगाया गया था । दूसरा मामला सतवन्त सिंह साहनी का है । आयात और निर्यात के एक मामले के सम्बन्ध में उसका पारपत्र वापिस ले लिया गया था ।

**{श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए}**
**{Shri C. K. Bhattacharyya in the Chair}**

इस मामले में उच्चत्तम न्यायालय ने बहुमत से निर्णय दिया था, मैं नहीं जानता कि क्या लोग इस निर्णय के बाद पारपत्र में हेराफेरी करने के मूल अधिकार का दावा नहीं करेंगे । उसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से धनी लोग हैं जिनके पास व्यय करने के लिये बहुत धन है और वे महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा को जिसकी हमारे पास बहुत कमी है, काफी व्यय करना चाहते हैं, कुछ विद्यार्थी तथा दूसरे लोग उच्च शिक्षा तथा रोज़गार के लालच में अन्य देशों में गये परन्तु वहां पहुंच कर उन्हें अपनी उद्देश्यहीनता का अनुभव हुआ । एक ऐसा विधान बनाया जाना चाहिये जिसके अन्तर्गत यह सभी मामले आ जायें ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा अध्यादेश प्राख्यापित करने की तिथि के बीच समय बहुत कम होने के कारण सरकार इस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार नहीं कर सकी है। सरकार को पारपत्र अधिकारी द्वारा पारपत्र देने से इन्कार करने के कारण और अन्य कारण भी बताने चाहियें, पारपत्र जारी करते समय पैदा होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये इस विधेयक पर प्रवर समिति में विचार किया जाना चाहिये।

मेरा वैदेशिक कार्य मंत्री से निवेदन है कि उन सभी समस्याओं पर अधिक ध्यान दें और यदि आवश्यक हो तो बाद में एक संशोधन विधेयक लाया जाये।

**श्री मी० रू० मसानी** ( राजकोट ) : यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के परिणाम स्वरूप हुआ था। उस निर्णय में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता है और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसे विदेश यात्रा से वंचित किया जा सकता है।

कार्यपालिका अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को भारत के बाहर यात्रा करने से नहीं रोक सकती। लोग विभिन्न कारणों से विदेश जाना चाहते हैं। कार्यपालिका के मनमाने आदेश द्वारा उसे चिकित्सा के लिये या विदेशों में उच्च वैज्ञानिक गवेषणा के लिये जाने से रोका जा सकता है। जबकि किसी दूसरे व्यक्ति को केवल विनोद के लिये ही विदेशों में जाने की अनुमति दे दी जाती है। वर्तमान रूप में विधेयक इन निर्णयों के प्रतिकूल है तथा कुछ मामलों में संविधान के भी प्रतिकूल है।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch Till Fourteenth of the Clock.**

**लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजकर 5 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।**

**The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minites past fourteen of the clock.**

**{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
**Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }**

## पारपत्र विधेयक-जारी

## PASSPORT BILL-CONTD.

**श्री मी० रू० मसानी :** विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जो निर्णय की भावना के अनुरूप नहीं है। उसमें तीन बातें आपत्तिजनक हैं। खण्ड 5 के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी पारपत्र के लिये केवल आवेदन पत्र ही अस्वीकार नहीं कर सकता अपितु वह इसकी अस्वीकृति के कारण बताने से इन्कार भी कर सकता है। यह स्वविवेक का मनमाने ढंग से प्रयोग

करने का मामला है जिसके सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इसे यात्रा करने के अधिकार जैसे मूल अधिकार के मामले में लागू नहीं किया जा सकता। ऐसी हास्यास्पद शक्ति को समाप्त करने के लिये खण्ड 5 का संशोधन किया जाना चाहिये।

इस सम्बन्ध में दूसरा आपत्तिजनक मामला पारपत्र इन्कार करने के कारणों का है। खण्ड 10 में जो आधार बताये गये है, वह आपत्तिजनक हैं। इसके अधीन पारपत्र के लिये आवेदनपत्र किसी दूसरे देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध में अस्वीकार किया जा सकता है। यह शब्द बहुत खतरनाक है। सरकार किसी व्यक्ति को किसी विशेष देश के लिये पारपत्र देने से इन्कार कर सकती है, क्योंकि एक तीसरे देश को उस व्यक्ति का वहां जाना पसन्द नं हो, इस सम्बन्ध में यह बताना रुचिकर होगा कि सोवियत दूतावास तथा सोवियत तानाशाही को प्रसन्न करने के लिये "डा० जिवागो" जैसा चित्र भारत में छः मास तक प्रदर्शित न किया जा सका और बाद में उसके कुछ भाग काटने पड़े।

सब से महत्वपूर्ण आपत्ति यह है कि न्यायालयों में अपील करने का अधिकार छीना जा रहा है। खण्ड 6, 9 तथा 11 से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता है कि पारपत्र से गलत अथवा मनमाने ढंग से इन्कार किये जाने पर कोई नागरिक न्यायालय में नहीं जा सकता है। यह उच्चतम न्यायालय के निर्णय की स्पष्ट अवज्ञा है और इसको न मानने का एक प्रयत्न है। यदि विधेयक इसी रूप में पारित किया जाता है तो उच्चत्तम न्यायालय इसे अवैध घोषित कर देगा। यह उपबन्ध, जिनके अनुसार न्यायालय में अपील करने पर प्रतिबन्ध है, संविधान की शक्ति से परे है, न्यायालय में अपील करने के अधिकार का विकल्प प्रशासनिक अधिकारी को अपील करना नहीं है। यह तो प्रशासनिक अधिकारी को की गई अपील के असफल होने पर प्रयोग किया जाने वाला अतिरिक्त अधिकार है।

"पी" फार्म नागरिकों को विदेशों में जाने से रोकने का एक और तरीका है। प्रसन्नता की बात है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने "पी" फार्म समाप्त करने की सिफारिश की है, यदि इस प्रश्न को न्यायालय में लाया जाये तो न्यायालय इसको भी समाप्त कर देगा।

**श्री क० नारायण राव** ( दोम्बिली ) : स्वतन्त्रता से पहले भारत में आने वालों के बारे में ब्रिटेन का कानून लागू था और भारत के नागरिकों को ब्रिटेन की जनता मान कर विदेशों में जाने के पारपत्र जारी किये जाते थे। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद विदेशियों के भारत में आने के लिए पारपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति दी जाती थी परन्तु भारतीयों के विदेशों में जाने के बारे में कार्यकारी अनुदेश जारी होते थे। इस विषय को न्यायालयों में उठाया जाता रहा और विभिन्न प्रकार के निर्णय दिये गये। अन्ततः यह विषय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी आया। वहां यह देखना था कि क्या एक नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा या कार्यकारी अनुदेशों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध पक्षपात तो नहीं हो रहा ? मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि हमारे संविधान में जो आने जाने की स्वतन्त्रता सम्बन्धी मूल अधिकार हैं उसका विदेशों को जाने से कोई सम्बन्ध नहीं है। हमारा संविधान अन्य देशों पर तो लागू नहीं होता। जैसे हमारे देश में विदेशियों के लिये कानून बने हुए हैं उसी प्रकार भारत के लोगों को विदेशों में वहां के कानूनों

के अनुसार चलना होता है। ऐसी स्थिति में मैं उच्चतम न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हूँ। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अनुच्छेद 21 के अनुसार भारत के नागरिक विदेशों में भी जा सकते हैं। अब यह निर्णय 2 की तुलना में 3 न्यायाधीशों के बहुमत का निर्णय है। ऐसा भी हो सकता है कि कल को उच्चतम न्यायालय इस निर्णय को बदल दे। अतः यह कानून बनाया जा रहा है। संविधान की संघ सूची में संसद को अधिकार है कि वह कानून द्वारा पारपत्र के जारी करने के बारे में प्राधिकारी को शक्ति प्रदान कर सकती है।

मैं इस विधेयक से सहमत हूँ। परन्तु इसके उपबन्धों में और सुधार की गुंजाइश है। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ चल रहे फौजदारी मामले उसके आवेदन पत्र को अस्वीकार किये जाने का कारण नहीं होने चाहियें। जब पारपत्र नामंजूर कर दिया गया हो तब उसके कारण भी बताये जाने चाहियें।

**श्री आ० ना० मुल्ला** (लखनऊ) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। इसे प्रवर समिति को भेजने की विशेष आवश्यकता नहीं है। इसका पारित किया जाना उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद आवश्यक हो गया है। उस निर्णय से देश के लोग बहुत हैरान हुए हैं। मैं उनमें से एक हूँ। आज विश्व में जीवन मूल्यों में निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। आज एक व्यक्ति समाज से पृथक जीवन लेकर नहीं चल सकता।

इस विधेयक के बारे में हमें चार मुख्य बातों पर विचार करना चाहिये। एक तो यह है कि पारपत्र साधारणतया मिल जाना चाहिये। दूसरे यह जब किसी को पारपत्र अस्वीकार कर दिया जाये तो उसे लिखित रूप में कारण बताये जाने चाहिये ताकि वह अपील आदि कर सके। और अपील के मामले में प्रशासनिक अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकारी को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। तीसरी बात यह है कि पारपत्र दिये जाने की प्रक्रिया सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिये। इस बारे में दिन निर्धारित कर दिये जाने चाहिये। जैसे कि आवेदन पत्र के दिये जाने के कितने दिन बाद पारपत्र मिल जायेगा और अपील का निर्णय कितने दिन में हो जायेगा। चौथे प्रशासनिक अधिकारियों का स्वविवेक-शक्तियों पर नियन्त्रण होना चाहिये। लोगों इन शक्तियों के अनुचित प्रयोग का सन्देह होता है। प्रतिबन्ध लगाने से नागरिकों की रक्षा हो सकेगी।

**श्री कंडप्पन** (मैंदूर) : विदेशों में यात्राओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इससे मानव सम्बन्ध सुदृढ़ होते हैं और स्थायी शान्ति की स्थापना में सहायता मिलती है। पारपत्रों के दिये जाने को दो कारणों से विनियमित किया जाना चाहिये। एक विदेशी मुद्रा के कारण और दूसरे इसलिये कि कहीं विदेश में जाकर कोई व्यक्ति विध्वंसक कामों में न लग जाये। विदेशी मुद्रा के बारे में वैदेशिक कार्य मंत्रालय को कुछ नहीं करना है यह तो वित्त मंत्रालय का काम है।

इस विधेयक में कार्यकारी पक्ष को बहुत से अधिकार दिये जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय के एक हाल के निर्णय में पारपत्र जारी किये जाने के बारे में नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। उसके परिणामस्वरूप ही यह विधेयक लाया गया है। मेरे विचार में तो

पहले की प्रक्रिया को ही कानूनी रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों को यथापूर्व अधिकार दिये जा रहे हैं। इस बारे में कुछ नियम बनाकर अधिकारियों की शक्तियां कम होनी चाहिये थी।

जहां हमें विदेशों में राजनैतिक तोड़फोड़ के प्रति सतर्क रहना चाहिये वहां आर्थिक तोड़फोड़ के बारे में भी ध्यान रखना है। इस बारे मे विधेयक में उपलब्ध किया जाना चाहिये। मेरे विचार में इस विधेयक में आमूल परिवर्तन किये लाने चाहियें। हमें मालूम है कि धर्म तेजा जैसे लोग धोखा देकर चले जाते हैं। इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के बारे विधेयक में उपबन्ध होने चाहिये। पारपत्र कार्यालय में लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता और किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं दिखायी जाती है। वहां सभी को सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है। इस बारे में सूझबूझ से कार्य किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस बारे में मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। तमिलनाड के लोगों को अपने सम्बन्धियों आदि को मिलने विदेशों में जाना पड़ता है। अतः उन्हें प्रायः पारपत्र बनवाने पड़ते हैं और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः इस बारे में प्रक्रिया सरल की जानी चाहिये। सरकार को श्रीलंका में डी० एम० के० के बारे में गलत धारणाओं को समाप्त करने के लिये कदम उठाने चाहियें। केवल तभी भारत तथा श्रीलंका के सम्बन्ध घनिष्ठ हो सकते हैं।

**श्री विक्रम चन्द** (चम्बा) : सरकार ने पारपत्र जारी करने को नियमित करने के लिये यह विधेयक प्रस्तुत किया है। वैसे तो यह बहुत उपयुक्त है परन्तु इसमें कुछ दोष या त्रुटियां हैं। जब एक व्यक्ति को पारपत्र नहीं दिया जाता तो उसे इस बारे में लिखित रूप में कारण बताये जाने चाहियें। ताकि वह अपील कर सके। जो पारपत्र पहले ही दिये जा चुके हों उनके बारे मे भी यही बात होनी चाहिये। इस प्रकार पारपत्र देने वाले अधिकारियों को बहुत अधिकार दिये जा रहे हैं। इसी प्रकार पारपत्र के रद्द किये जाने के विरुद्ध अपील करने का अधिकार भी मिलना चाहिये और आदेश में लिखित रूप में कारण बताये जाने चाहियें। मेरे विचार में अधिकारियों को इतने अधिकार नहीं मिलने चाहियें। इनसे इस अधिनियम के अन्तर्गत नागरिकों के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया है। अधिकारियों द्वारा निर्णय देने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है। इस बारे में अधिनियम में ही उपबन्ध होना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि यहां पर दिये गये सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक में आवश्यक परिवर्तन किये जाने चाहियें। किसी न्यायिक प्राधिकार को अपील करने के बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिये। ताकि किसी के साथ अन्याय न हो। यदि आवश्यक हो तो ऐसे प्राधिकार की कार्यवाही गुप्त रखी जा सकती है। अपील करने की अनुमति सभी मामलों में होनी चाहिये। अधिकारियों को अत्यधिक अधिकार नहीं मिलने चाहिये। मेरे विचार में इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिये ताकि इस पर अच्छी तरह विचार किया जा सके।

**Shri K. M. Madhukar** (Kesaria) : Sir, I support the amendment seeking to refer this Bill to a Select Committee. The officers are being given almost absolute powers. We have personal experience about the difficulties for getting a passport. The officers should

not be given arbitrary powers. The fundamental rights of the citizen should be fully guaranteed. There should be provision made in regard to these things.

There should be a provision of appeal in this Bill, so that the orders of officers could be challenged. Government seems of the opinion that all people going abroad would indulge in subversive activities. The provisions of D. I. R. are in the background of this Bill. It shows Government's weakness This Bill should be referred to a Select Committe.

**Shri A. S. Saigal** (Bilaspur) : Sir, I request that there should not be any delay in giving passport to a person. People have to experience great difficulty on a count of delay in this regard. When a person is refused a passport, he should given the reasons in writing. The appeal in this regard should be heard by a judge and not by an officer. It would be better if a time limit on decision of appeal is fixed. I request that suitable changes in this Bill would be made in the light of suggestions given by hon. Members.

**श्री विश्वनाथ मेनन** (एर्णाकुलम) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ । यह विधेयक न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिये पारित कराया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है । उसमें नागरिकों के मूल अधिकारों को सुरक्षित कर दिया है परन्तु इस विधेयक द्वारा केन्द्रीय सरकार अत्यधिक अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है यह अनुचित है । सरकार लोगों के अधिकार छीनना चाहती है । संविधान द्वारा गारंटी किये गये मूल अधिकारों को समाप्त किया जा रहा है । श्री चागला एक बहुत बड़े न्यायाधीश रह चुके हैं परन्तु एक मंत्री के रूप में उनमें बहुत परिवर्तन आ गया है । अब वह इस विधेयक द्वारा बहुत अधिक अधिकार अपने अफसरों को देना चाहते हैं ।

सरकार को चाहिये कि जो लोग संदिग्ध चालचलन के हों या जिनके विदेश में जाने से देश को हानि होने का भय हो उनको पारपत्र नहीं मिलना चाहिये । इस प्रकार के मामलों में न्यायालयों में अपील करने का अधिकार मिलना चाहिये । क्या यह अधिकार कांग्रेस पार्टी के हितों की रक्षा के लिये किया जा रहा है । वैसे सभी जानते हैं कि धर्म तेजा जैसे बड़े-बड़े धोखेबाज सरकार के हाथ से निकल जाते हैं ।

यदि किसी को पारपत्र नहीं दिया जाता तो उसे इसके कारण लिखित रूप में दिये जाने चाहियें । सरकार जनहित के नाम पर राजनैतिक लाभ उठाना चाहती है । सरकार को चाहिये कि विवादास्पद विषयों का निर्णय न्यायालयों से कराना चाहिये और सरकारी अधिकारियों को अधिक अधिकार नहीं देने चाहियें । वास्तव में सरकार को प्रतिपक्ष वालों का दमन करने के लिये यह कानून बना रही है । मुझे बहुत से ऐसे मामलों की जानकारी है जबकि निर्दोष लोगों को भी पारपत्र नहीं दिया जाता ।

इस विधेयक को इसलिये लाया गया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय में कहा है कि 'विनियमन के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते ।' मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार इस विधेयक को रखना चाहती है तो इसको उचित रूप दिया जाना चाहिये । इस कार्य हेतु इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये । यदि इस विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित किया गया तो मुझे विश्वास है कि उच्च न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर इसको समाप्त कर देगी । इसलिए भी इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाना चाहिये ।

मैं नहीं जानता कि क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार सभी शक्तियां क्यों अपने हाथ में रखना चाहती है। आधे से अधिक राज्यों में गैर-कांग्रेसी शासन है इसलिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से भी परामर्श कर लेना चाहिये।

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : सरकार को विदेश जाने वाले लोगों का वर्गीकरण चाहिए था। लोग विभिन्न-विभिन्न उद्देश्यों हेतु विदेशों में जाते हैं। कुछ उच्च शिक्षा के लिए, कुछ रिश्तेदारों को मिलने के लिए, कुछ रोज़गार के लिए तथा कुछ सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए विदेशों में जाते हैं। इसलिए अलग-अलग उद्देश्यों हेतु वहां बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग नियम बनाए जाने चाहिए। यह सच है कि हमारे बुद्धिजीवी व्यक्ति अर्थात् वैज्ञानिक आदि भी बड़ी संख्या में विदेशों को गये हैं जो कि लौट कर नहीं आये क्योंकि वहां पर परिस्थितियां बहुत अच्छी है। परन्तु इन सबके लिए अलग-अलग नियम बनाये जाने चाहिए।

सरकार ने प्रशासन को बहुत अधिक शक्ति तथा जिम्मेदारी दे रखी है। इन प्रादेशिक पारपत्र कार्यालयों को जोकि षड्यन्त्र के घर हैं समाप्त किया जाना चाहिये। परिपत्र जारी करने के मामले में विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिये तथा परिपत्र जारी करने की जिम्मेदारी जिला अधिकारियों को सौंपी जानी चाहिए। पारपत्र न दिये जाने की स्थिति में उक्त व्यक्ति को सात दिन के अन्दर-अन्दर अपील करने का हक होना चाहिए।

नकली पारपत्र जारी करने वालों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये। जनता से धन लेकर झूंठे पारपत्र जारी करने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये।

**Shri Ram Sewak Yadav** (Barabanki) : So far as the question of issuing the passports is concerned, no change has been made in the provisions of the present Bill. The passports will be issued as usual. Uptill now the passports were being issued only to the moneyed people or to the Members of the Legislative Assemblies, Lok Sabha or Rajya Sabha, belonging to the party in power.

{ **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य पीठासीन हुए** / **Shri C. K. Bhattacharya** *in the Chair* }

Now the Supreme Court has given certain decisions. To regulate that decision an ordinance was issued. To give it a shape of Law the present Bill has been presented. In this connection I may say that people donot have the freedom to move in some parts of our own country. They have been deprived of the privilege of going abroad. Such a thing is happening in our country. Therefore, the purpose of the Bill appears to impose restrictions on the people going abroad.

Under this Bill the Government has equipped himself with more powers. Passport can be refused by the Government without assigning any reason in the public interest.

There is no such provision in the Bill whereby a person on refusal of the passport could appeal to the Court. I would, therefore, say that there would be no use in passing the Bill in its present form.

To create the spirit of internalisation in the people it is necessary that they should be allowed to move abroad freely. In the circumstance re-thinking should be made on the Bill.

**श्री दत्तात्रेय कुन्टे** (कोलाबा) : यदि हम इतिहास को देखें तो पता चलेगा कि कठिन परिस्थितियों में भी लोगों की विदेश यात्रा की इच्छा रही है। वास्तव में यह लोगों का न केवल मूलभूत अधिकार ही है बल्कि निरंकुश राजाओं को भी इस पर कभी आपत्ति नहीं रही है। वास्तव में पासपोर्ट की पद्धति बीसवीं शताब्दी में ही आरम्भ हुई है। उच्चतम न्यायालय के फैसले में इस अधिकार का समर्थन ही किया गया है। इसलिये सरकार के लिये एक अधिनियम बनाना आवश्यक हो गया। सर्वप्रथम सरकार ने राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करवाया और अब सभा के समक्ष यह विधेयक लाया गया है।

यह विधेयक कानून की भावना के अनुसार नहीं है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा गया है बल्कि इससे सरकार कानून का अक्षरश: पालन करना चाहती है।

पासपोर्ट अधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की गई है कि पासपोर्ट अधिकारी को इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत एक ऐसा अधिकारी बनाया गया है जिसे पासपोर्ट अथवा यात्रा के दस्तावेज जारी करने का अधिकार है और केन्द्रीय सरकार भी उसमें शामिल है। उप-प्रधान मन्त्री ने एक बार कहा था कि चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी एक अधिकारी है। अत: इसका अर्थ यह हुआ कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को भी पासपोर्ट अधिकारी बनाया जा सकता है। इसलिये मैंने कहा कि इसमें कानून का अक्षरश: पालन होता है परन्तु उस भावना का पालन नहीं होता जिसके अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है।

विधेयक में परम्पराओं तथा प्रथाओं शब्दों का प्रयोग किया गया है परन्तु ये परम्परायें तथा प्रथायें क्या हैं इस बारे में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। जांच की भी व्याख्या नहीं की गई है, अपील करने की भी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है।

**श्री का० धो० भण्डारे** (बम्बई–केन्द्रीय) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मेरे विचार में इस स्थिति को स्वीकार कर लिया गया है। प्रश्न यह है कि वास्तव में राज्य को स्वविवेकी तथा तानाशाही वाली शक्तियां दी गई जिसे वह पासपोर्ट देने अथवा न देने के लिए प्रयोग कर सके। परन्तु ऐसी बात नहीं है। मनमानी तथा स्वविवेकी शक्तियों के बीच अन्तर है। क्योंकि जांच की जाती है तथा इन्कार किये जाने के कारण भी बताये जाते हैं। इसलिए खण्ड 5 के अन्तर्गत प्राकृतिक न्याय को लागू किया गया है। प्राकृतिक न्याय के लागू होने का अर्थ यह है कि सम्बन्धित पक्ष की सुनवाई हुई है, कारण बताये गये हैं तथा उसको अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। खण्ड 11 के अन्तर्गत व्यक्ति को अपील करने का अधिकार दिया गया है। अन्तिम शक्ति उच्च न्यायालय को दी गई है जिसका प्रयोग व्यक्ति के पक्ष में किया जा सकता है।

**श्री श्रीनिवास मिश्र** (कटक) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व सरकार बिना किसी कानून के मनमानी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी, अब इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार उन्हीं शक्तियों को अपने पास रखना चाहती है।

ऐसा कहा गया है कि लोगों को अधिकार दिये गये हैं परन्तु ये सभी अधिकार भ्रान्तिजनक हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सरकार ने आदेश पास कर दिए हों, अपील नहीं कर सकता। आदेश पास करने सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार को सभी शक्तियां दी गई हैं। केन्द्रीय सरकार अपनी शक्तियां किसी अधीनस्थ अधिकारी को भी दे सकती है। इसमें प्राकृतिक न्याय का भी कोई सम्बन्ध नहीं है। सरकार पासपोर्ट के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है। ऐसा कोई भी तीसरे दर्जे का दडांधीश कर सकता है जिसको केन्द्रीय सरकार द्वारा शक्तियां दी गई हो। यदि इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो पासपोर्ट जब्त किया जा सकता है। अतः ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसमें प्राकृतिक न्याय का प्रयोग किया जा सकता हो। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार को मनमानी शक्तियां प्राप्त होंगी।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापतनम्) : इस बारे में कारण बताये गये हैं कि सभा को क्यों इस अधिनियम को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए। हमने साहित्य में यह पढ़ा है कि शिक्षा की पूर्ति के लिए व्यक्ति को विश्व में चारों ओर जाना होता है, परन्तु ऐसा लगता है कि सरकार शताब्दियों पुरानी इस बात से सहमत नहीं है।

वास्तव में सरकार इस विधेयक द्वारा मनमानी शक्तियां ग्रहण करना चाहती है। सरकार लोकहित के नाम में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये पासपोर्ट देने से इन्कार कर सकती है। अपील का अधिकार भी भ्रान्तिकारक है। यदि यह विधेयक पारित किया जाता है तो यह एक अराजकता का कानून होगा।

देश के भीतर तथा बाहर स्वतन्त्रता से घूमना किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार है। यदि किसी व्यक्ति से देश की सुरक्षा को कोई खतरा न हो तो उसको विदेश जाने के लिए पासपोर्ट दिया जाना चाहिए। समझ में नहीं आता कि सरकार इस आवागमन पर क्यों नियन्त्रण करना चाहती है।

प्राकृतिक न्याय का प्रयोग किया जाना चाहिए तथा लोगों को विश्व में घूमने की सुविधा दी जानी चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले ले। भारत से बाहर यातायात के विनियमन के लिए सरकार को कोई कानून बनाना चाहिए।

**Shri Chandra Jeet Yadav** (Azamgarh) : Unless there are some special reasons nobody should be denied a passport for proceeding abroad. Provisions should be made in the Bill to the effect that passport will not be refused to anyone on political grounds. Delay in issuing the passport should be avoided. If passport is not given to any persons, reasons for not granting the passport should be told to him Rights of appeal in the court should be given to the persons are not given passports and if the Court is satisfied that there is no just reason to refuse the passport to the persons concerned he should immediately then be granted a passport.

Persons proceeding abroad for taking part in some sort of conference should be granted all facilities of a passport. Procedure for obtaining passport should be simplified.

**श्री शंकरानन्द** (चिकोड़ी) : उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह कहा गया है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत पारपत्र देने से इन्कार नहीं किया जा सकता। इसलिए यह विधेयक पारपत्र जारी करने सम्बन्धी कानून को नियमित करने हेतु ही प्रस्तुत किया गया है और न कि उच्चत्तम न्यायालय के निर्णय को समाप्त करने के लिए जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने समझ लिया है।

कुछ विरोधी दल इसलिए भी इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं कि इसमें पारपत्र का इन्कार किये जाने पर अपील की कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति इस देश तथा इस देश के लोगों के बारे में कुछ बुरे उद्देश्यों से अथवा दण्ड से बचने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनको ऐसा करने से रोकने के लिए सरकार के पास अधिकार होना चाहिए कि वह पासपोर्ट देने से इन्कार कर सके। इसलिए यह आवश्यक है कि पासपोर्ट देने सम्बन्धी नियमों को नियमित किया जाये। इसी उद्देश्य हेतु यह विधेयक लाया गया है।

**वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री ( श्री सुरेन्द्रपाल सिंह )** : जिन सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूँ।

इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले लगभग सभी सदस्यों द्वारा यह मांग की गई है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दिया जाये क्योंकि यह विधयेक महत्वपूर्ण है। यदि सामान्य परिस्थितियों में यह मांग की जाती तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु अब ऐसा करने में कठिनाई यह है कि अध्यादेश की अवधि 2 जुलाई को समाप्त हो रही है और यदि इससे पूर्व इसे अधिनियम द्वारा बदला नहीं जाता तो पारपत्र जारी करने के मामले में अराजकता फैल जायेगी और इस बारे में सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रह जायेगा अथवा एक अन्य अध्यादेश जारी करना पड़ेगा। ये दोनों ही बातें अवाँछनीय हैं।

यह कहना गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए इस विधेयक को प्रस्तुत किया गया है। वास्तव में निर्णय के निदेशों का पालन करने हेतु ही इस विधयेक को लाया गया है। निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है जबकि कानून की किसी निर्धारित प्रक्रिया द्वारा इस अधिकार को समाप्त नहीं किया जाता। इसी कारण इस विधयेक को लाना पड़ा है क्योंकि इस समय इस बारे में कोई कानून नहीं है।

इस बारे में भी आलोचना की गई है कि जब पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है अथवा रोक लिया जाता है अथवा देने में इन्कार कर दिया जाता है तो कारण बताना आवश्यक नहीं है। आम तौर पर पीड़ित व्यक्ति को कारण सदा बताये जायेंगे परन्तु जिन मामलों में देश की सुरक्षा तथा अन्य ऐसी ही बातों का प्रश्न होगा यह व्यवस्था की गई है ताकि देश की प्रभुसत्ता, सुरक्षा तथा मित्र देशों से सम्बन्धों की रक्षा की जा सके। पासपोर्ट न देने के निर्णय करने के लिए भी साक्ष्य आवश्यक है। सरकार जिन स्रोतों से जानकारी प्राप्त करती है उसका उल्लेख करना लोक-हित में नहीं है।

लगभग सभी ने यह मांग की है कि अपीलीय अधिकारी न्यायिक न्यायाधिकरण होना चाहिए न कि कार्यकारी प्राधिकारी क्योंकि यह एक कार्यपालिक की दूसरी कार्यपालिका को अपील होगी। विधेयक के अनुसार नियुक्त किये जाने वाला अपीलीय अधिकारी एक स्वतन्त्र अधिकारी होगा तथा वह पासपोर्ट अधिकारी के अधीन बिल्कुल नहीं होगा। इस कार्य के लिए हमारा विचार ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने का है जिसे कानून की पृष्ठभूमि तथा कुछ प्रशिक्षण प्राप्त हो। यदि सभी अपीलों को न्यायिक प्राधिकारी तथा न्यायाधिकरण के पास भेजा जाये तो स्वयं अपील करने वाले को बहुत असुविधा होगी। हमें अधिनियम में निर्णय देने सम्बन्धी कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं कर सकते। परन्तु प्रशासनिक अनुदेश जारी किये जायेंगे कि जनता को कोई परेशानी न हो तथा अपीलीय अधिकारी निर्णय देने में विलम्ब न करे।

मैं सभा को आश्वासन देना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत सम्बन्धों के कारण किसी भी राजनीतिक दल को पारपत्र देने से इन्कार नहीं किया जायेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र की जांच उसके गुणों के आधार पर की जायेगी तथा निर्णय किया जायेगा।

यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला चल रहा है अथवा आरोप लगाया गया है अथवा उसकी गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को पासपोर्ट नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों को हम पारपत्र देने से इन्कार कर सकते हैं।

{उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*}

**श्री पे० राममूर्ति** (मदुरै) : यदि इन्कार के आधार ही किसी को मालूम नहीं होंगे तो वह अपील किस प्रकार कर सकता है। इसलिए पासपोर्ट न देने के कारण बताये जाने चाहिए। यदि साक्ष्य के बारे में नहीं बताया जाता तो अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति सार्वजनिक धन का अपव्यय होगा।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : कुछ ही मामलों में जिनमें देश की सुरक्षा आदि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त होगा, कारण नहीं बताये जायेंगे अन्यथा आमतौर पर ऐसा नहीं किया जायेगा। राजनीति के आधारों पर भी किसी को परेशान नहीं किया जायेगा।

**श्री विश्वनाथ मेनन** (एरणाकुलम) : अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक सम्मेलन में जाने के लिए भी पासपोर्ट नहीं दिया गया था।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री नि० चं० चटर्जी** (बर्दवान) : जिस व्यक्ति को पासपोर्ट देने से इन्कार किया जाये जो इसके कारण भी बताये जाने चाहिए अन्यथा वह व्यक्ति अपील में उनका खण्डन नहीं कर सकेगा।

दूसरे निर्णय देने के सम्बन्ध में कोई समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में हम विचार करेंगे। पासपोर्ट यथा सम्भव शीघ्र जारी करने के बारे में कदम उठाये जायेंगे ।

**श्री नित्ति बाबू** (चिन्गलपट) : क्या यह सच नहीं है कि करुणानिधिकों, पासपोर्ट देने से इन्कार कर दिया गया था ।

**श्री धोरेश्वर कलिता** (गोहाटी) : डा० अजित सिंह एक गोहाटी के सज्जन की लन्दन में बहन बिमार थी, वह वहां जाना चाहते थे । उनकी अर्जी तीन महीने तक पड़ी रही और फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** यह प्रशासनिक मामले हैं । हम समूची प्रक्रिया को ठीक करने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे और देखेंगे कि विलम्ब न हो परन्तु इसके लिये अधिनियम में कोई समय–सीमा निश्चित करना सम्भव नहीं है क्योंकि आवेदन पत्र विभिन्न प्रकार के होते हैं ।

यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले सरकार मनमाने ढंग से कार्य करती थी और पारपत्र देने से इन्कार कर देती थी । 1964 में केवल 2.5 प्रतिशत मामलों में पारपत्र देने से इन्कार किया गया था । इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार मनमाने ढंग से कार्य नहीं करती है । हम यथासम्भव शीघ्र पारपत्र देने का प्रयत्न करते हैं । केवल कुछ मामलों में देश की सुरक्षा के हित में सरकार को देश से बाहर जाने वाले लोगों पर नियंत्रण रखने के लिये अपने हाथ में विशेष शक्तियां रखनी पड़ती हैं ।

यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई निश्चित आरोप लगा हो अथवा उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के वारन्ट अथवा समन जारी हो तो उसे पारपत्र देने से इन्कार किया जा सकता है परन्तु यदि न्यायालय में ऐसे कोई निश्चित आरोप न हो तो हम उन्हें पारपत्र देने से इन्कार नहीं कर सकते । कुछ समय पहले कहा गया था कि श्री धर्म तेजा का पारपत्र दिया गया था । सच यह है कि जब श्री धर्म तेजा देश से बाहर गये थे तब उनके विरुद्ध कोई आरोप नहीं था । अतः उनको किस प्रकार पारपत्र देने से इन्कार किया जा सकता था ।

माननीय सदस्यों को इस अधिनियम को आजमाना चाहिये और देखना चाहिए कि यह किस प्रकार कार्य करता है । मैं यह आश्वासन दे सकता हूँ कि यदि बाद में कोई कठिनाई अनुभव की गई तो हम सभा में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेंगे और तब सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर ध्यान रखा जायेगा ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 53 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**The amendment No. 53 was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के भारत के प्रस्थान करने का विनियमन करने के लिए परिपत्रों और यात्रा-दस्तावेजों को जारी करने का और उससे आनुषंगिक या संबद्ध मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 2 was added to the Bill**

**खण्ड 3**

**श्री क० नारायण राव** : मैं संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करता हूं।

खण्ड 3 के उपबंधों से मालूम होता है कि जो भी व्यक्ति परिपत्र के बिना भारत से जायेगा, वह इस अधिनियम के अन्तर्गत आयेगा। इसमें इस प्रकार का संशोधन किया जाना चाहिये जिससे पारपत्र अथवा यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता उन व्यक्तियों पर लागू न हो जो अन्तर्राष्ट्रीय विधि और विश्व राष्ट्रों के परिवार के अन्तर्गत आते हैं।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**The amendment No. 11 was put and negatiued.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**Clause 3 was added to the Bill.**

**खण्ड 4 (पारपत्र तथा यात्रा सम्बन्धी कागजपत्रों के वर्ग)**

**श्री क० नारायण राव** । मैं संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं । इस संशोधन में कोई सिद्धान्त का प्रश्न नहीं है । इस खण्ड में यह उपबन्ध है कि केन्द्रीय सरकार अपनी परम्परा के अनुसार ऐसे लोगों की श्रेणियां निश्चित करेगी जिनको इस अधिनियम के अधीन पारपत्र तथा यात्रा सम्बन्धी कागज़ पत्र जारी किये जा सकते हैं । हमें परम्परा में पड़कर सख्ती नहीं करनी चाहिये । इन बातों के लिये अधिनियम में नहीं, बल्कि नियमों में व्यवस्था की जानी चाहिये ।

**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : मैं संशोधन को स्वीकार नहीं करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**The motion was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 4 was added to the Bill.**

**खण्ड 5—(पारपत्र और यात्रा सम्बन्धी कागजपत्रों के लिये आवेदन-पत्र और उन पर आदेश)**

**श्री नम्बियार** : मैं संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूँ । खण्ड 5 में दिये गये शब्द अस्पष्ट है । उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है । अधिकारियों को व्यापक अधिकार मिले हुए हैं तथा पारपत्र जारी करना उनकी इच्छा पर निर्भर करता है । इसलिये, इस खण्ड में ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिससे यह स्पष्ट किया जाये कि पहिचान तथा विवरणों के बारे में की गई प्रविष्टियों की सचाई के बारे में औपचारिक जांच की जाये, इस प्रकार सभी उपयुक्त व्यक्तियों को विदेश जाने के लिये पारपत्र मिल सकेगा ।

मुझे संसद सदस्य होते हुये भी पारपत्र दिये जाने से इन्कार कर दिया गया था । यदि संसद सदस्य के साथ ऐसा हो सकता है तो मालूम नहीं सामान्य नागरिक के साथ क्या व्यवहार होता होगा । पारपत्र के मामले में राजनैतिक विचार बाधा नहीं बनने चाहिये । यह खण्ड महत्वपूर्ण है । मेरा मंत्री महोदय तथा सदस्यों से निवेदन है कि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाये ताकि किसी को विदेश जाने के अधिकार से वंचित न किया जाये ।

**श्री प्र० न० सोलंकी (कैरा)** : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री नम्बियार** : मैं अपना संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री दत्तात्रय कुंटे** : मैं अपने संशोधन संख्या 42, 43 और 44 प्रस्तुत करता हूं ।

खण्ड 5 (3) में कहा गया है कि उस व्यक्ति के मांगने पर उसे एक प्रति दी जायेगी। मैं समझता हूं कि जब भी किसी व्यक्ति को विदेश जाने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे आदेश की प्रति दी जानी चाहिये। समझ में नहीं आता कि वह इसकी मांग क्यों करे।

इसी खण्ड में यह शब्द रखे गये हैं कि जब तक पारपत्र अधिकारी का मत न हो"। इसके स्थान पर "स्वविवेक में" शब्द रखे जाने चाहिये। आदेश में सम्बन्धित अधिकारी को स्वविवेक से काम चाहिये।

**श्री राममूर्ति (मदुरै)** ; मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकार का यह दावा भ्रान्तिपूर्ण तथा कपटपूर्ण है कि वह इस खण्ड के अन्तर्गत अपील की व्यवस्था कर रही है। यदि पारपत्र अधिकारी की यह राय है कि पारपत्र न देने के कारणों की प्रति भेजने की आवश्यकता नहीं है तो उसका स्वविवेक ही निर्णायक तथा सर्वोपरि है। सरकार का उद्देश्य कई लोगों को पारपत्र देने से इन्कार करना है।

1952 में मुझे पारपत्र देने से इन्कार कर दिया गया था। उस समय मैं मद्रास में विरोधी दल का नेता था। बाद में सरकार को मुझे पारपत्र देना पड़ा।

**श्री प्र० न० सोलंकी :** मेरा संशोधन पंक्ति 27 से 31 हटाने के बारे में है। इसका कारण यह है कि कुछ मामलों में पारपत्र अधिकारी कारण बतायेंगे और कुछ मामलों में नहीं बतायेंगे। यह बात वास्तव में भ्रान्तिपूर्ण हैं। ऐसे सभी मामलों में, जिनमें पारपत्र दिये जाने से इन्कार किया गया हो, पारपत्र न देने के कारण बताये जाने चाहियें। जब तक कि कारण न बताया जाये तब तक यह पता नहीं लग सकता कि उस व्यक्ति को किन कारणों से पारपत्र नहीं दिया गया है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** जैसा कि उप मंत्री पहले ही बता चुके हैं, इस विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग न तो पहले कभी राजनैतिक उद्देश्यों से किया गया है और न ही किया जायेगा।

श्री नम्बियार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह चाहते हैं कि जांच सीमित हो, इससे विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। खण्ड 5 तथा 6 को एक साथ देखना होगा। खण्ड 6 में वे विभिन्न कारण दिये गये हैं जिनके आधार पर पारपत्र अधिकारी पारपत्र जारी करने से इन्कार कर सकता है। खण्ड 6 के उपबन्धों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि जांच विस्तृत हो ओर व्यक्तिगत पहचान तक ही सीमित न हो।

मैं श्री कुन्टे द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता कि इसमें "स्वविवेक" के शब्द शामिल किये जायें। पारपत्र अधिकारी अपना मत आंखें मूंद कर नहीं बना सकता। वह अनेक परिस्थितियों का निरीक्षण करने के पश्चात् अपना मत बनायेगा जिसमें स्वविवेक का प्रयोग भी शामिल है।

श्री कुन्टे ने जो दो अन्य संशोधन रखे हैं, उनके बारे में उपमंत्री पहले ही बता चुके हैं।

अपील के बारे में हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में अपील की जा सकती है। जिन कारणों से पारपत्र देने से इन्कार किया जा सकता है, वह खण्ड 6 में दिये गये हैं। केवल

इन्हीं कारणों से पारपत्र से इन्कार करने के आदेश की प्रति देने से मना नहीं किया जा सकता । परन्तु कुछ ही मामलों में पारपत्र देने से इन्कार करने के आदेश की प्रति देने से मना किया जाता है ।

मैंने अपील के कई मामले सुने हैं और कई मामलों में मैंने देखा है कि इन्कार करना उचित नहीं था और मैंने पारपत्र दे दिये थे ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40, 41, 15, 42, 43 और 44 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।**

**The amendments Nos. 40, 41, 15, 42. 43 and 44 were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 5 was added to the Bill.**

**खण्ड 6—(पारपत्र तथा यात्रा सम्बन्धी कागज़ पत्र आदि दिये जाने से इन्कार करना) ।**

**श्री श्रद्धाकर सूपकार :** मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** मैं अपने संशोधन संख्या 4 तथा 6 प्रस्तुत करता हूँ ।

**श्री प्र० न० सोलंकी :** मैं अपने संशोधन संख्या 17, 19, 20, 22 तथा 25 प्रस्तुत करता हूँ ।

मैं संशोधन संख्या 17 द्वारा चाहता हूँ कि "करेगा" शब्द के स्थान पर ["कर सकता है"] शब्द रखा जाये ।

**श्री चं० च० देसाई :** खण्ड 6 में वह आधार दिये गये हैं जिन पर पारपत्र से इन्कार किया जा सकता है । इस खण्ड के उपखण्ड (झ) की धारणा गलत और मनमानी है । इसके विरुद्ध अपील की जा सकती है परन्तु उससे कोई लाभ नहीं होगा । इस उप-खण्ड को हटाया जाना चाहिये ।

**श्री नम्बियार :** इस खण्ड के अन्तर्गत कुछ भी किया जा सकता है । इसके अन्तर्गत किसी को भी पारपत्र दिया जा सकता है और किसी को भी पारपत्र दिये जाने से इन्कार किया जा सकता है । इस प्रकार के ढीले-ढाले विधान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि यह खण्ड समाप्त किया जाए ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** मेरा संशोधन यह है कि खण्ड 6 के उप-खण्ड 2 (च), (छ) तथा (झ) हटा दिये जाने चाहियें। इस उप-खण्ड के अन्तर्गत जैसे ही किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला चलाया जायेगा तभी उसे पारपत्र देने से इन्कार कर दिया जायेगा। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक गवाह बना कर तथा उसके विरुद्ध मुकदमा दायर करके उसके विदेश जाने के प्रयत्नों को रोका जा सकता है। इस उप-खण्ड में यह उल्लेख होना चाहिए कि वह अपराध किस प्रकार का है।

अब दण्ड प्रकिया संहिता में एक संशोधन द्वारा अपराधी के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने की अनुमति दी जा रही है। अतः विदेश जाने के लिए किसी अपराधी के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए क्योंकि न्यायालय में उसका प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है। इसलिए, इन उपबन्धों की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड (झ) में "लोक हित" के आधार पर पारपत्र दिये जाने से इन्कार किया जा सकता है। मेरे विचार में यह बात लोक हित में नहीं है। सरकार को विधेयक प्रस्तुत करने से पहले "लोक हित" शब्दों की परिभाषा करनी चाहिए। ऐसी बात अनावश्यक है।

**श्री अद्धाकर सूपकार :** आय-कर के भुगतान का प्रमाण पत्र उन विद्यार्थियों को भी देना पड़ता है जिनकी कोई आय नहीं होती। उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा अध्यादेश के बीच समय कम होने के कारण सरकार को इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने का अवसर नहीं मिला। मैं अपने संशोधन पर आग्रह नहीं करता क्योंकि मुझे आशा है कि सरकार इस मामले में कार्यवाही करेगी। माननीय मंत्री यह कह चुके हैं वह इन बातों पर विचार करेंगे तथा इसमें रही कमियों को दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

**श्री स्वर्ण सिंह :** खण्ड 6 के विभिन्न उप-खण्डों में वह कारण बताये गये हैं जिनके आधार पर पारपत्र अधिकारी पारपत्र देने से इन्कार कर सकते हैं। विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह आपत्ति उठाई है कि एक उप-खण्ड स्पष्ट नहीं है। जिन आधारों पर पारपत्र देने से इन्कार किया जाएगा उन्हें स्पष्ट करने तथा उनकी व्याख्या करने का प्रयत्न किया गया है। पारपत्र जारी करने वाले अधिकारी द्वारा इन कारणों की जांच की जाएगी। अब भी कुछ बातें रह सकती हैं। जन-हित में पारपत्र देने से इन्कार करने की शक्ति को अपने पास रखा गया है। सरकार का अभिप्राय प्रार्थियों को पारपत्र देना है और रक्त अपवाद के मामलों में ही पारपत्र से इन्कार किया जाएगा।

**श्री अद्धाकर सूपकार :** मैं संशोधन संख्या 2 वापिस लेता हूँ।

**संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।**

**The amedment No. 1 was, by leave withdrawn.**

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 6, 17, 19, 20, 22, तथा 25 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**The amendmet Nos. 4, 6, 17, 19, 20, 22 and 25 were put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 6 was added to the Bill.**

**खण्ड 7**

**श्री चं० चु० देसाई :** मैं संशोधन संख्या 46 प्रस्तुत करता हूँ । वर्तमान स्थिति में पारपत्र प्राप्त करना कठिन है । सामान्यतः पारपत्र अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाता है । अब सरकार ऐसी शक्तियां प्राप्त करना चाहती है कि पारपत्र अधिकारी अपने स्वविवेक से काम ले कर यह अवधि कम कर दें । अतः उस उपबन्ध को हटाया जाना चाहिए जिसमें उल्लिखित है कि पारपत्र की आरम्भिक अवधि कम की जा सकती है । मेरा सुझाव यह है कि उल्लिखित अवधि को रहने दिया जाये ।

**उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।**

**The amedment No. 46 was put and negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The motion was adopted.**

**खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**Clause 7 was added to the Bill**

**खण्ड 8 तथा 9 विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**Clauses 8 and 9 were added to the Bill.**

**खण्ड 10**

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन संख्या 29 संशोधन संख्या 7 जैसा है । उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता ।

**श्री क० नारायण राव :** मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री प्र० न० सोलंकी :** मैं अपना संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री क० नारायण राव :** मैं अपने संशोधन संख्या 30 तथा 31 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री प्र० न० सोलंकी :** मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री चं० चु० देसाई :** मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री दत्तात्रय कुंटे :** मैं अपने संशोधन संख्या 48 तथा 49 प्रस्तुत करता हूं ।

**श्री चं० चु० देसाई :** मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय :** ये सभी संशोधन सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

**श्री चं० चु० देसाई :** मैं चाहता हूं कि इस खण्ड से शब्द "किसी विदेश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध" शब्द हटाये जाने चाहियें । मेरे विचार में इस प्रकार के उपबन्ध का प्रयोग इसराईल जैसे देश के लिए पारपत्र देने से इन्कार करने के लिये किया जा सकता है । सरकार कह सकती है कि यदि कोई इसराईल जाये तो इससे मित्र देशों को आपत्ति होगी । इसलिये, विधेयक से यह खण्ड निकाल दिया जाना चाहिये ।

**श्री श्रीनिवास मिश्र :** मेरे इस संशोधन का उद्देश्य खण्ड 10 के उपखण्ड 3 (ङ) को हटाना है । इस के कारण भी खण्ड 5 के उपखण्ड (ङ) तथा (च) हटाने के लिए मेरे संशोधन जैसे ही हैं अर्थात् यदि किसी के विरुद्ध कोई झूठा मुकदमा खड़ा कर दिया जाये तो सरकार पारपत्र वापिस ले सकती है ।

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Speaker in the Chair }

**श्री क० नारायण राव :** केवल इस कारण कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई फौजदारी का मुकदमा लम्बित है, किसी प्रार्थी का आवेदन पत्र रद्द नहीं किया जाना चाहिये । अन्त में वह निर्दोष सिद्ध हो सकता है । इसलिये ठीक तरीका यह है कि मुकदमा चलाये जाने के दौरान आवेदन पत्र लम्बित रखा जावे । इसी प्रकार केवल न्यायालय में उपस्थित होने के लिये समन जारी होने के कारण पार पत्र के लिये प्रार्थना पत्र रद्द नहीं किया जाना चाहिये ।

**श्री दत्तात्रय कुन्टे :** मैंने पहले भी एक खण्ड में इसी प्रकार के संशोधन प्रस्तुत किये थे । मंत्री महोदय ने इसका उत्तर देते हुये कहा था कि यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिये जावें तो प्रार्थी के लिये अधिक कठिनाई हो जायेगी । क्या किसी ऐसे व्यक्ति को पारपत्र दिये जाने से इन्कार कर देना चाहिये जिसे समन मिले हों । इसलिये, मैं अपने संशोधनों पर आग्रह करता हूं ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मैं किसी भी संशोधन को स्वीकार नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा 7, 27, 28, 30, 31, 47, 48, 49 तथा 50 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 7, 27, 28, 30, 31, 47, 48, 49 and 50 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 10 was added to the Bill.

खण्ड 11–(अपीलें)

श्री दत्तात्रय कुन्टे : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मी० रु० मसानी : मैं अपने संशोधन संख्या 33, 34, तथा 36 प्रस्तुत करता हूं । अपील के मामले में इस खण्ड में खण्ड 5 तथा 10 का उल्लेख है । इसमें खण्ड 6 भी शामिल किया जाना चाहिये क्योंकि उस धारा के सम्बन्ध में भी अपील हो सकती है । मेरे अन्य दो संशोधनों का सम्बन्ध इस मूल प्रश्न से है कि क्या पारपत्र देने से इन्कार के मामले को न्यायालय में ले जाया जा सकता है ।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय अब चीन के मामले पर चर्चा होगी ।

अध्यक्ष महोदय : कल एक घंटे में इस विधेयक पर चर्चा पूर्णतया समाप्त हो जानी चाहिए ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

## CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

### पेकिंग स्थित भारतीय दूतावास को चीनियों द्वारा घेरा जाने और भारत चीन सम्बन्धों का गम्भीर रूप से बिगड़ना

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, I beg to call the attention of the Minister of External Affairs to the following matter of urgent public importance and request that he may make statement thereon :—

The seige by the Chinese of the Indian Embassy in Peking, repeated refusals by the Chinese Charge d' affairs to accept notes handed over to him by the Ministry of External Affairs, extension of period of stay of the injured Chinese, cancellation of the press conference at Hong Kong by the Indian diplomats deported by China, shouting of anti-Indian slogans by the Chinese at the air-port in Nepal and the serious deterioration in the India-China relations following recent incidents."

**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह)** : हमें अभी कार्यवाहक राजदूत से पेकिंग में हमारे दूतावास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई है। 17 जून को 11 बजे चीनी विदेश मंत्रालय ने अचानक ही दूतावास के सब भारतीय कर्मचारियों और उनके परिवारों को जो कि दूतावास क्षेत्र के विभिन्न भागों में रह रहे थे, वह स्थान खाली करने के लिये कहा। ऐसा करने के लिये दो घंटे का समय दिया गया परन्तु कार्यवाहक राजदूत के दूतावास वापिस लौटने तक आधा घंटा बीत चुका था। चीनियों ने दूतावास में उपलब्ध किसी कार को बाहर ले जाकर परिवारों को लाने के लिये अनुमति नहीं दी। दूतावास की एक अथवा दो गाड़ियों में तथा मित्र देशों के दूतावासों द्वारा उपलब्ध कराई गई कारों में तीन मील के क्षेत्र में रहने वाले 15–20 परिवारों को लाना अवश्यक था। दूतावास के लोगों तथा मित्र देशों के दूतावासों की सहायता से हमारे कर्मचारियों ने प्रत्येक परिवार को समय समाप्त होने से 1½ घंटा पहले ही वहां से हटा दिया।

अब दूतावास में कुल 66 व्यक्ति हैं जिनमें से 15 महिलायें तथा 23 बच्चे हैं। परसों वास्तविक घेरा आरम्भ होने के समय से लाल रक्षकों ने दूतावास जाने वाली सड़क बन्द कर दी है तथा गाड़ियों को आने जाने से रोक दिया है। तथाकथित "जनता" ने दूतावास के सामने की गली की ओर खुलने वाला द्वार तथा खिड़की तथा गली से लगने वाला स्वागत कक्ष पूरी तरह तोड़ दिया है, अभी तक दूतावास के अहाते में कोई जबर्दस्ती नहीं घुसा है यद्यपि पीछे की ओर के एक छोटे फाटक को हानि पहुंची है, अभी तक किसी भी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई परन्तु किसी भी दूतावास के अन्दर पत्थर आदि फैंके जा सकते हैं। दुर्घटना से बचने के लिये सावधानी बरती जा रही है। जब यह सब हो रहा था तो कार्यवाहक दूत द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ सम्पर्क स्थापित करने के सभी प्रयत्न लाइन काट कर अथवा झूठे बहाने बना कर विफल किये जा रहे हैं।

हमारे दूतावास पर घेरा डाला जा रहा है तो दूतावास के कर्मचारियों को वास्तव में बंदी बनाया जा रहा है। पेकिंग में पिछले एक वर्ष में अन्य दूतावासों पर भी इसी प्रकार घेरे डाले जाते रहे हैं, परन्तु हमारे दूतावास का अहाता छोटा होने के कारण हमारे लोगों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।

इस बात के बावजूद कि हमारे दूतावास के कर्मचारियों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हमारे कार्यवाहक राजदूत ने हमें बताया है कि हमारे दूतावास के कर्मचारी इस कठिनाई का सामना करने के लिये दृढ़ संकल्प हैं।

कल चीनी कार्यवाहक राजदूत को वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में बुलाया गया था और दूतावास के सर्वथा अनुचित तथा अवांछनीय घेरे के विरुद्ध कड़ा विरोध प्रकट किया था।

दूतावास को सूचित किया गया था कि यदि 24 घंटे के अन्दर हमारे अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर से आने जाने पर लगे प्रतिबन्ध नहीं हटाये गये और सामान नहीं पहुंचने दिया गया तो भारत सरकार उत्तर में कार्यवाही करने के लिये बाध्य हो जायेगी और इसका पूरा उत्तरदायित्व चीन सरकार पर होगा। दूतावास को यह भी सूचना दी गई थी कि श्री चेन लू चिह तथा श्री हसू चेंग हाओ के बारे में जो पहले आदेश जारी किये गये थे वह लागू रहेंगे। फिर भी, मानवता के कारणों से इसे तत्काल लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह कहा गया है कि उन्हें चोटें आई हैं।

माननीय सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि विलिंगडन अस्पताल में, जहां पर सात जख्मी चीनियों का इलाज हो रहा है, चीनी कर्मचारियों ने किस प्रकार गलत व्यवहार किया। उन्होंने अस्पताल के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया। कार्यवाहक राजदूत पाकिस्तान के उच्चायुक्त के एक डाक्टर को एक मित्र के रूप में चीनी रोगियों को देखने के लिये लाये। अस्पताल के अधिकारियों ने चीनी कार्यवाहक राजदूत को बताया कि सरकारी अस्पतालों में विदेशी डाक्टरों को रोगियों की चिकित्सा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इसके पश्चात चीनी दूतावास के कर्मचारियों ने चीनी भाषा में नारे लगाये तथा अस्पताल में माओं का एक चित्र लटका दिया। इसका स्पष्ट उद्देश्य प्रचार करना था। स्वाभाविक रूप से अस्पताल के अधिकारियों ने यह चित्र हटा दिया ओर इस बात पर आग्रह किया कि अस्पताल में इस प्रकार के व्यवहार की अनुमति नहीं दी जा सकती।

कल रात को बहुत देर के बाद पेकिंग में हमारे कार्यवाहक राजदूत को चीनी विदेश कार्यालय में बुलाया गया। उनसे यह मांग की गई कि भारत सरकार चीनी सरकार को नई दिल्ली में एक असैनिक विमान भेजने की अनुमति दे ताकि 16 जून, 1967 की घटना में जख्मी हुए चीनी दूतावास के कर्मचारियों को चीन में लाया जा सके।

हम अपने कार्यवाहक राजदूत को पहले ही यह हिदायत दे चुके हैं कि चीनी सरकार को सूचित कर दिया जाये कि जब तक दूतावास का वर्तमान घेरा नहीं उठाया जाता तब तक भारत सरकार ऐसे अनुरोध पर विचार करने के लिये तैयार नहीं है।

यदि चीनी हमारे नोट में रखी गई मांगें निर्धारित समय में स्वीकार नहीं करते तो उचित जवाबी कार्यवाही की जायेगी।

**Shri Madhu Limaye** : On a point of order, Sir. Many of the points raised by me in the Calling Attention notice have not been replied by the Minister. It is like making a mockery of this Cali Attention Notice.

**श्री स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को ऐसे गम्भीर मामले को 'मजाक' नहीं बताना चाहिये।

**Shri Madhu Limaye** : Sir, how it is, I raised a point of order and Minister is replying and not yourself.

**अध्यक्ष महोदय :** मैं मंत्री महोदय से कह चुका हूँ कि उसे 6 म० प० तक की पूरी खबर वह हमको दें ।

**श्री श्री अ० डांगे** (बम्बई–मध्य दक्षिण) : क्या माननीय मन्त्री यह बतायेंगे कि क्या भारत सरकार ने भारतीय महिलाओं तथा बच्चों को पेकिंग से निकालने के लिये वहां एक विमान भेजने की चीन से जवाबी मांग की है ।

**Shri Atal Behari Vajpayee** (Balrampur) : It is a national question. We would like to know whether Government is prepared to formulate a national policy.

**श्री म० ला० सोधी :** हम चाहते हैं कि कोई कार्यवाही हो ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** हमें सूचना नहीं मिली है कि घेरा उठा लिया गया है अथवा नहीं । हम इस मामले में निर्णय करेंगे .. ... ।

**एक माननीय सदस्य :** कब ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** चीन के प्रतिनिधि का एक पत्र अभी शाम को मिला है ?

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को शांत रहना चाहिए । सभी को एक साथ बोलना शुरू नहीं कर देना चाहिए । मैं दोनों ओर के सदस्यों को अवसर दूंगा ।

**Shri K. N. Tiwary** (Bettiah) : The Minister has not replied to all the points raised in the Calling Attention Notice. The questions should be asked when fuller statement is made.

**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मंत्री महोदय ने समाचार पत्रों में छपी बातों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बताया है । इससे ध्यान दिलाने वाली सूचना का क्या लाभ है ?

**Shri Madhu Limaye** ( Monghyr ) : The Press Conference to be addressed by the diplomats was called off at the instance of the Ministry. Will the Minister give some information in this connection ?

**श्री स्वर्ण सिंह :** यह समाचार पत्र सम्मेलन इस कारण रद्द कर दिया गया था कि श्री रघुनाथ को पहले सरकार को जानकारी देनी थी । श्री रघुनाथ के यहां आने पर समाचार पत्र सम्मेलन बुलाया गया था ।

**श्री म० ला० सोंधी :** क्या ऐसा चीन के परामर्श पर किया गया था ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैंने बताया मुझे और कोई जानकारी नहीं है ।

**श्री नारायण दांडेकर** (जामनगर) : पेकिंग में हमारे दूतावास के कर्मचारियों का बहुत अपमान किया गया है । देश में सभी लोगों को इस अनादर के कारण बहुत चिन्ता हुई है । सरकार को चाहिये कि चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ लिये जायें । सरकार को चाहिये था कि अन्तिम चेतावनी के मामले के सम्बन्ध में पहले से विचार किया जाता ।

क्या सरकार कभी इस सम्बन्ध में कोई सम्मानपूर्वक रवैया अपनायेगी और चीनियों को कहेगी कि हम अब उनके साथ कोई सम्बन्ध नहीं रखेंगे।

माननीय मन्त्री ने यह भी कहा है कि अन्य मित्र दूतावासों ने हमारी सहायता की है। उन्हें उन दूतावासों के नाम बताने चाहिये ताकि हम उनको धन्यवाद दे सकें।

**श्री स्वर्ण सिंह :** जैसा कि मैंने पहले बताया है, हमारा विचार आज 6 बजे म० प० पर दिल्ली में चीनी दूतावास के कर्मचारियों पर उसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने का है जैसे प्रतिबन्ध उन्होंने हमारे पेकिंग स्थित दूतावास के कर्मचारियों पर लगाये हैं। राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ने का प्रश्न एक व्यापक प्रश्न है और हमें इस पर उस समय विचार नहीं करना चाहिये जबकि हमारे सामने यह तात्कालिक समस्या है।

हमें अभी अभी यह सूचना मिली है कि ब्रिटेन, फ्रांस, युगोस्लाविया, साम्यवादी देशों, इंडोनेशिया तथा स्कैंडिनेविया के दूतावासों ने हमारी सहायता की है।

**श्री बलराज मधोक** (दक्षिण दिल्ली) : माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि चीनी दूतावास में कार्य कर रहे चीनियों के विरुद्ध पारस्परिक आधार पर कार्यवाही की जायेगी। हम सदा प्रतिक्रियावादी के रूप में कार्य करते हैं। आज देश के लोग सब से पहली बात तो यह चाहते हैं कि चीन के साथ राजनैतिक सम्बन्ध तोड़े जायें।

**श्री स्वर्ण सिंह :** इस समय राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ने के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा रहा है।

**श्री सेझियान** (कुम्बकोणम) : हाल ही की कुछ घटनाओं तथा चीनियों के अशिष्ट व्यवहार के कारण हमारी सरकार को चाहिये था कि दूतावास के कर्मचारियों की रक्षा के लिये पहले से प्रबन्ध करती। सरकार उनकी रक्षा करने में तथा पेकिंग में हमारे दूतावास की प्रतिष्ठा को बनाये रखने में असफल रही है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के अनुसार विदेशी दूतावास के कर्मचारियों के संरक्षण की व्यवस्था करना उस देश का काम है जिसमें वह दूतावास स्थित है। हमारे दूतावास के कर्मचारी विभिन्न फ्लैटों में रहते थे। चीनी अधिकारियों ने उन्हें दूतावास भवन में जाने के लिये कहा, उनका ऐसा करना अनुचित था। उन्हें हमारे कर्मचारियों का उनके फ्लैट में संरक्षण करना चाहिये था।

**श्री श्री अ० डांगे :** चीनियों ने अपने कर्मचारियों को निकालने के लिये एक विमान भेजने के बारे में कहा है। क्या सरकार पेकिंग में घिरे हुये हमारे कर्मचारियों को निकालने के लिये कोई विमान भेजने के लिये तैयार हैं ?

**प्रधान मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :** हम अपने दूतावास के कर्मचारियों तथा उनके सामान को निकालने के लिए पेकिंग में एक विमान भेजना चाहते हैं

और हम तब तक चीनी विमान को यहां आने की अनुमति नहीं देना चाहते जब तक वे हमारे विमान को वहां जाने की अनुमति नहीं देते और हमारे कर्मचारियों को यहां लाने नहीं देते।

**श्री वी० चं० शर्मा :** क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय कर्मचारियों को एक अन्तर्राष्ट्रीय विमान द्वारा वहां से निकाले जाने के लिये क्या किया जा रहा है।

**अध्यक्ष महोदय :** इसका उत्तर प्रधान मंत्री ने पहले ही दे दिया है।

**Dr. Ram Manohar Lohia** ( Kannauj ) : China has exploded an Hydrogen Bomb. That is causing anxiety. China can destroy the entire population of the capital with one such bomb.

It is astonishing that the Minister has said that China has indulged in such a behaviour not only with Indian diplomats but also with the British and Russian diplomats. What would have been the reaction of the British Government if China had invaded Dover in U. K. and what would have been the reaction U. S. S. R., if China had invaded Siberia. Our Government do not seem to care about our territory under Chinese possession.

I would also like to know whether the attitude of the Government will always be to retaliate and not to take initiative in any matter.

**श्री स्वर्ण सिंह :** माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया प्रश्न नीति का बड़ा प्रश्न है और ध्यान दिलाने वाली सूचना में ऐसे बड़े मामलों के प्रति न्याय नहीं किया जा सकता।

**श्री उमानाथ (पुट्टूकोटै) :** पेकिंग में हमारे राजनैतिक कर्मचारियों महिलाओं तथा बच्चों को अनुचित तथा अनावश्यक रूप से घेरा जाना चिन्ताजनक है, चीनी दूतावास के समक्ष हुई घटनाओं से हमारा पक्ष नैतिक दृष्टि से कमजोर हुआ है। सरकार को चाहिये कि ऐसे दूतावासों की सहायता से, जिनके दोनों देशों के साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध है, इस मामले का हल करने का प्रयत्न किया जाये।

**श्री स्वर्ण सिंह :** किसी अन्य दूतावास की सहायता की आवश्यकता नहीं है। हम उनके दूतावास तथा अपने कार्यवाहक राजदूत के माध्यम से चीनियों के साथ सीधी बातचीत कर रहे हैं।

**श्री रा० कृ० सिंह** (फैज़ाबाद) : यदि मंत्री महोदय चीन की कार्यवाहियों को रोकना चाहते हैं तो हमें गुट निरपेक्षता तथा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की अपनी नीति द्वारा चीन को यह बता देना चाहिये कि हम अदले का बदला देने के लिये तैयार हैं।

हम उस तथ्य के प्रति जागरुक हैं कि भारत को चीन से लगातार खतरे का सामना है। मुझे प्रसन्नता है कि देश में इस मामले में एकता है।

**श्री नाथपाई** (राजापुर) : हमारी यह सभी कठिनाई इस सरकार की लम्बी अवधि की नीति न होने के कारण उत्पन्न हो रही हैं। चीनी भारत का प्रभाव कम करने के प्रत्येक अवसर से लाभ उठाना चाहते हैं, परन्तु सरकार की चीन के प्रति कोई नीति नहीं है।

मैं मंत्री महोदय से अब भी पूछना चाहता हूँ कि क्या वह दूसरों के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं।

**श्री स्वर्ण सिंह :** हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में चीन की कार्यवाहियां देख रहे हैं। हम इस समस्या को गम्भीर समझते हैं और पूरी तरह सोच विचार कर कार्यवाही कर रहे हैं।

**श्री जी० मा० कृपालानी** (गुना) : मैं श्री नाथपाई के इस विचार के साथ सहमत हूं कि हमने अभी तक चीन के प्रति अपनी कोई नीति नहीं बनाई है। हमने सदा ही चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाये जाने का समर्थन किया है। हमारी इस नीति से सभी हमें डरपोक समझेंगे। यह बात कहने से क्या लाभ कि चीन ने अन्य राष्ट्रों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया है।

**श्री स्वर्ण सिंह :** मैंने यह कहा था कि यद्यपि चीन ने अन्य देशों के दूतावासों के साथ भी दुर्व्यवहार किया है तथापि हमारे साथ उनका रवैया सबसे बढ़ कर बर्बरतापूर्ण रहा है। मैं श्री कृपालानी के साथ सहमत हूं कि हमें इस मामले में वीरता से काम लेना चाहिये।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 20 जून, 1967/30 ज्येष्ठ, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, June 20, 1967/ Jyaishta 30, 1889 (Saka).**